18

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

अठारहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन,1944 (शक)

सीपीएंडएनजी सं.

अठारहवां प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

23.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

23.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023/ फाल्गुन,1944 (शक)

	विषय सूची	
	समिति की संरचना (2022-23)	(iii)
	प्राक्कथन	(v)
	प्रतिवेदन	
	भाग – एक	
	प्रस्तावना	1
क	मंत्रालय का अधिदेश	1
ख	बजटीय आवंटन	5
ग	बजट वर्ष 2023-24 में पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए नई घोषणाएं	9
घ	इंडियन स्ट्रेटैजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल)	12
ङ	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी)	17
च	भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), विशाखापत्तनम	20
छ	बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (पीएमयूवाई)	24
ज	(एक) एलपीजी और केरोसिन के लिए डीबीटीएल (दो) ओएमसी को क्षतिपूर्ति का भुगतान	27 29
झ	ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु	31
ञ	राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि	33
ट	पीएम जी-वन योजना	33
ठ	संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी-सतत) पहल का कार्यान्वयन	35
ड	राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम	38
ढ	वाणिज्यिक जहाजों की फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए योजना	40
ण	नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना	41
त	केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी)	43
थ	कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण और उत्पादन	45
द	कृष्णा-गोदावरी बेसिन में खोज और उत्पादन की स्थिति	58
ध	ओएनजीसी द्वारा घरेलू कच्चा तेल उत्पादन की बिक्री हेतु नई नीलामी नीति	64
न	संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी)/ पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नेटवर्क	66
प	राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम	69
फ	कोल बेड मीथेन	71
ब	तेल पीएसयू के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)	76
भ	एनर्जी ट्रांजिशन/नेट जीरो/ग्रीन हाइड्रोजन	77
	भाग – दो	

समिति की टिप्पणियाँ / सिफ़ारिशें		**79**
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट एक	समिति (2022-23) की 14.02.2023 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	97
परिशिष्ट दो	समिति (2022-23) की ...03.2023 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	102
	अनुबंध	
अनुबंध एक	मंत्रालय का अधिदेश	104
अनुबंध दो	कृष्णा-गोदावरी बेसिन में प्रचालन ब्लॉकों /तेल क्षेत्रों का ब्यौरा	105

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

क्र. सं.	सदस्यों के नाम
	लोक सभा
श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति	
2.	श्री रमेश बिन्द
3.	श्री प्रद्युत बोरदोलोई
4.	श्री गिरीश चन्द्र
5.	श्रीमती चिंता अनुराधा
6.	श्री दिलीप शइकीया
7.	श्री तपन कुमार गोगोई
8.	श्री नारणभाई काछड़िया
9.	डॉ .कलानिधि वीरास्वामी
10.	श्री संतोष कुमार
11.	श्री रोड़मल नागर
12.	श्री मितेष पटेल
13.	श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
14.	श्री एम.के .राघवन
15.	श्री चंद्र शेखर साहू
16.	श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
17.	डॉ. भारतीबेन डी .श्याल
18.	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
19.	श्री लल्लू सिंह
20.	श्री विनोद कुमार सोनकर
21.	श्री अजय टम्टा
	राज्य सभा
22.	श्री शक्तिसिंह गोहिल
23.	श्रीमती कान्ता कर्दम
24.	श्री मिथलेश कुमार

25. श्री पवित्र मार्गेरिटा

26. श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया

27. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

28. डॉ. सस्मित पात्रा

29. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली

30. डॉ. वी. शिवादासन

31. श्री रविचंद्र वद्दीराजू

सचिवालय

1.	श्री वाई .एम .कांडपाल	संयुक्त सचिव
2.	श्री एच .राम प्रकाश	निदेशक
3.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	उप सचिव
4.	श्री गुरप्रीत सिंह	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2023-24)' संबंधी समिति का यह अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2023-24), जिन्हें 03.02.2023 को सभा पटल पर रखा गया था, की जांच की।

3. समिति ने 14.02.2023 को हुई अपनी बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ने 16.03.2023 को इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में सामग्री और जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आभार व्यक्त करती है।

5. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता हेतु उनकी सराहना करती है।

नई दिल्ली; **रमेश बिधूड़ी**

16 मार्च, 2023 *सभापति,*

25 फाल्गुन, 1944 (शक) *पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति*

भाग – एक

<u>प्रस्तावना</u>

चीन और अमरीका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊर्जा उपभोक्ता भी है। भारत की ऊर्जा आवश्यकता मुख्य रूप से कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा पूरी की जाती है। भारत की प्राथमिक ऊर्जा मांग दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण के भीतर तेल और गैस क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं क्योंकि आवश्यक ऊर्जा का एक तिहाई से अधिक हाइड्रोकार्बन द्वारा पूरा किया जाता है। बढ़ती अर्थव्यवस्था और जनसंख्या वृद्धि तेल और गैस की बढ़ती मांग के मुख्य चालक हैं।

सरकार ने ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा जैसी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू पेट्रोलियम संसाधनों के उत्पादन और दोहन को बढ़ाने के लिए कई नीतिगत सुधारों और पहलों की अगुवाई की है। इनसे व्यापार करने में आसानी, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन और मेक-इन-इंडिया पहल को बढ़ावा देने की तर्ज पर तेल और गैस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा निवेश की बाधाओं को दूर करने की भी उम्मीद है।

सरकार का वार्षिक बजट दिनांक 01.02.2023 को पेश किया गया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76 को दिनांक 03.02.2023 को लोकसभा के सभा पटल पर रखा गया था। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 331ई(1)(क) के अनुसरण में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) को संबंधित विभागों से संबंधित स्थायी समितियों को भेजा जाता है। इस प्रतिवेदन में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2021-22) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2023-24) की जांच की है।

इस पृष्ठभूमि में, अनुदान की मांगों (2023-24) की जांच के संदर्भ में प्राथमिकताओं को प्राप्त करने की दिशा में मंत्रालय के अधिदेश और उसके द्वारा की गई पहलों का बाद के पैराओं में विश्लेषण किया गया है।

क. <u>मंत्रालय का अधिदेश</u>

1.2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिदेश तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों/एजेंसियों/बोर्डों का विवरण *अनुबंध-एक* में दिया गया है।

1.3 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय वर्तमान कार्य आवंटन और कर्मचारियों की संख्या के साथ अपने जनादेश को प्राप्त करने में सक्षम है, मंत्रालय ने निम्नवत विवरण प्रस्तुत किया:

"इस मंत्रालय के मुख्य कार्य में ऊर्जा (तेल और गैस) के विभिन्न पहलुओं अर्थात अन्वेषण, शोधन, वितरण, संरक्षण और आयात/निर्यात का सुचारु रुप से संचालन शामिल है। दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ रही है और ऊर्जा की मांग में वृद्धि को पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों और अन्य नवीकरणीय स्त्रोतों के अलावा प्राकृतिक गैस, जैव-ईधन, कॉम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) सहित ऊर्जा के सभी रूपों को प्रयोग करके पूरा किया जा सकता है। इस मंत्रालय द्वारा देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ जलवायु संकट कके समाधान को अनलॉक करने के लिए नई योजनाएँ/ पहले, जैसे कि सतत, हाइड्रोजन मिशन, परिवहन प्रणाली ऑपरेटर आदि शुरु की जा रही है। हालांकि, समग्र रूप से इस मंत्रालय के कार्य में वृद्धि हुई है और इसके कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। मौजूदा कार्य आवंटन और कर्मचारियों की संख्या के साथ, मंत्रालय को अधिदेश हासिल करना मुश्किल हो रहा है. चूँकि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में अतिरिक्त नीतिगत पहले की जाएंगी, इसलिए इस मंत्रालय को आसन्न परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता होगी।"

1.4 पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय को किसी नए अधिदेश को शामिल करने के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान कोई नया अधिदेश शामिल नहीं किया गया है।

1.5 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में किए गए कार्य आबंटन के बारे में विवरण देने के लिए पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"वर्तमान में भारत सरकार के कार्य आवंटन नियमों के अनुसार इस मंत्रालय को आवंटित कार्य को संभालने के लिए इस मंत्रालय में निम्नलिखित प्रभाग हैं:

(i.) अन्वेषण प्रभाग

(ii.) रिफाइनरी प्रभाग

(iii.) विपणन प्रभाग

(iv.) गैस परियोजना प्रभाग

(v.) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग

(vi.) आर्थिक और सांख्यिकी प्रभाग

(vii.) सामान्य समन्वय और प्रशासन प्रभाग।

उपरोक्त प्रत्येक प्रभाग का नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, एएस एंड एफए की अध्यक्षता में वित्त प्रभाग है। विस्तृत पदानुक्रम संलग्न अद्यतन संगठन चार्ट में दर्शाया गया है।"

1.6 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय के अधिदेश को प्राप्त करने के लिए वर्तमान संरचना की प्रभावशीलता को देखने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

"प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशों के अनुसरण में, प्रस्तुत करने के माध्यम को युक्तिसंगत बनाया गया है। ताकि डीलेयरिंग प्रत्यायोजन में वृद्धि और एक स्तर से सीधे अन्य उच्च स्तर में वृद्धि करके निर्णय लेने में दक्षता बढाने हेतु किसी भी मामले के लिए स्तरों की संख्या 04 (चार) तक कमी की जा सकती है। इसके अलावा, ई-फाइल प्रणाली को पूरी तरह से अपनाया गया है और वास्तविक फाइलों का उपयोग कम से कम किया गया है। इसके परिणामस्वरुप कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है और कार्य का तेजी से निपटान हुआ है।"

1.7 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय के पास तेल और गैस क्षेत्र में विश्व स्तर पर विकास पर निवेश प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की है:

"रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से संबंधित विकास पर जानकारी वार्षिक आधार पर प्रौद्योगिकी बैठक आयोजित करके प्राप्त की जाती है। एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट (ईटीएम), जिसे पहले रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी मीट (आरपीटीएम) के नाम से जाना जाता था, का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में रिफाइनिंग क्षेत्र के हित के विभिन्न विषयों पर उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा एक तेल कंपनियों में से एक के सहयोग से किया जाता है।

बैठक का उद्घाटन माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री द्वारा किया गया है। प्रौद्योगिकी सम्मेलन को देश के भीतर पूरे तेल और गैस क्षेत्र से और विदेशों से अग्रणी प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं से अच्छी खासी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है।

मीट के 25वें संस्करण का आयोजन सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से किया गया था। इस कार्यक्रम को 24 प्रोसेस लाइसेंसर्स,

डिजाइन और इंजीनियरिंग कंपनियों, तेल कंपनियों, उत्प्रेरक निर्माताओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों सहित 14 विदेशी कंपनियों द्वारा प्रायोजित किया गया था। तेल कंपनियों के प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, लाइसेंसदाताओं और 6 विदेशी कंपनियों सहित सलाहकारों द्वारा अपनी विशेषज्ञता दिखाने के लिए 15 प्रदर्शनी स्टाल लगाए गए थे।"

1.8 जब समिति ने यह जानना चाहा कि क्या पेट्रोरसायन विभाग, जो वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है, को रिफाइनरियों में पेट्रोरसायन एकीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर तालमेल के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रण में खरीदा जाना चाहिए, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"जी हाँ, रिफाइनरियों को पेट्रो रसायन के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि भविष्य में नवीकरणीय द्वारा ऊर्जा संक्रमण और पारंपरिक परिवहन ईंधन के प्रतिस्थापन को संबोधित करने के लिए अपनी लाभप्रदता और स्थिरता में सुधार किया जा सके। रिफाइनरियां पेट्रो रसायन फीडस्टॉक और इंटरमीडिएट्स जैसे प्रोपलीन, नेफ्था, एरोमैटिक्स, रिफाइनरी ऑफगैस सहित पीटीए की प्रमुख उत्पादक हैं, जिन्हें फीडस्टॉक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पहले से ही पॉलिमर, एलएबी, आदि के प्रमुख उत्पादक हैं।

महत्वपूर्ण उपोत्पाद हाइड्रोजन सहित धाराओं और उपयोगिताओं को साझा करने के कारण भी लाभ अर्जित होते हैं, जिनका उपयोग रिफाइनरियों में किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकियों में हाल की प्रगति में कच्चा तेल से रसायन, रिफाइनरी इकाइयों से मेथनॉल के मूल्यवर्धन के लिए सीओ2 कैप्चर आदि शामिल हैं।

इसलिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत पेट्रो रसायन विभाग को लाना कार्यनीतिक रूप से एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि यह पेट्रो रसायन में बढ़ते आयात और आत्मनिर्भरता को पूरा करने के लिए पेट्रो रसायन इकाइयों की योजना और कार्यान्वयन में बेहतर तालमेल लाएगा।

तथापि, इस पर हितधारकों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है।"

ख. <u>बजटीय आवंटन</u>

1.9 मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को कुल बजटीय आवंटन के साथ-साथ वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2022-2023 में किया गया वास्तविक व्यय **2021-22** में किया

गया व्यय एवं विगत दो वर्षों में किये गये आवंटन और किये गये व्यय के विवरण के संबंध में निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की:

										(करोड़ रूपए में)
योजना का नाम	**बीई 2020-21**	**आरई 2020-21**	**वास्तविक 2020-21**	**बीई 2021-22**	**आरई 2021-22**	**वास्तविक 2021-22**	**बीई 2022-23**	**आरई 2022-23**	**वास्तविक 2022-23 (31.1.2023 तक)**	**बीई 2023-24**
राजस्व										
नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना								245.00		500.00
इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड आईजीजीए) (ल– पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का हिस्सा	0.00	180.00	180.00	500.00	850.00	850.00	1798.27	1798.27	1528.53	1800.00
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	38.37	40.07	34.33	45.41	47.15	36.87	49.16	49.16	34.11	51.90
एलपीजी के लिए डीबीटी	35605.00	25520.80	23666.61	12480.00	3400.00	177.05	4000.00	180.00	10.95	180.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देय अन्य राजसहायता घरेलू) (प्राकृतिक गैस	457.21	498.00	494.62	450.00	391.00	391.00	811.00	811.00	744.29	1633.02
परियोजना प्रबंधन व्यय	76.00	98.64	98.64	65.00	65.00	241.64	64.00	32.00	9.88	52.00
मिट्टी तेल के लिए डीबीटी	41.00	39.00	5.83	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देय	3176.	2677	2677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अन्य राजसहायता मिट्टी का) (तेल	00	.32	.30							
बीपीसीएल/ असम गैस क्रैकर कॉम्प्लेक्स को फीडस्टॉक राजसहायता	0.00	265.04	1700.00	1078.35	104 2.92	1042.92	137.50	137.50	116.88	392.06
गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (पीएमयूवाई)	1118.00	9690.00	9235.42	0.00	161 8.00	1568.44	800.00	8010.00	680	0.01
इंडियन स्ट्रेटैजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ओ) (एंड एम को भुगतान	155.00	178.24	178.24	186.34	163.54	129.49	210.58	178.87	123.27	202.81
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया- फूलपुर धामरा हल्दिया पाइपलाइन परियोजना	728.03	728.03	728.03	250.00	499.71		0.00	0.00	0.00	0.00
प्रधानमंत्री जीवन - योजना	53.00	31.80	0.00	233.31	189.38	151.50	314.36	83.34	0.00	227.26
पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड पीएनजीआर) (बी	23.53	3.48	3.48	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सोसायटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी	2.84	2.84	2.80	2.84	2.84	1.6928	2.88	1.66	0.00	1.24
भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान	31.82	45.51	281.82	95.00	95.00	23.75	150.00	100.00	0.00	168.00

(आईआईपीई), विशाखापत्तनम की स्थापना										
उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और परिवहन (पोत परिवहन राजसहायता)										290.44
राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी (आरजीआईपीटी), असम की स्थापना	1.00	0.01	**0.00**	32.00	**32.00**	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऊर्जा के लिए उत्कृष्टता केंद्र, बंगलौर की स्थापना	1.00	0.01	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य सरकारों को विभेदक रॉयल्टी का भुगतान	43.20	23.20	13.54	24.00	0.93	0.878	1.11	1.11	1.11	0.00
मिट्टी तेल के वितरण में सुधार के लिए राज्यों को नकद प्रोत्साहन	442.00	266.00	576.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग राजस्व खंड	**41994.00**	**4028 8.00**	**3987 6.88**	**1551 6.78**	**844 8.47**	**4816. 76**	**833 9.86**	**1138 2.91**	**3163. 34**	**5498. 74**
										(करोड़ रूपए में)

योजना का नाम	बीई 2020-21	आरई 2020-21	वास्तविक 2020-21	बीई 2021-22	आरई 2021-22	वास्तविक 2021-22	बीई 2022-23	आरई 2022-23	वास्तविक 2022-23 (31.1.2023 तक)	बीई 2023-24
पूंजी										
इंडियन स्ट्रेटैजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान	690.00	2550.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
चरण-II कंदराओं के निर्माण के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान	10.00	0.01	0.00	210.00	210.00	210.00	600.00	40.01	0	508.00
राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम	207.00	63.00	63.00	217.00	187.66	137.3066	0.00	0.00	0	0.00
ओएमसी को पूंजीगत सहायता										30000.00
सचिवालय आर्थिक सेवाएं										0.98
योग पूंजी खंड	**907.00**	**2613.01**	**2313.00**	**427.00**	**397.66**	**347.3066**	**600.00**	**40.01**		**35508.98**
कुल योग (राजस्व + पूंजी)	**42901.00**	**42901.01**	**42189.88**	**15943.78**	**8846.13**	**5164.0666**	**8939.86**	**11422.92**	**3163.34**	**41007.72**

ग . <u>बजट वर्ष 2023-24 में पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए नई घोषणाएं</u>

1.10 बजट वर्ष 2023-24 में पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए नई घोषणाओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

(i) ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्राथमिकतापूर्ण पूंजी निवेश के लिए प्रदान किए गए।

(ii) मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर कैसकेडिंग प्रभाव को टालने के लिए इसमे मौजूद संपीड़ित बायो गैस पर भुगतान किए गए जीएसटी पर उत्पाद शुल्क से छूट का प्रस्ताव।

(iii) चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिर्सोसेज धन) के तहत 500 नए 'अवशिष्ट से नई वस्तुओं का उत्पादन करने वाले' संयंत्र शामिल हैं। इनमें कुल 10000 करोड़ रूपए के निवेश पर 200 संपीड़ित बायो गैस संयंत्र और 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र शामिल हैं।

1.11 दिनांक 14.02.2023 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने 35,000 करोड़ रुपये ओएमसी को आवंटन पर विस्तार से निम्नवत बताया:

"…..इस 35 हजार करोड़ के दो हिस्से हैं। सर्वप्रथम 30 हजार करोड़ रुपये और दूसरा 5 हजार करोड़ रुपये। 5 हजार करोड़ रुपये के बारे में मैं आगे बताऊंगा। 30 हजार करोड़ रुपये हम तीन ऑयल कंपनीज़ को देंगे, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यह इन्हें बतौर इक्विटी दिया जाएगा। यह किसलिए दिया जाएगा? सबसे पहले तो एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो की बात करें, तो इसमें हमारी तीनों ऑयल कंपनीज़ कई प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं, जिसमें सर्वप्रथम प्रोजेक्ट जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसमें अग्रणी भूमिका हमारी ऑयल कंपनीज की होगी। ये अपनी रिफाइनरीज़ में प्रोड्यूस भी करेंगे और कंज्यूम भी करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें पैसे की आवश्यकता होगी। हमारी तीनों ऑयल कंपनीज ने यह सार्वजनिक एनाउंसमेंट किया है कि स्कोप वन एवं स्कोप टू एमीशंस एक निश्चित समय सीमा में जीरो कर देंगे। स्कोप वन और स्कोप टू एमीशंस को मान लीजिए हम 2040 और 2046 में अगर जीरो करना है तो उसके लिए हमें इनवेस्टमेंट्स आज से शुरू करनी होंगी। उसके लिए आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमारे स्पोक वन और स्पोक टू के एमीशंस जीरो हो जाएं। हमारे जो स्पोक वन और स्पोक टू के प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें ये समाविष्ट हैं।"

1.12 नई बजट घोषणा पर आगे विस्तार से गोबरधन के सम्बन्ध में (जैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निम्नवत प्रस्तुत किया:

> "....जो 500 प्लांट्स गोबरधन के बारे में कहे गये हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें दो मंत्रालयों का ज्यादा रोल है। पहला मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, जो गोबरधन स्कीम को पूरी तरह से चलाते हैं और दूसरा हमारा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस है। 300 प्लांट्स डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के तहत चलेंगे। वे कमर्शियल यूज के लिए नहीं हैं। वे दो टन प्रति दिन की क्षमता से कम के प्लांट्स हैं। 200 ऐसे प्लांट्स हैं, जिनकी क्षमता दो टन से अधिक है। जहां पर गैस का कंप्रेशन होगा, गैस का फिल्ट्रेशन होगा और वह ऐसी गैस जिसको आप गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइप नैचुरल गैस में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको नॉर्मल नैचुरल गैस के साथ भी ब्लैंड कर सकते हैं। ऐसे 200 प्लांट्स का बीड़ा हमने उठाया है। इनमें से लगभग 75 प्लांट्स शहरों में होंगे, जो म्युनिसिपल सॉलिड वैस्ट बेस्ड होंगे। बाकी प्लांट्स काऊ डंग, पराली या उसी तरह की कोई एग्रीकल्चर वैस्ट, गन्ने से जो प्रेस मड वैस्ट के रूप में निकलता है, इन सब चीजों पर अलग-अलग जगह, जहां पर जिसकी उपलब्धता है, वहां इस तरह का काम करके ये वैस्ट टू वेल्थ प्लांट्स आएंगे।"

1.13 यह पूछे जाने पर कि क्या गोबरधन योजना (जैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) की 'वेस्ट टू वेल्थ' योजना के तहत **200** नए सीबीजी प्लांट स्थापित करने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया गया है और इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी**,** मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की है:

> "बजट भाषण 2023 के अनुसार, सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्र और 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र शामिल हैं।
>
> एमओपीएनजी की सतत पहल के तहत ये 200 सीबीजी परियोजनाएं मुख्य रूप से निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाएंगी। इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समन्वय

करेगा। 200 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना की सुविधा के लिए निम्नलिखित योजना तैयार की गई है:

(क) डीडीडब्ल्यूएस गोबरधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।

(ख) एमओपीएनजी प्राकृतिक गैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों द्वारा 5% अनिवार्य सम्मिश्रण के लक्ष्य को लागू करेगा। एमओपीएनजी भी (क) सीबीजी संयंत्र संचालकों को बायोमास संग्रह और (ख) संयंत्र से शहर गैस वितरण ग्रिड तक पाइपलाइन कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(ग) उर्वरक विभाग एफओएम सहित जैविक खाद के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाएगा।

(घ) कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू) को पूर्व-स्थलीय फसल अवशेष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए एसएमएएम योजना में उपयुक्त संशोधन करके बायोमास आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना में सहायता करने का प्रयास किया जाएगा।

(ड.) एम्ओएचओयू शहरी क्षेत्रों में 75 एम्एसडब्लू आधारित सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए सुविधा प्रदान करेगा और उपयुक्त कदम उठाएगा।

(च) बैंकों को कम संपार्श्विक पर सीबीजी परियोजनाओं के लिए कम लागत वाला वित्त प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा".

1.14 यह पूछे जाने पर कि **30,000** करोड़ रुपये के परिव्यय का उपयोग और तेल विपणन कंपनियों के बीच वितरण कैसे किया जाएगा**,** मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"मंत्रालय सरकारी क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों अर्थात आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के उर्जा बदलाव, उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने और देश की उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के पूंजी के लिए उनके प्रयासों में पूंजीगत व्यय के लिए बजट 2023-24 में उपलब्ध 30,000 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान करेगा। इसका ओएमसी वार आवंटन विभिन्न कैपेक्स परियोजनाओं के लिए इन ओएमसीज की आवश्यकता आईईबीआर की उपलब्धता, वित्तीय स्थिति आदि के आधार पर किया जाएगा।""""""""

घ . इंडियन स्ट्रेटैजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल)

1.15 जब निम्नवत वित्तीय वर्षों के लिए विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पाडुर आईएसपीआरएल परियोजनाओं के लिए आवंटित धन की मात्रा का विवरण माँगा गया, तो मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की:

	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	बीई	आरई	वास्तविक*	बीई	आरई	वास्तविक*	बीई	आरई	वास्तविक (दिनांक 31.01.2023 स्थिति के अनुसार)**	बीई
इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल द्वितीय चरण (कंदराओं का निर्माण)	10	0.01	0.00	210.00	210.00	210.00	600.00	40.01	0.00	508
इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को क्रूड ऑयल रिजर्व के लिए भुगतान	690	2550	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000
आईएसपीआरएल को भुगतान (ओएंडएम)	155	178.24	178.24	186.34	163.54	129.49	210.58	178.87	123.27	202.81
योग	**855.00**	**2728.25**	**2428.24**	**396.34**	**373.54**	**339.49**	**810.58**	**218.88**	**123.27**	**5710.81**

* वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक आंकड़े केंद्रीय बजट के व्यय बजट खंड में दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार लिए गए हैं (अनुदान की मांगों पर संलग्न नोट, 2022-2023 और 2023-24, एमओपीएंडएनजी की मांग संख्या 76 देखें)।

** वित्त वर्ष 2022-23 (31.01.2023 तक) के लिए वास्तविक पुस्तकों के अनुसार लिए गए हैं।

1.16 आईएसपीआरएल परियोजनाओं के चरण दो की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की:

"दिनांक 08.07.2021 को, कैबिनेट सचिवालय ने चरण II के तहत चंडीखोल, ओडिशा (4 एमएमटी) और पादुर II, कर्नाटक (2.5 एमएमटी) में वाणिज्यिक सह कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार के विकास और पीपीपी मोड के तहत वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर और दोनों स्थानों के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी करने के लिए डिजाइन, निर्मित पर समर्पित एसपीएम्स और संबद्ध पाइपलाइनों के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ।

ओडिशा सरकार चंडीखोल परियोजना के लिए भूमि आवंटन के आवेदन का मूल्यांकन कर रही है। अभी आवंटन के लिए ओडिशा सरकार की मंजूरी का इंतजार है। भूमि आवंटन पर चर्चा करने और उसमें तेजी लाने के लिए सीईओ और एमडी, आईएसपीआरएल ने 11 मार्च 2022 को ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव से मुलाकात की और 8 अप्रैल 2022 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार से मुलाकात की। इसके अलावा, सीईओ और एमडी, आईएसपीआरएल ने 9 दिसंबर को सीएम आवास पर सचिव 5टी-श्री पांडियन से भी मुलाकात की।

पाडुर परियोजना के लिए, आईएसपीआरएल ने केआईएडीबी को 210 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता बताई है। केआईएडीबी द्वारा प्रारंभिक राजपत्र अधिसूचना की गई है। आर एंड आर समिति का गठन किया गया है और मुआवजे की दरें डीसी उडुपी द्वारा तय की जाएंगी।

आईएसपीआरएल अधिकारी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आरएंडआर पैकेज को अंतिम रूप देने और संयुक्त मापन गतिविधि में तेजी लाने के लिए डीसी उडुपी और एसएलएओ के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं। डीसी उडुपी द्वारा भूमि के लिए मुआवजे की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। डीसी उडुपी ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर ग्रामीणों और स्थानीय पणधारकों के साथ 2 मार्च 2022 को एक बैठक की। आगे डीसी उडुपी ने ग्रामीणों और पणधारकों के साथ 09.06.2022 को एक और बैठक की जिसमें ग्रामीणों ने जेएमसी शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। डीसी कार्यालय उडुपी में 04.07.2022 को आयोजित एक बैठक में, डीसी ने कापूतालुक के तहसीलदार को

ग्रामीणों के लिए राजस्व अदालत आयोजित करने का निर्देश दिया है ताकि संयुक्त मापन प्रमाणन (जेएमसी) के आधार पर दावों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सके। मुआवजे के निर्धारण के लिए विभिन्न राजस्व दस्तावेजों को सत्यापित करने की आवश्यकता है और इसकी प्रक्रिया अब प्रगति पर है।""

1.17 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण-दो (कंदराओं का निर्माण) के लिए परिव्यय को बजट अनुमान 2022-23 में 600 करोड़ रुपए से घटाकर संशोधित अनुमान 2022-23 में 40.01 करोड़ रुपए कर दिए जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आईएसपीआरएल ने सरकार को चंडीखोल परियोजना में 400 एकड़ जमीन के आवंटन के लिए सितंबर 2019 में ओडिशा और नवंबर 2020 में कर्नाटक सरकार को पाडुर परियोजना के लिए 210 एकड़ जमीन के लिए आवेदन किया था। संबंधित राज्य सरकारों के साथ भूमि आवंटन की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है और राज्य सरकार से भूमि के आवंटन के लिए प्रत्याशित भुगतान की मांग नहीं उठाई गई है। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2022-23 में अनुरोध किए गए 600 करोड़ रुपये की तुलना में लक्ष्य को घटाकर 40 करोड़ कर दिया गया है;

योजना शीर्षक	**बीई 2022-23 अनुरोध ब्रेक-अप**	**अनुरोध, करोड़ रुपये में**
चरण-दो (कंदराओं का निर्माण)	चंडीखोल (उड़ीसा) परियोजना भूमि हेतु	100
	पाडुर परियोजना पहला मील का पत्थर परियोजना लागत का 6%	208
	चंडीखोल परियोजना का पहला मील का पत्थर परियोजना लागत का 4%	210
	आकस्मिक व्यय	82
	2021-22 के लिए कुल बजट अनुमान	600

- चूंकि दोनों स्थानों पर भूमि आवंटन संबंधित राज्य सरकारों के पास लंबित है, इसलिए परियोजना शुरू नहीं की जा सकी।

- पादुर भूमि के पुनर्वास पैकेज के लिए 82 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि का अनुमान लगाया गया था, जिसे संशोधित बजट अनुमान में 40.01 करोड़ रुपये कर दिया गया है।".

1.18 यह पूछे जाने पर कि वित्त वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान कितनी क्षमता जोड़ने की योजना बनाई गई है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

" वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना नहीं बनाई गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, आरएफपी को अंतिम रूप देने और उल्लेखनीय भुगतान गतिविधियां अपेक्षित है। परियोजना को निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से 72 महीने यानी 2030-31 तक इस धारणा के साथ पूरा किया जाना है कि भूमि आवंटन और रियायतग्राही को अंतिम रूप देने का काम वर्ष 2023-24 में पूरा हो जाए।"

1.19 मौजूदा रिफाइनरियों के पास 10 से 15 दिनों के कच्चे तेल के क्षमता वाले एक रणनीतिक कैवर्न के निर्माण के बारे में मंत्रालय/आईएसपीआरएल के विचार के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत:

"सामरिक भंडार की आवश्यकता राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। भूविज्ञान, पोर्ट कनेक्टिविटी और मौजूदा रिफाइनरियों से निकटता को देखते हुए रणनीतिक भंडार बनाए गए हैं। चरण 1 में निर्मित सभी तीन रणनीतिक भंडार पाइपलाइन के माध्यम से मौजूदा रिफाइनरियों से जुड़े हुए हैं। कच्चे तेल की अनुपलब्धता के कारण रिफाइनरी की अचानक आवश्यकता के मामले में, कच्चे तेल को मौजूदा आस-पास की रिफाइनरियों से जुड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से तुरंत पंप किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सदस्य देशों को अपने देशों के लिए 90 दिनों की आवश्यकता के लिए कच्चे तेल के भंडारण को बनाए रखना आवश्यक है।

चरण-I में सामरिक भंडारों के सफल चालू होने के बाद, भारत सरकार ने पीपीपी मोड में भूमिगत अनलाइन्ड रॉक कैवर्न भंडारण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्रमशः 4.0 एमएमटी और 2.5 एमएमटी की भंडारण क्षमता के साथ दो स्थानों ओडिशा में चंडीखोल और कर्नाटक में पादुर II में एसपीआर बनाने की योजना बनाई है। चरण II में अतिरिक्त कैवर्न, जिनका निर्माण करने की परिकल्पना की गई है, मौजूदा रिफाइनरियों के करीब होंगी और क्रमशः आईओसीएल (पारादीप) और एमआरपीएल (मंगलौर) रिफाइनरियों से जुड़ी होंगी। मैसर्स आईओसीएल की मौजूदा कच्चे तेल की पाइपलाइन अन्य रिफाइनरियों जैसे पारादीप,

हल्दिया और बरौनी और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अन्य रिफाइनरियों के उपयोग के लिए आगे कनेक्टिविटी बना सकती है। क्षमता में वृद्धि से कच्चे तेल की आवश्यकता के 12 दिनों में वृद्धि होगी। आईएसपीआरएल एचपीसीएल की आगामी बाड़मेर रिफाइनरी के पास बीकानेर में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी और साल्ट कैवर्न के पास कैवर्न की संभाव्यता की भी खोज कर रही है। हम देश के अन्य स्थानों में भी भंडारण की जांच कर रहे हैं।"

1.20 मौखिक साक्ष्य के दौरान विषय पर आगे विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया:

"अब हमारा एक कैवर्न खाली है। अब उस कैवर्न को भरने का समय आ रहा है। हमें इसलिए बजट दिया गया है कि जहां भी हमें अच्छी डील मिले, वहां से हम खरीदकर अपनी कैवर्न को भरें, ताकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी वापस उस लेवल पर आ सके, जिसके लिए वह डिजाइन की गई थी। यह पांच हजार करोड़ रुपये उसके लिए हैं।."

1.21 यह पूछे जाने पर कि क्या प्रस्तावित नई सीपीसीएल रिफाइनरी के साथ तमिलनाडु में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कैवर्न के निर्माण का कोई प्रस्ताव है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :

"प्रस्तावित नई रिफाइनरी परियोजना के तहत किसी कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की परिकल्पना नहीं की गई है।**"**

1.22 भारत में रिफाइनरियों के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से कच्चा तेल जारी करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:

"'सरकार की नीति के अनुसार, सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति जो दिनाँक 06.01.2006 के मंत्रिमंडल नोट के अनुसार एक अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति है जिसके अध्यक्ष सचिव, एमओपीएंडएनजी हैं और इसमें सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय; सचिव, गृह मंत्रालय; सचिव, योजना आयोग; सचिव, रक्षा; सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय सदस्य के रूप में शामिल हैं जो कि किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपूर्ति में व्यवधान अथवा किसी अप्रत्याशित वैश्विक घटना की स्थिति, जिससे आपूर्ति में कमी/मूल्यों में असामान्य वृद्धि की स्थिति में भंडारों से तेल जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं। देश की निजी रिफाइनरियों सहित विभिन्न रिफाइनरियों

को कार्यनीतिक कच्चे तेल की बिक्री, यदि और जब भी समिति द्वारा आपात स्थिति में तय किया जाए, कच्चे तेल का मूल्य अधिग्रहण लागत अथवा पुन: तेल भरने की लागत (उस समय प्रचलित मूल्य), इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा। कार्यनीतिक कच्चे तेल के बिक्री मूल्य का निर्धारण करते समय पारेषण/प्रचालन में होने वाली हानियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।'

ड.. <u>राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी)</u>

1.23 आरजीआईपीटी के संबंध में बजटीय आवंटन निम्नानुसार हैं:

राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी (आरजीआईपीटी)असम (करोड़ रुपए में)

2020-21			2021-22			2022-23 (दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार)			2023-24
बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई
1.00	0.01	0.00	32.00	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.24 वर्ष **2021-22** के दौरान किए गए कार्यों के विवरण के साथ राय बरेली में आरजीआईपीटी परिसर और शिवसागर, असम में आरजीआईपीटी के अद्यतन स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:

आरजीआईपीटी, जायस अमेठी में चल रहा निर्माण कार्य

(दिनांक 24.11.2022 के अनुसार स्थिति)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि + संविदा प्रावधानों के अनुसार अन्य (करोड़ रुपए में)	दिनांक 26.10.2022 तक दी गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	शेष
1.	कार्य भवन, विवाहित आवास एवं निदेशकों के बंगले का निर्माण	14.99	9.54	5.45
2.	कन्या छात्रावास का निर्माण	8.56	6.00	2.56
3.	आरजी प्लाजा के दोनों विंग में चौथी मंजिल का निर्माण	3.50	2.00	1.50

4.	बालक छात्रावास का निर्माण	53.01	7.43	45.58
5.	एबी4 बिल्डिंग का निर्माण- इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स	6.78	1.90	4.88
6.	एबी5 भवन का निर्माण	14.27	1.20	13.07
7.	पायलट प्रोजेक्ट लैब	0.77	0.22	0.55
		101.88	**28.29**	**73.59**

असम ऊर्जा संस्थान, शिवसागर में निर्माण कार्य चल रहा है

24.11.2022 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	**कार्य का विवरण**	**निविदा राशि (करोड़ रुपए में)**	**दिनांक 26.10.2022 तक दी गई धनराशि (करोड़ रुपए में)**	**शेष**
1.	बाउंड्रीवॉल का निर्माण	14.30	4.86	9.44
2.	कन्या छात्रावास भवन का निर्माण	6.26	2.08	4.18
3.	निर्माण भोजन कक्ष भवन	5.29	1.64	3.65
4.	02 नग बालक छात्रावास भवन का निर्माण	12.21	7.98	4.23
5.	निर्माण शैक्षणिक भवन	12.28	7.69	4.59
6.	अन्य महत्वपूर्ण कार्य, जैसे सड़क, सीवेज, ओवरहेड वाटर टैंक और शाश्वत विकास	1.70	-	1.70
7.	बालकों के लिए अतिरिक्त छात्रावास भवन बालिकाओं के लिए अतिरिक्त छात्रावास भवन	25.39	11.82	13.57
8.	संकाय आवास भवन का निर्माण	29.15	2.96	26.19
9.	गेट कॉम्पलैक्स का निर्माण	3.14	0.26	2.88
		109.72	**39.29**	**70.43**

1.25 राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), शिवसागर, असम के संगठनात्मक ढांचे, कार्यप्रणाली, वित्तपोषण, स्वीकृत और वास्तविक कार्यबल की संख्या, प्रस्तावित पाठ्यक्रमों और क्या संस्थान के असम परिसर द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम अमेठी परिसर द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के समान हैं, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:

"राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), शिवसागर, असम केंद्र अर्थात् असम ऊर्जा संस्थान (एईआई) शैक्षणिक सत्र 2017-18 से चालू है। संस्थान की स्थापना तेल और गैस क्षेत्र के लिए कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। इस केंद्र का पूर्ण नियंत्रण आरजीआईपीटी, जायस के पास है और निदेशक, आरजीआईपीटी संस्थान के प्रमुख हैं। अकादमिक सीनेट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और आरजीआईपीटी की सामान्य परिषद एईआई की अकादमिक और प्रशासनिक गतिविधियाँ चलाती हैं। सांविधिक संशोधन द्वारा केंद्र को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

एईआई का वित्तपोषण सरकार, ओआईडीबी के बजटीय सहायता के माध्यम से प्रबंधित होता है और साथ ही, तेल पीएसयूज़ से भी निधि प्राप्त होती है।

शैक्षणिक कार्यबल की स्वीकृत संख्या 36 है जबकि वास्तविक कार्यबल 23 है। गैर-शैक्षणिक कार्यबल 40 है जबकि वास्तविक कार्यबल 11 है।

एईआई केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फायर एंड सेफ्टी इंजीनिरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और पाइपिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। उपर्युक्त विषयों में पीएचडी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

वर्तमान में, एईआई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के डोमेन क्षेत्रों में 3 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम चला रहा है जबकि आरजीआईपीटी, जायस पेट्रोलियम और ऊर्जा के डोमेन क्षेत्र में बी.टेक, एम.टेक, पीएचडी और एमबीए पाठ्यक्रम चला रहा है। इसके अलावा, एईआई के डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), जायस, अमेठी से बीटेक डिग्री प्राप्त करने के लिए लैटेरल एन्ट्री की योजना है।

यह पूछे जाने पर कि क्या आरजीआईपीटी, शिवसागर, असम में आरजीआईपीटी, अमेठी की तरह बी.टेक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:

"एईआई में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और पीएचडी डिग्री चलाए जा रहे हैं जबकि आरजीआईपीटी, अमेठी में बी.टेक., एम.टेक., पीएचडी और एमबीए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।"

च. <u>भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), विशाखापत्तनम</u>

1.26 विशाखापत्तनम में आईआईपीई की स्थापना के संबंध में कुल बजटीय आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

2020-21			**2021-22**			**2022-23 (01.01.2023 की स्थिति के अनुसार)**			**2023-24**
बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई
31.82	45.51	281.82	95.00	95.00	23.75	150.00	100.00	0.00	168.00
नोट :वित्त वर्ष 2020 - 21में, आईआईपीई को बंदोबस्ती निधि के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए गए									

1.27 वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए कार्यों के विवरण के साथ आंध्र प्रदेश में आईआईपीई की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

""""आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी), भारत सरकार के तत्वावधान में विशाखापत्तनम में वर्ष 2016 में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) की स्थापना की है। प्रारंभ में, संस्थान को आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किया गया था और बाद में, संसद द्वारा अधिनियमित

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा अधिनियम, 2017 (2018 की संख्या 3) ने इसे 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया।

अपनी स्थापना के बाद से, संस्थान दूसरी मंजिल, मुख्य भवन, आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित अस्थायी परिसर से संचालित हो रहा है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने आईआईपीई के लिए स्थायी परिसर के निर्माण के लिए सर्वेक्षण संख्या 135 और 241 में वंगाली गांव, सब्बावरम मंडल, अनाकापल्ली जिले) पहले विशाखापत्तनम जिले में (में201 . 80एकड़ भूमि आवंटित की है और फरवरी 2019 में सौंप दी गई है ।"

आवंटित भूमि का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	भूमि का विवरण	टिप्पणियां
(क)	एसीएस 157.36 सीटीएस	आंध्र प्रदेश सरकार ने जनवरी, 2022 में संस्थान के नाम पर स्वामित्व दिया है।
(ख)	एसीएस 22.96 सीटीएस	संस्थान के नाम पर उत्परिवर्तन के लिए लंबित।
(ग)	एसीएस 21.48 सीटीएस	किसानों द्वारा दायर अदालती मामलों के कारण म्यूटेशन के लिए लंबित।

संस्थान ने नवंबर, 2019 में 'आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (एपीआइआईसी)' को अलग-थलग पड़ी जगह में चारदीवारी के निर्माण और स्थायी परिसर में भवनों के निर्माण के लिए सीपीडब्यूारद डी को कार्यकलाप सौंपे हैं।

तथापि, निर्माण गतिविधियों में किसानों द्वारापहुंचाई गई बाधा के कारण, संस्थान ने फरवरी, 2022में आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका रिट याचिका संख्या6455 / 2022दायर की है, जो याचिकाकर्ता किसानों द्वारा दायर लंबित रिट याचिकाओं के खिलाफ है। किसानों को मुआवजे से संबंधित मुद्दों के शीघ्र निपटान और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के लिए आईआईपीई के लिए आवंटित भूमि का हिस्सा।

इस संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय ने अगस्त, 2022 में 2022 का एक अंतरिम आदेश आईए 1 पारित किया है और आंध्र प्रदेश सरकार को 45 दिनों के भीतर किसानों को देय पात्रता और आर एंड आर पैकेज की जांच करने और माननीय उच्च न्यायालय के साथ उपयुक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी पक्ष द्वारा संस्थान की निर्माण गतिविधियों में बाधा न डाली जा सके।

इसके अलावा, संस्थान ने उक्त अंतरिम आदेश में 'सरकार द्वारा किसानों को शेष राशि जमा करने पर' शर्त हटाने के हेतु आंशिक संशोधन के लिए अक्टूबर, 2022के महीने में एक रिट अपील814 / 2022दायर की है। ताकि आईआईपीई , आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में राशि जमा करने की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत अपनी निर्माण गतिविधियों को शुरू कर सके।

इस संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक15 .12. 2022की आईआईपीई रिट अपील संख्या814 / 2022में 2022 के आदेश आई संख्या 2 ए पारित किया है कि डब्ल्यूपी नंबर 6455 में रिट याचिकाकर्ता आईआईपीई द्वारा एसी के एस नंबर 135 और 241में201 . 80सेंट, 2022के विस्तार में विश्वविद्यालय, परिसर भवनों और अन्य संरचनाओं की निर्माण गतिविधियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, बाधा या बाधा नहीं होगी और यदि ऐसी कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो वे आईआईपीई के आग्रह पर आपराधिक और नागरिक कार्रवाइयों के अलावा अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे।

उपर्युक्त के आधार पर, एपीआईआईसी ने अब परित्यक्त भूमि में सीमा दीवार के निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है। संस्थान ने भवनों के लिए वैचारिक आरेखण को भी अंतिम रूप दे दिया है और सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दिया है।

मूल समय सीमा और लागत अनुमान :विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, संस्थान के बुनियादी ढांचे के विकास को दो चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव था। प्रस्तावित दो चरणों की अवधि निम्नानुसार है:

चरण1 - वर्ष 0 से वर्ष 3 (वित्त वर्ष2014 - 15से वित्त वर्ष2017 -18)
चरण2 - वर्ष 4 से वर्ष 7 (वित्त वर्ष2018 - 19से वित्त वर्ष2020 -21)

स्थायी परिसर के निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मूल परिव्यय655 . 47 करोड़रुपए है।

संशोधित समय-सीमा और लागत अनुमान :कानूनी मुद्दों और संस्थान को भूमि सौंपने में देरी के कारण, दो चरणों की संशोधित समय-सीमा निम्नानुसार प्रस्तावित है:

चरण 1- वर्ष 1 से वर्ष 3 (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक)*
चरण 2- वर्ष 4 से वर्ष 5 (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2026-27 तक)*
('*' कोविड-19 के कारण सामान्य परिस्थितियों के प्रचलित होने के अधीन)।

जीएसटी और मुद्रास्फीति के कारण स्थायी परिसर के निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संशोधित लागत अनुमान928 . 66 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।"

1.28 संशोधित अनुमान 2022-23 में परिव्यय में 150 करोड़ रुपये के स्वीकृत व्यय से घटाकर 100 करोड़ रुपये करने और बजट अनुमान 2023-24 में 168 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन को देखते हुए आईआईपीई पर बीई और आरई अनुमानों में भिन्नता के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित अपने अस्थायी परिसर से काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सब्बावरम मंडल, अनाकापल्ली जिला (पहले विशाखापत्तनम जिले में) में आईआईपीई के लिए स्थायी परिसर के निर्माण के लिए नि: शुल्क 201.80 एकड़ जमीन आवंटित की है और फरवरी, 2019 में सौंप दी गई है ।

किसानों द्वारा किए जाने वाली मुकदमेबाजी के कारण आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था जिसके चलते आईआईपीई के स्थायी परिसरों के लिए निर्माण सम्बन्धी गतिविधियाँ नहीं की जा सकीं। दिनाँक 15.12.2022 को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से उक्त न्यायालयी मामले का समाधान हो गया है और आईआईपीई ने निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है। आगामी निर्माण गतिविधियों के दृष्टिगत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 168 करोड़ रुपए का बीई अनुमान का प्रस्ताव किया गया है।".

छ. <u>बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (पीएमयूवाई)</u>

1.29 गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन योजना (पीएमयूवाई) के संबंध में, गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन योजना के लिए परिव्यय को संशोधित अनुमान 2022-23 में बढ़ाकर 8010 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो बजट अनुमान 2022-23 में 800 करोड़ प्रदान किया गया था। बजट अनुमान 2023-24 के लिए केवल 1 लाख रुपये की टोकन राशि उपलब्ध कराई गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान गरीब परिवारों को दिए जाने वाले नए एलपीजी कनेक्शन, 2022-23 में उज्ज्वला लाभार्थियों द्वारा औसत रिफिल दर और उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन चाहने वाले गरीब परिवारों की बाकी संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर निम्नवत बताया :

“उज्ज्वला 2.0 के तहत आवंटित अतिरिक्त 60 लाख नए कनेक्शनों की तुलना में, ओएमसी ने वित्त वर्ष 2022-23 में योजना के तहत पहले ही 60 लाख पीएमयूवाई कनेक्शन जारी कर दिए हैं। जनवरी 2023 की समाप्ति तक, ओएमसीज को उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत 7.8 लाख स्वीकृत आवेदन प्राप्त हुए हैं जो कनेक्शन जारी करने के लिए लंबित हैं। 2022-23 में अब तक पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा किए जा रहे कुल खपत के अनुसार, पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रो-रेटेड खपत प्रति पीएमयूवाई लाभार्थी प्रति वर्ष 14.2 किलोग्राम के 3.5 सिलेंडर होने का अनुमान है।

राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उज्ज्वला 2.0 के तहत जारी राज्यवार कनेक्शन		
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कनेक्शनों की संख्या**
1	चंडीगढ़	569
2	दिल्ली	43,594
3	हरियाणा	29,097
4	हिमाचल प्रदेश	2,525
5	जम्मू और कश्मीर	7,110
6	लद्दाख	1
7	पंजाब	48,514
8	राजस्थान	3,10,247
9	उत्तर प्रदेश	7,98,372
10	उत्तराखंड	48,157
	कुल योग उत्तर	12,88,186
11	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46
12	अरुणाचल प्रदेश	1,514
13	असम	4,24,243
14	बिहार	6,39,296
15	झारखंड	1,74,072
16	मणिपुर	23,691
17	मेघालय	41,847

18	मिजोरम	3,962
19	नागालैंड	14,956
20	ओडिशा	1,37,729
21	सिक्किम	1,341
22	त्रिपुरा	11,673
23	पश्चिम बंगाल	14,69,708
	कुल योग पूर्व	29,44,078
24	छत्तीसगढ़	1,44,003
25	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	14
26	गोवा	141
27	गुजरात	4,06,881
28	मध्य प्रदेश	2,92,462
29	महाराष्ट्र	1,94,467
	कुल योग पश्चिम	10,37,968
30	आंध्र प्रदेश	95,672
31	कर्नाटक	2,93,751
32	केरल	40,802
33	लक्षद्वीप	14
34	पुदुचेरी	616
35	तमिलनाडु	2,57,068
36	तेलंगाना	41,845
	कुल योग दक्षिण	7,29,768
	सम्पूर्ण भारत का	**60,00,000**

स्रोत: ओएमसी

1.30 मौखिक साक्ष्य के दौरान उज्जवला योजना के लंबित कनेक्शनों को मंजूरी देने के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निम्नवत बताया:

"प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना में हमारे करीब 9.5 करोड़ ग्राहक हैं। उनको हम 200 रुपये प्रति सिलिंडर की डायरेक्ट सबिस्डी दे रहे हैं। बाकी सभी लोगों के लिए इसका एक ही दाम

है। यह जरूरी नहीं है कि सभी को 14 किलोग्राम का सिलिंडर दिया जाए, यह हो सकता है कि कहीं पर 5 किलोग्राम के सिलिंडर देना हो।

आपने एक मुद्दा उठाया था कि अगर पीएमयूवाई में 8 लाख और कनेक्शन्स देने हैं तो पैसा कहां से आएगा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बजट में चाहे आज की तारीख में पैसा हो या न हो, हमारा काम नहीं रुकेगा। हम अपनी तरफ से खर्च करेंगे और बाद में रिइम्बर्समेंट ले लेंगे"।

1.31 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई 2.0) के अंतर्गत लंबित 7.8 लाख आवेदनों के निपटान के लिए रोड मैप और निवर्तमान और अगले वित्त वर्षों में लाभार्थियों को कितने कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"माननीय वित्त मंत्री ने दिनाँक 01.02.2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की थी कि 1 करोड़ और लाभार्थियों को कवर करने के लिए 8 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने वाली उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा। तदनुसार, उज्ज्वला 2.0 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में माननीय प्रधान मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में दिनाँक 10.08.2021 को अखिल भारत स्तर पर लॉन्च किया गया था, जिसमें अब तक छूट गए गरीब परिवारों को कवर करने के लिए निःशुल्क पहले रिफिल और स्टोव के साथ एक करोड़ एलपीजी के अतिरिक्त कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इसके बाद, सरकार ने उज्जवला 2.0 के अन्तर्गत 60 लाख एलपीजी कनेक्शन और जारी करने का फैसला किया और दिनाँक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार, 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है। उज्ज्वला 2.0 योजना के अन्तर्गत ओएमसीज़ को 7.8 लाख स्वीकृत आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका कनेक्शन जारी किया जाना लंबित है। शेष आवेदकों को पीएमयूवाई कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव सुसंगत अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है।"

ज. (एक) <u>एलपीजी और केरोसिन के लिए डीबीटीएल</u>

1.32 वर्तमान में प्रचलित पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी और एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल के लिए दी जा रही सब्सिडी के ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

2020-21 का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2020-21			2021-22			2022-23 (01.01.2023 को)			2023-24
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल)	35,605	25,521	23,667	12,480	3400	177	4,000	180	10.94	180
परियोजना प्रबंधन व्यय - डीबीटीएल	76	99	99	65	65	242	64	32	9.88	52
परियोजना प्रबंधन व्यय सहित गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (पीएमयूवाई)	1,118	9,690	9,235	-	1618	1,568	800	8,010	680	0.01
अल्प वसूली केरोसिन	3,176	2,677	2,677	-	-	-	-	-	-	

पेट्रोल

पेट्रोल की कीमत 26.06.2010 से बाजार द्वारा निर्धारित है। तभी से, सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल के मूल्य-निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं।

घरेलू एलपीजी

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों की कीमत से जुड़ी हैं। तथापि, घरेलू एलपीजी के लिए सरकार आम आदमी को अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से बचाने के लिए उपभोक्ता के लिए प्रभावी कीमत को नियंत्रित करती रहती है। इसके अलावा, 21 मई, 2022 से, सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए एक वर्ष में 12 रिफिल तक 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी की घोषणा की है।

सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर भारी घाटा हुआ है। इन नुकसानों की भरपाई के लिए, सरकार ने हाल ही में ओएमसीज को 22000 करोड़ रुपए के एकमुश्त मुआवजे को मंजूरी दी है। हालांकि गैर-सब्सिडी वाली घरेलू एलपीजी की कीमतें ओएमसीज द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप निर्धारित की जाती हैं।

पीडीएस मिट्टी तेल

1 मार्च, 2020 से पीडीएस केरोसिन का खुदरा बिक्री मूल्य अखिल भारत आधार पर शून्य अल्प वसूली स्तर पर बनाए रखा जा रहा है।

डीबीटीके योजना केवल झारखंड राज्य में लागू की गई थी। 1 मार्च, 2020 से पीडीएस मिट्टी तेल का खुदरा बिक्री मूल्य अखिल भारतीय आधार पर शून्य अल्प वसूली स्तर पर बनाए रखा जा रहा है। डीबीटीके के अंतर्गत बजट आवंटन निम्नानुसार है :

(करोड़ में रुपए)

2020-21			2021-22			2022-23(01.01.2023 तक)			2023-24
ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**
41	39	5.83	-	-	1.53	-	-	-	-

स्रोत: पीपीएसी

1.33 बजट अनुमान 2022-23 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-एलपीजी योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। हालांकि, संशोधित अनुमान 2022-23 में इसे घटाकर 180 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल 180 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-एलपीजी योजना के लिए बजट परिव्यय में भारी कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

> "सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए 12 रिफिल/वर्ष तक प्रति 14.2 किलोग्राम रिफिल पर 200/- रुपए की निर्धारित राजसहायता शुरू की है। सामान्यतः राजसहायता मंत्रालय के डीबीटीएल मद से देय होती है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए निर्धारित राजसहायता पीएमयूवाई मद से देय होगी। इसलिए पीएमयूवाई मद में निर्धारित राजसहायता से संबंधित बजट उपलब्ध कराया गया है।"

1.34 एलपीजी के लिए प्रति सिलेंडर दी जाने वाली राजसहायता दर और राजसहायता का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"मई, 2020 से डीबीटीएल योजना के तहत घरेलू एलपीजी (दिल्ली के बाजार में) पर उपभोक्ता को राजसहायता नहीं दी जा रही है। तथापि, दूर-दराज के क्षेत्रों और कुछ अन्य बाजारों में, मुख्य रूप से पोर्ट से भरण संयंत्र तक अधिक अंतर्देशीय भाड़े के कारण कुछ राजसहायता दी जा रही है।

अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान ओएमसी द्वारा दावा की गई वास्तविक राजसहायता 27.66 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर (पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को अतिरिक्त मुआवजे सहित) है। तथापि, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को अतिरिक्त मुआवजे को छोड़कर इसी अवधि के दौरान डीबीटीएल राजसहायता का भार 2.66 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रदान किए गए (बैंक के माध्यम से भुगतान या ऋण के तहत समायोजित) एलपीजी उपभोक्ताओं की ओएमसीज-वार संख्या का विवरण निम्नानुसार है: -

आईओसीएल - 8.84 करोड़ रुपए
एचपीसीएल - 6.41 करोड़ रुपए
बीपीसीएल - 4.57 करोड़ रुपए"

(दो) <u>ओएमसी को क्षतिपूर्ति का भुगतान</u>

1.35 यह पूछे जाने पर कि क्षतिपूर्ति के भुगतान के रूप में प्रदान किए गए 22 हजार करोड़ रुपये के अनुदान को ओएमसी के बीच कैसे वितरित किया जाना प्रस्तावित है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज के बीच अनुदान का वितरण नीचे दिया गया है:

आईओसीएल- 10,801 करोड़ रुपए
बीपीसीएल- 5,582 करोड़ रुपए
एचपीसीएल- 5,617 करोड़ रुपए"

1.36 प्रति सिलेंडर घरेलू एलपीजी पर पीएसयू ओएमसी की अल्प वसूली के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"मई 2020 से जून 2022 की अवधि के लिए प्रति सिलिंडर घरेलू एलपीजी पर औसत अल्प वसूली दर 73.9 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर है। यह उस अवधि के तदनुरूपी है जिसके लिए 22000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था।"

1.37 घरेलू एलपीजी पर अल्प वसूली की गणना करने और घरेलू एलपीजी पर ओएमसी की कुल अल्प वसूली की गणना करने के तंत्र के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"पहल (डीबीटीएल) योजना, 2014 के तहत मासिक आधार पर निर्धारित पद्धति के अनुसार तेल विपणन कंपनियां प्रत्येक बाजार के वांछित खुदरा बिक्री मूल्य की गणना करती हैं। तथापि, कुछ मामलों में, उपभोक्ता से लिया गया खुदरा बिक्री मूल्य वांछित बिक्री मूल्य से कम होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। वांछित बिक्री मूल्य और ग्राहक से लिए गए खुदरा बिक्री मूल्य के बीच का अंतर तेल विपणन कंपनियों के लिए अल्प वसूली है। अल्प वसूली के कुछ हिस्से की भरपाई सरकार द्वारा नकद मुआवजा राजसहायता के रूप में की जाती है और शेष पूरा नहीं किया गया अंतर तेल विपणन कंपनियों के लिए शुद्ध अल्प वसूली है।

मई 2020 से जून 2022 की अवधि के लिए घरेलू एलपीजी पर कुल अल्प वसूली 28,249 करोड़ रुपए।"

1.38 मौखिक साक्ष्य के दौरान ओएमसी को दी जा रही सहायता के बारे में और विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निम्नवत बताया:

".....अगर आप एक चीज महंगी खरीद रहे हैं और दूसरे को सस्ते में दे रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी को लॉस होगा। यह लॉस हमारी ऑयल कंपनीज़ को हुआ। हमने अनुमान लगाया था कि पिछले साल जून महीने तक हमारी ऑयल कंपनीज को करीब 28 से 29 हजार करोड़ रुपये का लॉस हुआ है। सरकार एलपीजी की प्राइस कंट्रोल करती है। इसलिए, सरकार ने 22 हजार करोड़ रुपये का सैंक्शन दिया है, जिसे हमने ऑयल कंपनीज को आगे दिया है। इसमें जो अनकवर्ड हिस्सा है, वह आगे चलकर ऑयल कंपनीज धीरे-धीरे रिकवर करेगी या अगले

सालों में देखा जाएगा कि कहां से उसका पेमेंट किया जाए। इससे यह हुआ है कि पूरे देश में गैस की आपूर्ति में कहीं कमी नहीं हुई है।"

झ. <u>ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु</u>

1.39 वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा उत्कृष्टता केन्द्र, बेंगलुरु के लिए बजटीय आवंटन निम्नानुसार है:

ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु (ऊर्जा संस्थान, बेंगलुरु) में चल रहे निर्माण कार्य:

क्रम सं.	**कार्य का विवरण**	**निविदा राशि (करोड़ रुपए में)**	**दिनांक 26.10.2022 तक दी गई धनराशि (करोड़ रुपए में)**	**शेष**
1.	बाउंड्रीवॉल का निर्माण	8.86	8.32	0.54
2.	शैक्षणिक भवन का निर्माण	12.20	5.00	7.20
3.	बालक छात्रावास भवन का निर्माण	12.34	-	12.34
	उप योग (1)	**33.40**	**13.32**	**20.08**

बजटीय आवंटन

ऊर्जा के लिए उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु (ऊर्जा संस्थान, बेंगलुरु)

(रुपए करोड़ में)

2020-21			**2021-22**			**2022-23 (01.01.2023 तक)**			**2023-24**
बीई	**आरई**	**वास्तविक**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक**	**बीई**
1.00	0.01	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.40 वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु को बजटीय सहायता प्रदान नहीं करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"कर्नाटक सरकार ने ऊर्जा संस्थान, बेंगलुरु (सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनर्जी, बैंगलोर) की स्थापना के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से बेंगलुरु के पास होसकोटे तालुका के कंबलीपुरा गाँव में 150 एकड़ की भूमि आवंटित की है। ईआईबी में भूमि का विवाद था, जिसे अब सुलझा लिया गया है। इसके अलावा मैसर्स निर्मिथी केंद्र के माध्यम से कर्नाटक सरकार ने चाहरदीवारी का निर्माण पूरा कर लिया है और भूमि अब संस्थान के कब्जे में है।

भारत सरकार से प्राप्त राशि से एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्र छात्रावास का निर्माण कार्य चल रहा है तथा इसे वर्ष 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों को स्थाई परिसर में स्थानान्तरित करने की योजना है।

वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनर्जी, बैंगलोर को बजटीय सहायता प्रदान नहीं करने के कारण

दिनाँक 13.08.2021 को वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में स्थापना व्यय संबंधी समिति (सीईई) की बैठक आयोजित की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि ऊर्जा संस्थान, बेंगलुरु (सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनर्जी, बैंगलोर) के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है। यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान के आवर्ती परिचालन व्यय के लिए कोई सरकारी बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी। तदनुसार, ऊर्जा संस्थान बंगलौर को वित्त वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपए स्वीकृत करके जारी किए गए। इसके दृष्टिगत, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ऊर्जा संस्थान, बेंगलुरु के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान नहीं किया गया।"

अ. <u>राष्ट्रीय जैव ईंधन निधि</u>

1.41 यह पुछे जाने पर कि वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2022-23 के 1 करोड़ रुपये की तुलना में वास्तविक व्यय के विवरण के साथ 'शून्य' दिखाया गया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

(करोड़ रुपए में)

2021-2022			2022-2023 (01.01.2023 तक)			2023-2024
ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.
1.00	0.01	शून्य	1.00	0.01	शून्य	0.0

1.42 एनबीएफ के उद्देश्यों और इस निधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय जैव ईंधन कोष बनाने के मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है।

ट. <u>पीएम जी-वन योजना</u>

1.43 पीएम जी-वन योजना के संबंध में निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

2021-2022			2022-2023 (01.01.2023 तक)			2023-24
ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	प्रस्तावित बजट अनुमान
233.31	189.38	151.50	314.36	83.34	शून्य	227.26

1.44 प्रधानमंत्री जी-वन योजना के लिए बजट अनुमान 2022-23 में 314.36 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय को घटाकर संशोधित अनुमान 2022-23 में 83.31 करोड़ रुपये करने का कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "यह उल्लेखनीय है कि बजट अनुमान 2022- 23 में 314. 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। स्वीकृत पीएम जी-वन योजना के अनुसार, वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान घटक नीचे दिए गए संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के चार चरणों में जारी किया जाएगा:

परियोजना लक्ष्य	भुगतान किया गया % अनुदान
प्रोपराइटरी उपकरणों का निर्माण/स्थापना	25%

परियोजना के यांत्रिक निर्माण को पूरा करना	25% (कुल 50%)
परियोजना के यांत्रिक समापन और कमीशनिंग के बाद डिजाइन मूल्य की वार्षिक उत्पादन क्षमता के 25% तक पहुंचने पर	25% (कुल 75%)
डिजाइन मूल्य की वार्षिक उत्पादन क्षमता का 75% तक पहुँचने पर	25% (कुल100%)

परियोजना विकासकर्ता कोविड महामारी प्रभाव सहित सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने में देरी; कुछ उपकरणों/पैकेजों में कम विक्रेता भागीदारी; विलंबित वितरण और विभिन्न सामग्रियों/उपकरणों में असामान्य उतार-चढ़ाव, यूक्रेन और रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय संकट जैसे विभिन्न कारणों से निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। अतः, बीई 2022-23 के तहत राशि को संशोधित कर 83.31 करोड़ रुपए कर दिया गया है।"

1.45 पीएम जी-वन योजना के उद्देश्यों के साथ-साथ इस योजना के आरंभ होने के बाद से अब तक हुई प्रगति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"सरकार ने देश में 2जी एथेनॉल क्षमता का सृजन करने के लिए प्रारंभिक तौर पर बल देने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए 1969.50 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री जी-वन *(जैव ईंधन-वितरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण)* योजना" शुरू की है। पीएम जी-वन योजना के तहत आईओसीएल की पानीपत (हरियाणा), एचपीसीएल की बठिंडा (पंजाब), बीपीसीएल की बरगढ़ (ओडिशा), एनआरएल की नुमालीगढ़ (असम), महाराष्ट्र/कर्नाटक में शेल इंडिया मार्केट्स प्रा. लिमिटेड, प्रत्येक को वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए, दावणगेरे (कर्नाटक) में एमआरपीएल को 100 करोड़ रुपए तथा हरियाणा (आईओसीएल), बिहार (एचपीसीएल) और पंजाब (केमपोलिस) में प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए प्रत्येक को 15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता अर्थात् कुल 895 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई गई है।

पानीपत में 2जी बायो-रिफाइनरी को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'विश्व जैव-ईंधन दिवस' (10.08.2022) पर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। दिसंबर, 2022 तक तेल सीपीएसई द्वारा स्थापित की जा रही अन्य 2जी बायो-रिफाइनरियों की प्रगति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**पीएसयू**	**स्थान**	**क्षमता (केएलपीडी)**	**अपेक्षित कमीशनिंग**
1	एचपीसी	बठिंडा (पंजाब)	100	फरवरी, 2024

2	एनआरएल	नुमालीगढ़ (असम)	185	अक्तूबर, 2023
3	बीपीसी	बरगढ़ (ओडिशा)	100	दिसम्बर, 2023
4	एमआरपीएल	दावणगेरे (कर्नाटक)	60	जुलाई, 2025

1.46 दिनांक 14.02.2023 को लिए गए मौखिक साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने 2 जी इथेनॉल संयंत्रों की प्रगति के बारे में आगे विस्तार से निम्नवत बताया:

> ".....हमारा अगला प्लांट बंबू बेस्ड होगा। यह इसी साल अक्टूबर में चालू होगा। एक डिमोस्ट्रेशन प्लान पानीपत में और लग रहा है, उसकी जून में कमिशनिंग है। उसके बाद हमारे दो बड़े प्रोजेक्ट्स अगले साल आएंगे। इसमें एक राइसट्रा पर बेस्ड है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भटिंडा में और भारत पेट्रोलियम का बारगढ़ में। ये दोनों प्लांट्स राइसट्रा पर बेस्ड हैं। आगे चलकर हम एक प्लांट कर्नाटक में लगा रहे हैं। यह मकई की छलनी और कॉटन पर बेस्ड है। यह कर्नाटक में ओएनजीसी और एमआरपीएल की तरफ से जुलाई, 2025 में आएगा। सेकेंड जेनरेशन एथेनॉल प्लांट्स लगाने के लिए प्राइवेट सैक्टर्स से भी प्रपोजल्स आए हैं। उनको भी पीएमजी वन स्कीम के तहत हमने सपोर्ट मंजूर किया है"।

1.47 मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने आगे विस्तार से निम्नवत बताया:

> ".....इथेनॉल की हमारी डिमांड बढ़ रही है। पिछले साल हमने साढ़े चार सौ किलोलीटर किया था, अभी तीन साल में हजार करोड़ किलोलीटर और आगे चलकर दो-ढाई हजार किलोलीटर इस तरह की रिक्वायरमेंट आएगी। इनकी स्टोरेज के लिए, क्योंकि एथेनॉल हमें बारह महीने नहीं मिलता है। इसकी स्टोरेज़ के लिए हमें फैसिलिटीज़ चाहिए। यह सब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इन्हीं रिफाइनरीज़ में स्टोरेज बनेगा....."।

ठ. <u>संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी-सतत) पहल का कार्यान्वयन</u>

1.48 समिति द्वारा 2023-24 तक 5,000 नए सीबीजी संयंत्रों के लक्ष्य की तुलना में नए सीबीजी संयंत्रों की स्थापना की प्रगति के संबंध में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"<u>किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल :</u>

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2018 को विभिन्न अपशिष्ट/बायोमास स्रोतों से संपीडित बायो गैस (सीबीजी) के उत्पादन के लिए एक पारितंत्र स्थापित करने और इसका प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से "किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत)" पहल की शुरूआत की है। इस पहल के अन्तर्गत तेल और गैस विपणन कम्पनियाँ (ओजीएमसीज), संभावित उद्यमियों से सीबीजी की अधिप्राप्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करती हैं।

<u>उपलब्धियाँ :</u>

<u>अब तक की प्रगति :</u>

दिनाँक 31 जनवरी, 2023 तक सतत पहल में भाग लेने वाली तेल और गैस विपणन कम्पनियों (ओजीएमसीज) ने सतत पहल के अन्तर्गत सीबीजी की अधिप्राप्ति करने के लिए उद्यमियों को 3816 आशय पत्र जारी किए हैं। अब तक ~225 टन प्रतिदिन की कुल क्षमता वाले 40 सीबीजी संयंत्र चालू किए गए हैं और 97 खुदरा बिक्री केन्द्रों से सीबीजी की बिक्री शुरू की गई है। सीबीजी-सीजीडी सिन्क्रोनाईजेशन योजना के अन्तर्गत सीजीडी नेटवर्क के 12 भौगोलिक क्षेत्रों में सीबीजी बिक्री शुरू की गई है।

<u>सतत के अन्तर्गत किए गए उपाय :</u>

i. ओजीएमसी द्वारा सीबीजी की अधिप्राप्ति के लिए दीर्घकालिक वाणिज्यिक समझौता।
ii. दिनाँक 1 जून, 2022 से सीबीजी अधिप्राप्ति सम्बन्धी मूल्य में संशोधन। सीबीजी के मूल्य सीबीजी खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) से जुड़ी हुई हैं जो सीएनजी के आरएसपी के बराबर होगी। न्यूनतम अधिप्राप्ति मूल्य 54/- रुपए प्रति किलो और जीएसटी है।
iii. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ सीबीजी को मिलाने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
iv. सिन्क्रोनाईजेशन योजना के अन्तर्गत बायोगैस की अधिप्राप्ति मूल्य दिनाँक 01.12.2022 से जीएसटी को छोड़कर 1470 रुपए/एमएमबीटीयू है। इसके अलावा, खुदरा बिक्री केन्द्र पर सीबीजी की आपूर्ति के लिए और पाइपलाइन में सीबीजी की आपूर्ति के लिए 8 रुपए/किलोग्राम कंप्रेशन शुल्क और पाइपलाइन इंजेक्शन शुल्क के लिए 2 रुपए/किलोग्राम का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
v. "अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम" के अन्तर्गत एमएनआरई "केंद्रीय वित्तीय सहायता" प्रदान कर रहा है ।
vi. हाल ही के बजट घोषणा में, संपीडित प्राकृतिक गैस जब बायोगैस या संपीडित बायोगैस के साथ मिश्रित की जाती है, तो उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क में इतनी छूट दी

गई है, जो बायोगैस या सीबीजी पर भुगतान किए गए केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या एकीकृत कर की राशि होती है, जो ऐसे मिश्रित सीएनजी में निहित है।

vii. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण के अन्तर्गत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल किया है।

viii. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और कुछ अन्य बैंकों ने सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विशिष्ट ऋण उत्पादों को विकसित किया है। केनरा बैंक को सतत पहल के अन्तर्गत नोडल बैंकर के रूप में नामित किया गया है।

ix. संयंत्रों से उत्पादित जैव खाद को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) 1985 के अन्तर्गत "किण्वित जैविक खाद" (एफओएम) और तरल किण्वित जैविक खाद (एफएलओएम) के रूप में शामिल किया गया है।

x. "बास्केट दृष्टिकोण" के रूप में रासायनिक उर्वरकों के साथ एफओएम के अनिवार्य उठान के लिए उर्वरक कम्पनियों को पत्र निर्गत किए हैं।

xi. सीपीसीबी ने मामला-दर-मामला आधार पर सीबीजी संयंत्रों को 'श्वेत श्रेणी' के अन्तर्गत शामिल किया है।“

1.49 जब समिति ने देश में सीबीजी संयंत्रों के धीमी गति से निर्माण का उल्लेख किया और सतत योजना के तहत सीबीजी संयंत्रों के धीमे निर्माण को देखते हुए वित्त वर्ष 2023-24 में 2023-24 के बजट में घोषित 500 सीबीजी संयंत्रों के पूरा होने की संभावना के बारे में पूछा, तो मंत्रालय ने समिति को निम्नवत बताया:

“सर, हम लोग भी बहुत उत्सुक थे कि गोबर गैस के प्लांट्स लगें, लेकिन अनुभव के तौर पर कुछ चीजें हमारे सामने आई हैं, जिनको मैं समिति के सामने रखना चाहूंगा। हमने यह देखा है कि जितनी गैस सिर्फ गोबर के प्लांट से निकल रही है, जैसे-जैसे हम प्लांट बड़ा करते हैं, उसकी वायबिल्टी देखना चाहते हैं तो केवल गोबर से वायबिल्टी नहीं आ रही है। उसकी दो वजहें हैं – हमें जितनी मात्रा में गोबर चाहिए, कई बार उतनी मात्रा में गोबर नहीं मिलता है। दूसरा, जहां गोबर मिल भी रहा है, उससे जितनी गैस उत्पादित हो रही है, उससे उसकी वायबिल्टी इसलिए नहीं आ रही है कि हमें गोबर के साथ कुछ और चीजें मिलानी पड़ेंगी, खासकर, जैसे नेपियर ग्रास। गोबर से हमें ढाई प्रतिशत यील्ड मिलती है, नेपियर ग्रास से 10 प्रतिशत मिल जाती है। जहां हमारा प्लांट लग रहा है, अगर उसी इलाके में हम साथ ही नेपियर ग्रास का उत्पादन करें तो उससे चारा भी मिलेगा और वह उस प्लांट में भी चला जाएगा। इसी तरह जब हम गन्ने से चीनी निकाल रहे हैं तो जो प्रेस मड निकलती है, उस प्रेस मड को भी मिक्स करते हैं तो उससे हमारी यील्ड बहुत बढ़

जाती है। हमें अब यह समझ आ रही है कि गोबर के साथ-साथ हमें कुछ चीजें मिलानी पड़ेंगी, तब उस प्लांट से ज्यादा गैस प्रोड्यूस होती है। जहां हमारे गोबर के प्लांट्स हैं, वहां हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी हो और साथ ही हम किसानों को भी बता सकें कि आप साथ में यह फसल भी उगा लो, उससे आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। अब हम पतनेड़ा में, वाराणसी आदि कई जगहों पर जो प्लांट्स लगा रहे हैं, हम उनमें यही कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर वेस्ट भी मिक्स करें। इसी तरह म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जहां सेग्रीगेशन हो जाता है, गीला और सूखा कचरा जहां अलग-अलग हो जाता है, उससे भी बहुत अच्छी यील्ड मिलती है, लेकिन कई बार उसे एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल होता है। उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि प्लांट ऐसी जगह लगाया गया, जहां पर कचरा इकट्ठा नहीं होता है, बल्किऐ कचरा कहीं और इकट्ठा होता है। पहले आप पूरा कचरा लेकर आइए तो हमें लोकेशन भी उसी हिसाब से सोचनी पड़ेगी। यह अब समझ आ रहा है। नये प्लांट्स हैं, हम उनको इसी अनुभव से लगा रहे हैं"।

ड. <u>राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम</u>

1.50 राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के संबंध में बजटीय आवंटन के बारे में ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

(रुपए करोड़ में)

2020-2021			2021-2022			2022-2023	2023-24
ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**ब.अ.**
207.00	63.00	63.00	217	187.66	137.31	0.00	0.00

1.51 भारत के तलछटी बेसिनों के अंतर्देशीय मूल्यांकन क्षेत्रों पर 2 डी भूकंपीय सर्वेक्षण की अद्यतन स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

"वर्तमान में अंडमान अपतटीय परियोजना के तहत 200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसे ओआईडीबी द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्त-पोषित किया जाता है और इसकी प्रतिपूर्ति ओआईडीबी द्वारा की जानी है। ओआईडीबी द्वारा ओआईएल को लगभग 68 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है। 22500

लाइन कि.मी. (एलकेएम) के क्षेत्रीय आंकड़े एकत्र करके प्रोसेस किए गए हैं। इनकी व्याख्या का कार्य चल रहा है। इसके पूरा होने की निर्धारित तारीख अगस्त 2023 है।

ईईजेड तक पूर्वी तट, पश्चिमी तट और अंडमान अपतटीय क्षेत्रों में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण भी चल रहा है। अतिरिक्त परियोजना लागत (760 करोड़ + 20%) को ओआईडीबी द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तपोषित किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति ओआईडीबी को की जाएगी। भूकंपीय डेटा अधिग्रहण कार्य किया जा रहा है। इसके पूरा होने की निर्धारित तारीख मार्च 2024 है।"

1.52 यह पूछे जाने पर कि क्या देश में अपतटीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों के लिए 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है, मंत्रालय ने बताया कि अपतटीय क्षेत्रों में कोई 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षण की योजना नहीं है।

1.53 इस विषय पर आगे बताते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

"…..इसमें बहुत बड़ा रोल डाटा का रहा है। एक्सप्लोरेशन एक ऐसी चीज है जहां आपको जमीन के अंदर खोजना है, समुंद्र के अंदर खोदना है। आपको पता नहीं है कि किस जगह आपको खोदना है। यह आपको तभी पता चलेगा कि मीलों लंबा एरिया है, 6 इंच का एक छेद करना है, किस जगह पर करेंगे। इसके लिए डाटा प्रोजेक्ट है, इस डाटा में हमने देखा है कि हमारे ज्यादातर हिस्से ऐसे थे, जिनके हमारे पास डाटा ही नही था। इतने सालों तक हमने डाटा पर जोर ही नहीं दिया। पिछले कुछ सालों से हमने पूरा नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम चलाया है। हमने अंडमान बेसिन को अप्रेज किया है, एक मिशन अनवेशन शुरू किया है। हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईज़ेड) है, वहां पर हमारा सर्वे 2डी और 3 डी इकट्ठा किया गया है। इन सभी डाटा को एक नेशनल डाटा रिपोजिटरी में सम्मिलित किया गया है। इस नेशनल डाटा रिपोजिटरी को इस साल हम क्लाउड बेस करना चाहते हैं ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई एक्सप्लोरेशन के लिए आना चाहता है तो वह आ सके और वह इस डाटा को देख सके, स्टडी कर सके और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सके। उसी हिसाब से ओपन एकरेज लांच किए जा रहे हैं बल्कि कर दिए गए हैं….."।

ढ. <u>वाणिज्यिक जहाजों की फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए योजना</u>

1.54 संशोधित अनुमान 2022-23 में, वाणिज्यिक जहाजों की फ्लैगिंग करने को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है और इसके लिए 215.62 करोड़ रुपए के का परिव्यय का

प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बजट अनुमान 2023-24 में परिव्यय को बढ़ाकर 290.44 करोड़ रुपए रुपए कर दिया गया है। इस योजना को लागू करने के लिए निधियों का उपयोग करने के तरीके के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"' पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने अपने दिनांक 22.07.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सूचित किया था कि मंत्रिमंडल ने दिनांक 14.07.2021 को हुई अपनी बैठक में सरकारी जहाजों के आयात के लिए मंत्रालयों और सीपीएसईज द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को राजसहायता के रूप में पांच वर्ष की अवधि में 1624 करोड़ रुपए प्रदान करने की योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के अनुसार, अपेक्षित निधियां सीधे संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जारी की जाएंगी। यह योजना कच्चे तेल और एलपीजी का आयात करने वाले सभी तेल और गैस पीएसयूज पर लागू है।

योजना के अनुसार, कुल 1624.06 करोड़ रुपए रुपए के परिव्यय में से एमओपीएनजी के लिए राजसहायता का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	योग
कच्चा तेल	62.10	124.19	186.29	248.39	310.49	931.46
एलपीजी	34.72	69.43	104.15	138.87	173.59	520.76
एमओपीएनजी को कुल राजसहायता	**96.82**	**193.62**	**290.44**	**387.26**	**484.08**	**1452.22**

तेल पीएसयूज द्वारा जुलाई 21 से मार्च 22 तक प्रस्तुत किए गए दावों की राशि 22,14,89,508/- रुपए है। चूंकि 2021-22 में योजना के तहत कोई निधि जारी नहीं की गई थी, इसलिए उपरोक्त धनराशि योजना के अनुसार 2022-23 के परिव्यय के साथ आरई 2022-23 में मांगी गई थी। इसलिए संशोधित अनुमान 2022-23 215.62 करोड़ रुपए (22 + 193.62) था।

1.55 चक्रवात ताउते के मद्देनजर मर्चेंट शिपिंग अधिनियम और तटीय जहाज अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"उपर्युक्त विषय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से सम्बन्धित है। जब भी अधिनियमों/विनियमों को अधिसूचित किया जाएगा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय उसे लागू करेगा।"

ण. <u>नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना</u>

1.56 नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के ब्यौरे और इसके पूरा होने की अनुमानित समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए स्वीकृत लागत 28,026 करोड़ रुपए रुपए है, जिसमें से भारत सरकार ने परियोजना के लिए 10% का बेंचमार्क आईआरआर प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्यता में कमी संबंधी निधीयन (वीजीएफ) के रूप में 1,020 करोड़ रुपए रुपए की राशि मंजूर की थी। परियोजना लागत की शेष राशि का निधीयन प्रमोटरों से अतिरिक्त इक्विटी (3,165 करोड़ रुपए), आंतरिक उपार्जनों (4,937 करोड़ रुपए) और वाणिज्यिक ऋण (18,904 करोड़ रुपए रुपए) द्वारा किया जा रहा है।

2. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एनआरएल द्वारा प्रस्तावित 200 करोड़ रुपए रुपए के वीजीएफ और वित्त वर्ष 2021-22 में एनआरएल द्वारा 45 करोड़ रुपए वीजीएफ के अनुरोध, जिसे उस वर्ष स्वीकृत नहीं किया गया था, को ध्यान में रखते हुए आरई 2022-23 में 245 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है। परियोजना के तहत नियोजित वित्तीय प्रगति को ध्यान में रखते हुए 500 करोड़ रुपए के वीजीएफ का प्रस्ताव है।

परियोजना के लिए वर्षवार निधीयन योजना नीचे सारणीबद्ध है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**2021-22 तक वास्तविक**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**	**वित्त वर्ष 2025-26**	**योग**
परियोजना व्यय	3,585	6,281	8,264	8,790	1,106	28,026
वीजीएफ		245	500	275		1,020
प्रमोटरों से इक्विटी		1000	1000	1,165		3,165
आंतरिक उपार्जन	2,605	1,316	1,016			4,937

कुल ऋण निधियां	980	3,720	5,748	7,350	1,106	18,904
योग	3,585	6,281	8,264	8,790	1,106	28,026
संचयी व्यय	3,585	9,866	18,130	26,920	28,026	
प्रगति%	13%	35%	65%	96%	100%	

1.57 दिनांक 31 जनवरी 23 तक, परियोजना की समग्र वास्तविक प्रगति 28.8% तक पहुंच गई है। 31 जनवरी 23 तक परियोजना में किया गया वास्तविक व्यय 7,920 करोड़ रुपए है और यह 28.3% की वित्तीय प्रगति को दर्शाता है। वास्तविक व्यय सहित कुल वित्तीय प्रतिबद्धता 23,325 करोड़ रुपए (परियोजना लागत का 83%) तक पहुंच गई है। इस परियोजना के जनवरी 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।"

1.58 दिनांक 14.02.2023 को लिए गए मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इस विषय पर विस्तार से निम्नानुसार बताया:

> ".....हमारी नुमालीगढ़ रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजक्ट काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अभी 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति एनम की क्षमता से 9 मिलियन मीट्रिक टन तक जाने की उम्मीद है। इसमें दो हिस्से और भी हैं। पहला, एक पाइपलाइन ओडिशा से पारादीप से नुमालीगढ़ तक और दूसरा, एक इम्पोर्ट टर्मिनल ओडिशा के परादीप में बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स अपने-आप वाइवल नहीं है। इसलिए, इसमें वाइवलिटी गैप फंडिंग देने की जरुरत पड़ेगी। यह वाइवलिटी गैप फंडिंग सालों-साल दी जाती है। वर्ष 2024 तक हमें उम्मीद है कि इसे पूरा कर देंगे....."।

त. <u>केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी)</u>

1.59 उन पेट्रोलियम उत्पादों, जो राज्य के बाहर अकेले 'स्टैंड अलोन' रिफाइनरियों द्वारा बेचे जाते हैं, पर लगाए जाने वाले केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी), के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

“एमएस, एचएसडी और एटीएफ को जीएसटी की व्यवस्था से बाहर रखा गया है और वे रिफाइनरी के उत्पाद पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा हैं। केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) उपर्युक्त उत्पादों की अंतर-राज्य बिक्री के लिए लगाया जाता है। जब स्टैंडअलोन रिफाइनर उत्पादों को तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) को अंतरराज्यीय आधार पर स्थानांतरित करते हैं तो सीएसटी लगता है; मूल मूल्यों और उत्पाद शुल्क पर इसकी वर्तमान दर 2% है।

दिनाँक 1 अप्रैल, 2002 से भारत सरकार द्वारा प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त किए जाने तक, अंतरराज्यीय बिक्री पर सीएसटी जैसे अपरिवर्तनीय करों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के तेल पूल खाते द्वारा ओएमसीज को की जाती थी। अंतरराज्यीय बिक्री पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति वर्ष 2002-03 के लिए ओएमसीज को भारत की संचित निधि से की जाती रही। इसलिए, सीपीसीएल जैसी स्टैंड अलोन रिफाइनिंग कम्पनियों द्वारा किसी भी सीएसटी की बिक्री की प्रतिपूर्ति ओएमसी द्वारा वर्ष 2002-03 तक की गई थी और वर्ष 2002-03 तक सीपीसीएल द्वारा वसूली के अन्तर्गत कोई सीएसटी नहीं था।

तेल पूल खाते को समाप्त करने के बाद, ओएमसीज ने निर्णय लिया कि इसे सम्बन्धित बिक्री रिफाइनरियों द्वारा उत्पाद प्लेसमेंट लागत के एक तत्व के रूप में वहन किया जाना है। सीएसटी लागत के एक तत्व के रूप में अंतिम उपयोगकर्ता को नहीं दिया जा सकता था क्योंकि इन उत्पादों की मूल्यों को भारत सरकार द्वारा विनियमित किया गया था ।

इस प्रकार, वसूली के अन्तर्गत सीएसटी का मुद्दा केवल स्टैंडअलोन रिफाइनरियों के लिए अद्वितीय है क्योंकि रिफाइनरियां ओएमसीज को उत्पाद बेचती हैं, जिससे सीएसटी का प्रभाव पड़ता है। अन्य राज्यों में ओएमसी को हस्तांतरित उत्पादों के सम्बन्ध में स्टैंडअलोन रिफाइनरियों द्वारा भुगतान किए गए सीएसटी की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि लागत का यह तत्व ईंधन उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य में शामिल नहीं है।

एकीकृत ओएमसीज के मामले में, एक राज्य में रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को आंतरिक रूप से कम्पनी के भीतर अन्य राज्यों में स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है, और तद्नुसार अंतर-राज्य बिक्री शामिल नहीं होती है और परिणामस्वरूप ओएमसीज के लिए कोई सीएसटी देयता उत्पन्न नहीं होती है।

इस प्रकार, सीएसटी की ये उगाही, स्वाभाविक रूप से स्टैंडअलोन रिफाइनिंग उद्योग द्वारा निवेश और क्षमता निर्माण को निरुत्साहित करती है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीएसटी की उगाही सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) को लगभग 0.8 डॉलर/बीबीएल तक प्रभावित करती है, जिससे लाभप्रदता प्रभावित होती है।”

1.60 जब समिति ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्टैंड-अलोन रिफाइनरियों द्वारा सीएसटी के अन्तर्गत भुगतान किए गए कुल कर के बारे में पूछा तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"स्टैंडअलोन रिफाइनरियों द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान सीएसटी के अन्तर्गत भुगतान किया गया कुल कर

(करोड़ रुपए में)

कम्पनी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (9 माह)
सीपीसीएल	158	225	199	222	307	276
एमआरपीएल	178	70	100	229	112	129
एनआरएल	163	194	111	183	184	202

1.61 जब समिति ने यह पूछा कि क्या स्टैंडअलोन रिफाइनरियों के लिए केंद्रीय बिक्री कर 2010 तक समाप्त किया जाना था और इसे जारी रखने के क्या कारण हैं, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"'प्रारंभ में, जब वर्ष 2006-07 में राज्य मूल्य वर्धित कर अधिनियम लागू किया गया था, तब धीरे-धीरे सीएसटी को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया था। वर्ष 2006-07 में, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, सीएसटी को दिनाँक 01.04.2007 से 4% से घटाकर 3% कर दिया गया था। इसके अलावा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक समझौते के बाद, दिनाँक 01.04.2008 से केंद्रीय बिक्री कर की दर 3% से घटाकर 2% कर दी गई थी। । सीएसटी अल्प वसूली का मुद्दा स्टैंडअलोन तेल रिफाइनरियों के लिए विशिष्ट है क्योंकि रिफाइनरियां पेट्रोलियम उत्पादों को तेल विपणन कंपनियों को बेचती हैं, जिन पर सीएसटी लगता है। एकीकृत तेल विपणन कंपनियों के मामले में, एक राज्य में रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के स्टॉक को आंतरिक रूप से कंपनी के भीतर अन्य राज्यों में स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है और तदनुसार इसमें अंतर-राज्य बिक्री शामिल नहीं होती है और परिणामस्वरूप कोई सीएसटी देयता नहीं होती है। अन्य राज्यों में तेल विपणन कंपनियों को भेजे जाने वाले उत्पादों के संबंध में स्टैंडअलोन रिफाइनरियों द्वारा भुगतान किए गए सीएसटी की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि लागत का यह घटक ईंधन उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य में शामिल नहीं है। "वन नेशन, वन टैक्स" विचारधारा लागू करने के लिए वर्ष 2017 में जीएसटी को कार्यान्वित

करके अधिकांश वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाया गया था और सीएसटी कच्चे तेल तथा आरएलएनजी के अलावा एमएस, एचएसडी और एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होता रहा। इसलिए एमएस, एचएसडी और एटीएफ के अंतर-राज्य लेनदेन पर सीएसटी स्टैंडअलोन रिफाइनरियों के लिए एक अपरिवर्तनीय लागत बना हुआ है। सीएसटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने से उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला में उल्लेखनीय दक्षता के अलावा औद्योगिक और आर्थिक विकास को काफी हद तक लाभ होगा।"'

थ . <u>कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण और उत्पादन</u>

1.62 देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की वर्तमान मांग और पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू उत्पादन के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
कच्चा तेल (एमएमटी)	32.17	30.49	29.69
प्राकृतिक गैस (बीसीएम)	31.18	28.67	34.02

1.63 उन्नत तेल निकासी (आईओआर)/वर्धित तेल निकासी (ईओआर) परियोजनाओं के कारण अपस्ट्रीम तेल कंपनियों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है इस बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"जहां तक ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) का संबंध है, वित्त वर्ष 2021-22 में तेल उत्पादन में आईओआर/ ईओआर के कारण लाभ लगभग 1.172 एमएमएसकेएल रहा है। आईओआर/ ईओआर गतिविधियों में इनफिल ड्रिलिंग, कम लवणता वाले पानी का इंजेक्शन (एलएसडब्ल्यूआई), वर्कओवर लाभ और चक्रिय वाष्प स्टिमुलेशन (सीएसएस) शामिल हैं।

जहां तक ओएनजीसी का संबंध है, ओएनजीसी ने अब तक कुल 42 आईओआर/ ईओआर/ पुनर्विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। इन 42 परियोजनाओं में से 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 10 कार्यान्वयनाधीन हैं।

चालू वर्ष 2022-23 (अप्रैल'22 से दिसंबर'22) के दौरान, इन आईओआर/ ईओआर परियोजनाओं से 4.463 एमएमटी कच्चे तेल (कंडेंसेट सहित) का वृद्धिशील लाभ प्राप्त हुआ, जो ओएनजीसी के कुल पृथक तेल उत्पादन का 30.2% है। इन आईओआर/ ईओआर परियोजनाओं से 1.689 बीसीएम गैस का वृद्धिशील लाभ प्राप्त हुआ जो ओएनजीसी के कुल पृथक प्राकृतिक गैस उत्पादन का 10.9% है।"

1.64 देश में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए आईओआर/ईओआर योजना को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय/डीजीएच द्वारा घोषित नए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"भारत सरकार ने सं. ओ-22013/6/2016-ओएनजीडी-V दिनांक 10 अक्तूबर, 2018 के तहत 'तेल और गैस के लिए संवर्धित रिकवरी तरीकों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत ढांचा' अधिसूचित किया है ताकि तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए मौजूदा हाइड्रोकार्बन रिजर्व के रिकवरी फैक्टर में सुधार करने के लिए संवर्धित रिकवरी (ईआर), उन्नत रिकवरी (आईआर) और अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन (यूएचसी) उत्पादन पद्धति/ तकनीकों को अपनाकर राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। ईआर में उन्नत ऑयल रिकवरी (ईओआर) और संवर्धित गैस रिकवरी (ईजीआर), अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन (यूएचसी) उत्पादन पद्धतियों में शेल तेल और गैस उत्पादन, न्यून तेल और गैस उत्पादन, ऑयल शेल, गैस हाइड्रेट्स और हेवी ऑयल उत्पादन शामिल हैं।

यह नीति सभी संविदात्मक व्यवस्थाओं और नामांकन क्षेत्रों पर लागू है, ईआर/ आईआर/ यूएचसी परियोजनाओं से उत्पादन शुरू होने की तारीख से 120 महीनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके तहत कच्चे तेल पर लगाए जाने वाले उप-कर पर 50% छूट और प्राकृतिक गैस की रॉयल्टी पर 75% छूट के रूप में प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है। यह नीति मौजूदा क्षेत्रों की उत्पादकता में सुधार के लिए नई, नवीन और अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने और तकनीकी सहयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए है। नीति में प्रत्येक क्षेत्र का उसकी ईआर क्षमता के लिए व्यवस्थित मूल्यांकन करने, उचित ईआर तकनीकों का मूल्यांकन करने तथा वित्तीय प्रोत्साहन और नामित संस्थानों के माध्यम से सभी पात्र क्षेत्रों की अनिवार्य जांच करने और वाणिज्यिक स्तर पर ईआर परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन से पहले प्रायोगिक संचालन की परिकल्पना की गई है। नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक संस्थानों की सहभागिता और भागीदारी के माध्यम से उद्योग-अकादमिक इंटरफ़ेस के लिए एक मंच प्रदान करती है।

200 से अधिक तेल और गैस क्षेत्रों की ईआर क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया है। ईआर का प्रायोगिक चरण शुरू करने के लिए 19 परियोजनाओं (क्षेत्र-वार; ईआर पद्धति-वार) की ईआर स्क्रीनिंग रिपोर्ट अनुमोदित की गई है। चार प्रायोगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ऑपरेटरों को ईआर नीति के तहत परियोजना के लिए ऑपरेटरों को उपलब्ध कराए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों की मात्रा पर निर्णय लेने हेतु ईआर समिति के अनुमोदन के लिए क्षेत्र(त्रों) की वाणिज्यिक कार्यान्वयन योजना तैयार/ प्रस्तुत करनी है।"

1.65 पिछले तीन वर्षों के दौरान नई खोजों से उत्पादन में शामिल तेल और गैस उत्पादन के ब्यौरों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"जहां तक ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान नई खोजों से उत्पादन में जोड़े गए तेल और गैस उत्पादन कर विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	राज्य	ब्लॉक/ प्रशासन	क्षेत्र	अन्वेषी कुआं	तरल	22 नवंबर तक संचयी उत्पादन		टिप्पणियां
						कच्चा तेल, केएलएस	प्राकृतिक गैस, एमएससीएम	
2019-20	आंध्र प्रदेश	केजी-ओएनएन-2004/1 (एनईएलपी VI)	येदुरुलंका	येदुरुलंका-1	गैस (एचपीएचटी)	-	-	गैर-किफायती खोज, त्यागे जाने वाले ब्लॉक
2020-21	असम	तिनसुकिया पीएमएल	दिनजन	दिनजन -1	गैस	960	8024	
2021-22	असम	दमदमा पीएमएल	समदंग	समदांग-5	गैस	1843	4176	
2021-22	असम	दमदमा पीएमएल	बोरहापजन	बोरहापजान-8	तेल	1967	2430	

ओएनजीसी के संबंध में, पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यीकृत खोजों की संख्या निम्नानुसार है:

- 2019-20: 22 (7 अपतटीय + 15 तटीय)
- 2020-21: 12 (3 अपतटीय + 9 तटीय)
- 2021-22:06 (4 अपतटीय + 2 तटीय)

ऐसी खोजों, जिनसे पिछले तीन वर्षों में उत्पादन किया जा रहा है, से 2021-22 में योगदान 0.651 एमएमटी तेल और 639 एमएमएससीएम गैस है जो ओएनजीसी के कुल उत्पादन का लगभग 3% है।"

1.66 पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के संबंध में अपस्ट्रीम तेल कंपनियों का उनके निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रदर्शन कैसा रहा है साथ ही यदि कंपनी-वार कोई कमी है तो इसके कारण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

निर्धारित लक्ष्य की तुलना में पिछले 3 वर्षों के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन के संदर्भ में ओआईएल का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

	2019-20		2020-21		2021-22	
	लक्ष्य वीजी (एमओयू)	वास्तविक	लक्ष्य वीजी (एमओयू)	वास्तविक	लक्ष्य (एमओयू)	वास्तविक
कच्चे तेल का उत्पादन (एमएमटी)	3.460	3.133	3.15	2.964	3.354	3.0103
प्राकृतिक गैस का उत्पादन (मिलियन मानक घन मीटर)	3,460	2,801.26	2,937	2,641.74	3,398	3,045.37

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2021-22 के दौरान **ओएनजीसी** के पृथक कच्चे तेल (कंडेनसेट सहित) और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का विवरण क्रमशः 20.71, 20.27 और 19.55 एमएमटी और 23.85, 22.10 और 20.91 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है।

एमओयू लक्ष्यों के संदर्भ में 2019-20 और 2020-21 का कार्य-निष्पादन तेल के लिए लगभग 95% और गैस के लिए 90% था। 2021-22 के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण तेल और गैस का उत्पादन एमओयू लक्ष्यों के संदर्भ में लगभग 86% था:

- तेल और गैस के उत्पादन में प्राकृतिक रुप से गिरावट और परिपक्व कुआं क्षेत्र में वॉटर कट में वृद्धि।
- कोविड-19 लॉकडाउन के कारण स्थानीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण कुछ परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नियोजित इनपुट की तुलना में उपलब्धता में देरी हुई।
- उपभोक्ता द्वारा कम उठान के कारण कुओं का बंद होना और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फील्ड संचालन के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध।

2021-22 के दौरान उत्पादन और विकास गतिविधियां "ताउते" चक्रवात के कारण बुरी तरह प्रभावित हुईं, जो पश्चिमी अपतटीय/ तटीय क्षेत्रों से गुजरा था।

1.67 कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में सुधार के लिए अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं साथ ही अगले पांच वर्षों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कितनी वृद्धि की संभावना है और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास में, ओआईएल ने कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए हैं:

i. पहचाने गए क्षेत्रों का फास्ट-ट्रैक विकास

ii. खोजों का यथाशीघ्र मुद्रीकरण।

iii. आईओआर और ईओआर तकनीकों के कार्यान्वयन के माध्यम से रिकवरी फैक्टर में सुधार।

iv. कुओं की इन्फिल ड्रिलिंग।

v. तेल/ गैस उत्पादन के लिए सतही अवसंरचना का उन्नयन।

vi. चुनिंदा क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को शामिल करना। ओआईएल ने राजस्थान में बघेवाला हेवी ऑयल क्षेत्र में चक्रीय भाप स्टिमुलेशन प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में सफलता हासिल की।

vii. संसाधन निर्माण प्रक्रिया शुय करना, अर्थात् वर्कओवर रिग संसाधन में वृद्धि, वीएफडी प्रौद्योगिकी के साथ मौजूदा ड्रिलिंग रिग को बदलना, कृत्रिम उठान क्षमता में वृद्धि आदि।

viii. विभिन्न स्थापित संरचनाओं से उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन वृद्धि संविदा (पीईसी) करना।

ix. हाइड्रो फ्रेक, पॉलीमर फ्लडिंग, रेडियल ड्रिलिंग आदि जैसी प्रौद्योगिकी अपनाना।

x. इसके अलावा, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ओआईएल ने अपने अन्वेषण अभियान को उच्च स्तरीय प्राथमिकता दी है और हाल के वर्षों में खुला क्षेत्रफल लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के तहत विभिन्न बोली दौरों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने घरेलू क्षेत्रफल का विस्तार किया है। अब तक, ओआईएल को ओएएलपी बोली दौर के तहत कुल 29 ब्लॉक दिए गए हैं (16 पूर्वोत्तर में, 5 राजस्थान में, 5 ओडिशा में, 2 अंडमान उथले अपतटीय क्षेत्र में, और 1 केरल कोंकण उथले अपतटीय क्षेत्र में)। पूर्वोत्तर और राजस्थान के अलावा जहां ओआईएल की पहले से ही बड़ी उपस्थिति है, ओआईएल अब नए हाइड्रोकार्बन भंडार का पता लगाने की खोज में महानदी तटवर्ती, अंडमान अपतटीय और

केरल-कोंकण अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण अभियान चला रहा है। वर्तमान में, ओएएलपी ब्लॉक अन्वेषण चरण में हैं। ओएएलपी ब्लॉकों में खोजों से भविष्य में कंपनी के विकास में तेजी आने की परिकल्पना की गई है।

पूर्वोत्तर के साथ-साथ, ओआईएल गैर-उत्पादक बेसिनों (श्रेणी-II और III) अर्थात् महानदी, अंडमान, केरल- कोंकण बेसिन और उथले पानी के अपतटीय ब्लॉकों में भी अन्वेषण कर रहा है।

इसके अलावा, ओआईएल पूर्वोत्तर के उत्पादक क्षेत्रों में लगातार खोज कर रहा है। हाल के वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर में ओआईएल द्वारा की गई प्रमुख तेल/गैस खोजें बालीमारा, नादुआ, दक्षिण बागजान, लकवागांव, हुकांगुरी आदि हैं।

ओआईएलद्वारा की गई पहलों के आधार पर **ओआईएल के वर्ष-वार लक्ष्य (एमओयू, बजट अनुमान और सांकेतिक अनुमानित आंकड़े)** निम्नानुसार हैं:

गतिविधि	यूनिट	2022-23 (एमओयू)	2023-24 बीई	2024-25 आईई	2025-26 आईई
कच्चे तेल का उत्पादन	एमएमटी	3.393	4.171	4.085	4.085
प्राकृतिक गैस का उत्पादन	एमएमएससीएम	3.398	3745	4755	4755

ओएनजीसी

ओएनजीसी अपने हाइड्रोकार्बन रिजर्व आधार और उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्वेषण के मोर्चे पर कई कदम उठा रही है। अपने अन्वेषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ओएनजीसी द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

- नया क्षेत्रफल अधिग्रहण करने के लिए बोली लगाने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा घोषित अन्य नए नीतिगत सुधारों में अपने सभी प्रयास करने के लिए खुला क्षेत्रफल लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी)/ अन्वेषित लघु क्षेत्रों (डीएसएफ) में सक्रिय भागीदारी।
- मौजूदा क्षेत्रों/ बेसिनों में गहरे क्षेत्रों और उथले क्षेत्रों की निरंतर खोज।
- पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालय की तलहटी, विंध्य, गंगा, कडप्पा, नर्मदा, सौराष्ट्र, कच्छ तटीय क्षेत्र, अंडमान और बंगाल बेसिन के साथ-साथ पूर्वी और पश्चिमी तट के गहरे और अत्यधिक गहरे पानी जैसे भूगर्भीय जटिल और तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अन्वेषण।
- सीबीएम, खंडित बेसमेंट और एचपी-एचटी और तंग जलाशयों जैसे अपरंपरागत क्षेत्रों की खोज और विकास करना।

- गहरे पानी और अन्य सीमांत अन्वेषण क्षेत्रों में अन्वेषण और ज्ञान साझा करने में भागीदारी के लिए वैश्विक ईएंडपी कंपनियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाना।

ओएनजीसी ने उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है:-

- ईओआर/ आईओआर योजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और क्षेत्रीय पुनर्विकास के कार्यान्वयन द्वारा परिपक्व क्षेत्रों के रिकवरी कारक में वृद्धि
- कठिन और कम दोहन वाले जलाशयों का विकास
- नई तकनीकें लागू करना
- उत्पादन वृद्धि संविदा (पीईसी)
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भागीदारों के साथ सहयोग
- खोजों का मुद्रीकरण।

ओएनजीसी पूर्वी अपतट में कृष्णा गोदावरी बेसिन में की गई खोजों का विकास करने पर जोर दे रही है। एनईएलपी ब्लॉक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 के समूह-।। क्षेत्रों की क्षेत्रीय विकास परियोजना पूर्वी अपतट में कार्यान्वित की जा रही है और यू फील्ड से 5 मार्च 2020 को गैस का उत्पादन शुरू हो गया है।

47,200 करोड़ रुपए के अनुमानित पूंजीगत व्यय के साथ निष्पादन चरण के तहत प्रमुख परियोजनाओं से 78 एमएमटीओई के जीवन चक्र लाभ की परिकल्पना की गई है।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का वर्ष-वार लक्ष्य नीचे तालिका में दिया गया है;

विवरण	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**
कच्चे तेल का उत्पादन (एमएमटी)	22.191	23.145	23.021	22.170	21.719
प्राकृतिक गैस उत्पादन (बीसीएम)	21.805	24.317	26.664	25.690	24.237

1.68 दिनांक 14.02.2023 को लिए गए मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इस विषय पर विस्तार से निम्नानुसार बताया:

> "…..वर्ष **2023-24** में उम्मीद है कि गैस प्रोडक्शन काफी बढ़ने वाली है क्योंकि हमारे दो प्रोजेक्ट्स एफपीएसओ, ओएनजीसी और रिलायंएस के यहां से प्रोडक्शन शुरू होंगी। इसी तरह जो क्रूड प्रोडक्शन है, बम्बे हाई और ऑयल इंडिया के फील्ड से है, वहां से प्रोडक्शन

आनी शुरू होगी। इस पर काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब हमें उम्मीद है कि वर्ष 2023-24 में जो रिफार्म किए हैं, जितना इन्वेस्टमेंट किया है, इस साल प्रोडक्शन में इजाफा दिखेगा….."।

1.69 मौखिक साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आगे और विस्तार से निम्नानुसार बताया:

"…..पिछले साल में एक बड़ी चीज हुई है, समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा था, उसके अधिकांश हिस्से में हम जा नहीं पाते थे। क्यों नहीं जा सकते थे क्योंकि फौज, स्पेस और डीआरडीओ की तरफ से पाबंदियां थीं। 99 प्रतिशत एरिया में नो-गो के रिस्ट्रिक्शन थे, उसे अब हटा दिए गए हैं। सबसे पहले हमने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, डाटा इकट्ठा करने में साल-दो साल लगते हैं लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ-साथ ओपन एकरेज एरिया में ऑफर कर रहे हैं, ये ज्यादातर डीप वॉटर में हैं, बहुत गहराई में तेल और गैस मिलता है, तीन-पांच किलोमीटर की गहराई में जाना पड़ता है। देश में इसकी क्षमता नहीं है, इसके लिए हमें विदेशी एक्सपर्ट कंपनी की सहायता लेनी पड़ेगी, उन सब के लिए जो हमें डाटा चाहिए हम उसे कलैक्ट कर रहे हैं….."।

1.70 पिछले वर्षों के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक और विकासात्मक वेधन गतिविधियों के संबंध में अपस्ट्रीम तेल कंपनियों की वास्तविक उपलब्धियों के संबंध में 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य साथ ही इस उद्देश्य के लिए वर्ष-वार निर्धारित की गई धनराशि और इस प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"जहां तक ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) का संबंध है, 2022-23 के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक और विकासात्मक ड्रिलिंग तथा लक्ष्यों के संदर्भ में उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23		2023-24
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य (ईएंडपी कार्य-योजना के अनुसार)	31.12.2022 तक वास्तविक	लक्ष्य (ईएंडपी कार्य योजना के अनुसार)
भूकंपीय सर्वेक्षण 2डी (जीएलकेएम)	1389.45	13103.28	2105.21	1050	1047.44	780
भूकंपीय सर्वेक्षण 3डी (एसकेएम)	263.0	2104.08	1097.5	470	525.37	315

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23		2023-24
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य (ईएंडपी कार्य-योजना के अनुसार)	31.12.2022 तक वास्तविक	लक्ष्य (ईएंडपी कार्य योजना के अनुसार)
			9			
अन्वेषी ड्रिलिंग (कुओं की संख्या)	11	12	7	34	13	32
विकास ड्रिलिंग (कुओं की संख्या)	25	24	31	39	19	44

वित्तीय लक्ष्य बनाम उपलब्धि:

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	सर्वेक्षण		अन्वेषी ड्रिलिंग		विकास ड्रिलिंग	
	लक्ष्य (ब.अ.)	वास्तविक	लक्ष्य (ब.अ.)	वास्तविक	लक्ष्य (ब.अ.)	वास्तविक
2019-20	475.49	396.52	970.14	946.13	771.90	1,191.58
2020-21	765.00	832.54	888.00	532.80	940.00	657.10
2021-22	586.00	628.96	1,288.00	600.42	779.00	947.19
2022-23*	574.00	386.02	1,015.00	563.52	782.00	708.32
2023-24	612.00	--	1,127.00	--	950.00	--

टिप्पणी*: वास्तविक दिसंबर'22 तक (अनंतिम)।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी के अन्वेषण और विकास ड्रिलिंग लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं।

वर्ष	**बजट अनुमान लक्ष्य**				**वास्तविक**			
	2डी (एलकेएम)	3डी (एसकेएम)	अन्वेषी कुएं	विकास कुएं	2डी (एलकेएम)	3डी (एसकेएम)	अन्वेषी कुएं	विकास कुएं
2019-20	310	5051	117	394	462	4250	106	394
2020-21	2940	5205	111	392	1478	7138	100	380
2021-22	2605	10802	97	407	1804	3963	78	356
2022-23*	2589	7415	108	373	383	9392	52	267
2023-24	977	8300	118	423	-	-	-	

***01.01.2023 तक का निष्पादन**

निर्धारित निधियां और वास्तविक उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

विवरण	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**
	ब.अ.	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**वास्तविक**	**ब.अ.**	**31.12.22 तक वास्तविक***	**ब.अ.**
सर्वेक्षेण	2,077	1,697	1,968	1,750	3,124	2,089	2,925
अन्वेषी ड्रिलिंग	6,229	5,539	4,359	4,723	5,655	2,739	6,158
विकास ड्रिलिंग	8,396	6,718	8,534	7,590	6,899	7,003	7,627

**अनंतिम*

<u>खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी)</u>

1.71 देश में अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लिए नई लाइसेंसिंग नीति अर्थात ओएएलपी के तहत की गई प्रगति के बारे में पूछे जाने पर , मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"सरकार ने 30 मार्च 2016 को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के एक भाग के रूप में खुला क्षेत्रफल लाइसेंसिंग नीति(ओएएलपी) की शुरुआत की और औपचारिक रूप से इसे 1 जुलाई 2017 से शुरू किया गया जो अन्वेषण कंपनियों को सरकार की ओर से औपचारिक बोली दौर की प्रतीक्षा किए बिना, स्वत: अन्वेषण ब्लॉकों का चयन करने का विकल्प देता है।

अब तक ~3.13 अरब डॉलर के कुल प्रतिबद्ध निवेश के साथ ईएंडपी गतिविधियों के लिए 2,07,692 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करने वाले 134 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए जाने के साथ ओएएलपी बोली के सात दौर संपन्न हो चुके हैं। ओएएलपी बोली दौर VII तक प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम के तहत 2डी भूकंपीय के 30,655 एलकेएम + 3डी भूकंपीय के 58,080 एसकेएम + 487 अन्वेषी कुएं प्रदान किए गए हैं।

अवार्ड किए गए 134 ब्लॉकों में से 7 ब्लॉकों का त्याग कर दिया गया है। इस प्रकार, वर्तमान में 127 ब्लॉकों सक्रिय रूप से अन्वेषण कार्य चल रहा है। इन ब्लॉकों में अन्वेषण गतिविधियां चल रही हैं और 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण के ~29417 एलकेएम और 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के ~24206 एसकेएम को 21 अन्वेषी कुओं की ड्रिलिंग के साथ पूरा किया गया है।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप अब तक 5 खोजें (3 तेल + 2 गैस) की जा चुकी हैं।

ओएएलपी बोली दौर-VIII को 7 जुलाई 2022 को 10 ब्लॉकों में लगभग 34,364 वर्ग. कि.मी. क्षेत्रफल को कवर करते हुए शुरू किया गया था और इनके मार्च 2023 तक प्रदान किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, देश में अन्वेषण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए ओएएलपी बोली दौर-IX की घोषणा की गई है, जिसमें 26 ब्लॉकों में लगभग 2,23,031 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल को मई 2023 तक प्रदान किए जाने की उम्मीद है।"

1.72 ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी अपस्ट्रीम सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति के संबंध में कच्चे तेल पर लगाए जा रहे उप कर के मौजूदा तरीके का क्या प्रभाव है यह पूछे जाने पर , मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत कच्चे तेल पर ओआईडी उप-कर लगाया जाता है। दिनांक 28.03.2016 की अधिसूचना के अनुसार, ओआईडी उप-कर 01.03.2016 से "20 प्रतिशत यथामूल्य" पर लागू है।

ओआईडी उप-कर के अलावा, सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ("एसएईडी") भी लगाया है।

नामित ब्लॉकों और पूर्व-एनईएलपी अन्वेषणात्मक ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल पर केवल 20% की दर से ओआईडी उप-कर लगाया जाता है। पूर्व-एनईएलपी और नामांकन व्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र पहले से ही गिरावट के चरण में हैं और मौजूदा उत्पादन स्तर को बनाए रखने/बढ़ाने के लिए अधिक पहल और व्यय की आवश्यकता है। इसके अलावा, ओआईडी उप-कर केवल घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगाया जाता है। इस प्रकार, यह आयातित कच्चे तेल की तुलना में घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों को काफी नुकसान में रखता है। ओआईडी उप-कर के अलावा, अन्य सांविधिक शुल्क जैसे रॉयल्टी (अपतटीय और तटवर्ती उत्पादन पर क्रमशः 10% और 20% की दर से) और वैट (@ 5%) का भी भुगतान किया जाता है। रॉयल्टी और ओआईडी उप-कर दोनों उत्पादन शुल्क हैं और इनका बोझ खरीदारों पर नहीं डाला जाता है और ये उत्पादन की लागत का हिस्सा होते हैं। यह कई नई विकास परियोजनाओं को आर्थिक रूप से गैर-किफायती बनाता है। कच्चे तेल की कम कीमत व्यवस्था के दौरान, यह अपस्ट्रीम परिसंपत्तियों में बड़ी मात्रा में नुकसान का कारण बनता है।

चूंकि पहले उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के राजस्व के हिस्से को अलग किए बिना कच्चे तेल की कीमतों के प्रतिशत के रूप में ओआईडी उप-कर एकत्र किया जाता है, इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है जब तेल की कीमतें अपने निम्नतम स्तर तक गिर जाती हैं, जैसे कि कोविड-19 स्थिति के दौरान हुआ था। ओएनजीसी ओआईडी उप-कर की दरों को संतुलित करने के पक्ष में रहा है जैसे कि तेल की कीमतों से जुड़ी प्रतिशत दर लागू करना ताकि कीमतें कम होने पर आवश्यक राहत प्रदान की जा सके।

इसके अलावा, ओआईडी उप-कर का देश के बड़े क्षेत्र को अन्वेषणात्मक कवरेज के तहत लाकर अन्वेषणात्मक प्रयास करने के लिए एनओसी (ओएनजीसी/ ओआईएल) के पास उपलब्ध संसाधनों को कम करने का प्रभाव पड़ता है। कच्चे तेल के मामले में 85% आयात निर्भरता को देखते हुए, यह आवश्यक है कि ऊर्जा सुरक्षा कारणों से देश में अन्वेषण कवरेज बढ़ाने के लिए एनओसी को अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।"

1.73 यह पूछे जाने पर कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा सरकार को कितना उप कर का भुगतान किया गया है, मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

"पिछले तीन वर्षों के दौरान ओआईएल और ओएनजीसी द्वारा कच्चे तेल पर भुगतान किया गया उप-कर निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	ओआईएल द्वारा भुगतान किया गया उप-कर (करोड़ रुपए में)	ओएनजीसी द्वारा भुगतान किया गया उप-कर (करोड़ रुपए में)
2019-20	1,560.64	10,788.00
2020-21	1,108.46	8,018.80
2021-22	2,011.81	14,126.10

1.74 यह पूछे जाने पर कि तेल पीएसयू द्वारा अब तक भुगतान की गई राशि के ब्यौरे सहित केंद्र सरकार द्वारा कच्चे तेल पर लगाए गए अप्रत्याशित कर का ब्यौरा क्या है,मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः

" भारत सरकार ने दिनांक 30.06.2022 की अपनी अधिसूचना सं. 5/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया है, जिसमें कच्चे तेल पर 23,250 रुपए/मी.टन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ("एसएईडी") लगाया गया है। वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसार, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत प्रभार्य अन्य उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में परिभाषित किया गया है। यह नया एसएईडी 01.07.2022 से लागू हो गया है।

सरकार द्वारा एसएईडी की पाक्षिक अंतराल पर समीक्षा की जाती है, इसकी शुरुआत के बाद से पाक्षिक आधार पर अधिसूचित एसएईडी की दरें निम्नानुसार हैं:

से प्रभावी	एसएईडी की दरें (रु. प्रति मीट्रिक टन)
01.07.2022	23,250
20.07.2022	17,000
03.08.2022	17,750
19.08.2022	13,000
01.09.2022	13,300
17.09.2022	10,500

02.10.2022	8,000
16.10.2022	11,000
02.11.2022	9,500
17.11.2022	10,200
02.12.2022	4,900
16.12.2022	1,700
03.01.2023	2,100
17.01.2023	1,900

द. <u>कृष्णा-गोदावरी बेसिन में खोज और उत्पादन की स्थिति</u>

1.75 कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन की स्थिति के संबंध में,मंत्रालय ने निम्नवत ब्यौरा दिया:

> "कृष्णा-गोदावरी बेसिन दो बड़ी पूर्वी तट नदियों, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा और गोदावरी तथा बंगाल की खाड़ी के आस-पास के क्षेत्रों से बना एक डेल्टा मैदान है जिसमें ये नदियाँ अपना पानी छोड़ती हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत के पूर्वी तट पर स्थित महाद्वीपीय मार्जिन का एक प्रमाणित पेट्रोलियम बेसिन है। इसका जमीनी हिस्सा 15000 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को कवर करता है और अपतटीय हिस्सा 25,000 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को 1000 मीटर आइसोबाथ तक कवर करता है। बेसिन में जमाव के कई चक्रों के साथ लगभग 5 कि.मी. मोटी तलछट होती है, जो लेट कार्बोनिफेरस से प्लेइस्टोसिन तक के युग की है।

केजी बेसिन में अनुमानित हाइड्रोकार्बन संसाधन

श्रेणी	**बेसिन**	**पूर्व अनुमानित संसाधन**	**2017-18 में पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अनुमानित संसाधन**
श्रेणी-I	कृष्णा गोदावरी	1130	9554.5

पीएससी व्यवस्था के तहत केजी बेसिन में अन्वेषण की स्थिति निम्नानुसार है:

- 5649 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को कवर करते हुए ऑपरेटरशिप पर आधारित विभिन्न कंपनियों को कुल 39 अन्वेषण ब्लॉक/क्षेत्र अर्थात् तटीय क्षेत्र (4), गहरे पानी (18) और उथले पानी (17) प्रदान किए गए हैं, जिनमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [19], रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [12], केयर्न इंडिया/ वेदांता लिमिटेड [3], बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा), यूके [1], रॉयल डच शेल, यूके [1], गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड [1], हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक. [1] और ऑयल इंडिया लिमिटेड [1] शामिल हैं।
- विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 28 ब्लॉकों को वर्तमान ऑपरेटरशिप के आधार पर त्याग दिया गया है जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [11], ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [13], हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक. [1], केयर्न/वेदांता लिमिटेड [1], बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा), यूके [1] और रॉयल डच शेल, यूके [1] शामिल हैं। अन्य पांच ब्लॉकों को ऑपरेटरों द्वारा त्यागने के लिए प्रस्तावित किया गया है जिनमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [3], ऑयल इंडिया लिमिटेड [1] और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड [1] शामिल हैं। ऑपरेशनल ब्लाक/फिल्ड - केजी बेसिन का ब्यौरा अनुबंध सं.---- में उपलब्ध है।

जहां तक **ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)** का संबंध है, ओआईएल के पास कृष्णा-गोदावरी बेसिन में केजी-ओएनएन-2004/1(एनईएलपी-VI)और केजी/ओएसडीएसएफ/जीएसकेडब्ल्यू/2018 (डीएसएफ-II) नामक दो ब्लॉक हैं।

1. **केजी-ओएनएन-2004/1**

ओआईएल द्वारा संचालित ब्लॉक केजी-ओएनएन-2004/1 को एनईएलपी-VI दौर के तहत प्रदान किया गया था जिसमें आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले और पुडुचेरी के यनम जिले का353.5 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिलथा। ब्लॉक में 10 कुओं में तेल की खुदाई की गई है और 3 गैस की खोज की गई है, जैसे डंगेरू-1, थानेलंका-1 और येदुरुलंका-1 (एचपी-एचटी गैस)। तथापि, गैर-किफायती प्रकृति होने के कारण 2019-20 के दौरान डंगेरू खोज का त्याग कर दिया गया था और अन्य दो एचपीएचटी गैस खोजों को भी त्यागने का प्रस्ताव है।

2. **केजी/ओएसडीएसएफ/जीएसकेडब्ल्यू/2018**

अपतटीय केजी बेसिन में ब्लॉक केजी/ओएसडीएसएफ/जीएसकेडब्ल्यू/2018 ओआईएल को डीएसएफ-II दौर में दिया गया था। 93.902 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को कवर करने वाला ब्लॉक आंध्र

प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के उथले पानी वाले क्षेत्रों में स्थित है।वर्तमान में, ब्लॉक के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के कार्यान्वयन कीतैयारी गतिविधियां चल रही हैं।

जहां तक **ओएनजीसी** का संबंध है, यह आंध्र प्रदेश राज्य और केजी अपतटीय क्षेत्रों को कवर करने वाले कृष्णा-गोदावरी तटवर्ती बेसिन में पांच दशकों से अधिक समय से अन्वेषणात्मक गतिविधि में सक्रिय रूप से लगी हुई है। अब तक किए गए अन्वेषणात्मक प्रयासों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

केजी तटीय क्षेत्र: केजी तटीयबेसिन 28,000 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को कवर करता है जो आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। कृष्णा-गोदावरी तटीयबेसिन पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा के तीन तटीय जिलों में आता है। ओएनजीसी की खोज और उत्पादन गतिविधियां इन तीन जिलों में केंद्रित हैं। **ओएनजीसी द्वारा क्षेत्रफलजोत और अन्वेषण संबंधी उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं:**

01.01.2023 को कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ओएनजीसी द्वारा धारित क्षेत्रफल

व्यवस्था	क्षेत्रफल का प्रकार	ब्लॉकोंकीसंख्या	क्षेत्र (वर्गकि.मी.)
नामांकन	दीर्घावधिपीएमएल	34	1019.519
	अल्पावधिपीएमएल (7 वर्ष पीएमएल)	3	3309.587
एनईएलपी	पीएमएल	1	54.46
एचईएलपी	पीईएल	1	3305.89

स्थापना के बाद से और बजट अनुमान 2022-23 की अवधि के दौरान केजी तटीय क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा अन्वेषात्मकउपलब्धियां					
अन्वेषात्मकइनपुट	यूनिट	01.01.2023 को स्थापना के बाद से		ब.अ.लक्ष्य 2022-23	वास्तविक 01.01.2023तक
2डी भूकंपीय	एलकेएम	39231.8		0	0
3डी भूकंपीय	एसकेएम	10391.91		0	0
अन्वेषात्मक कुएँ	सं.	कुल: 510 एचसी वाली220		14	4 3@
अधिसूचित खोजें	सं.	93	संभावनाएं 71	-	-
			पूल22	-	4

ओएनजीसी के पास एनईएलपी ब्लॉक केजी-ओएनएन-2003/1 में सीआईएल द्वारा की गई 2 खोजें भी शामिल हैं।				
01.04.2022 को ओएनजीसी द्वारा रखागया भंडार (एमएमटीओई) (2पी)	स्वस्थाने मात्रा	अनुमानित अंतिम रिकवरी (ईयूआर)	आकस्मिक संसाधन	भंडार
	253.20	111.40	44.95	24.47
@ ड्रिलिंग के तहत				

केजी अपतटीय: कृष्णा-गोदावरी बेसिन के अपतटीय हिस्से का क्षेत्रफल लगभग 1,98,544 कि.मी.^{2} है, जिसमें बंगाल की खाड़ी केअपतटीय क्षेत्र में लगभग 25,649 कि.मी.^{2} उथले पानी (एसडब्ल्यू) में और लगभग 1,72,895 कि.मी.^{2} गहरे पानी (डीडब्ल्यू)में है जिसके अन्वेषण के लिए हाइड्रोकार्बन क्षमता होने का अनुमान है।

ओएनजीसी द्वारा क्षेत्रफलधारिताऔर अन्वेषण संबंधी उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

01.01.2023 को केजी अपतट में ओएनजीसी द्वारा धारित रकबा

व्यवस्था	क्षेत्रफल का प्रकार	ब्लॉकों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
नामांकन	पीईएल	-	-
	दीर्घावधिपीएमएल	7	570.86
	अल्पावधिपीएमएल (7 वर्ष पीएमएल)	-	-
एनईएलपी	पीईएल	3	3546.87
	पीएमएल	3	847.50

स्थापना के बाद से और बजट अनुमान 2022-23 की अवधि के दौरान केजी अपतट बेसिन में ओएनजीसी द्वारा अन्वेषणात्मकउपलब्धियां				
अन्वेषणात्मकइनपुट	**यूनिट**	**01.01.2023 को स्थापना के बाद से**	**ब.अ. लक्ष्य 2022-23**	**01.01.2023 तक वास्तविक**
2डी भूकंपीय डेटा	एलकेएम	89,686	0	0

		(एसडब्ल्यू में 33,227, डीडब्ल्यू में 56,459)			
3डी भूकंपीय डेटा	एसकेएम	43,087 (एसडब्ल्यू में 5,291, डीडब्ल्यू में 37,796)		250	0
अन्वेषात्मक कुएँ	सं.	कुल:291 (एसडब्ल्यू में 186, डीडब्ल्यू में 105) 130 एचसी वाली		2	2
ओएनजीसी द्वारा अधिसूचित खोजें	सं.	71	47 संभावनाएं	-	0
			24 पूल	-	1
ओएनजीसी के पास अन्य ऑपरेटरों द्वारा की गई 13 संभावित खोजें भी हैं (केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 में सीईआईएल द्वारा 4 और केजी-ओएसएन-2001/3 में जीएसपीसी द्वारा 9)।					
ओएनजीसी द्वारा 01.04.2022 को रखा गया भंडार (एमएमटीओई) (2पी)	स्वस्थाने मात्रा	अनुमानित अंतिम वसूली (ईयूआर)		आकस्मिक संसाधन	भंडार
	462.62	220.85		118.16	96.72

1.76 जब समिति ने यह जानना चाहा कि चालू वर्ष के दौरान लेखांकित नए फीडस्टॉक्स से प्राकृतिक गैस उत्पादन की स्थिति क्या है, मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

> "आज की तारीख में ओआईएल ने केजी बेसिन में ब्लॉकों से तेल और गैस का कोई उत्पादन शुरू नहीं किया है।
>
> ओएनजीसी ने 1986-87 से राजमुंदरी परिसंपत्तिमें कैकलुर से केजी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया।ओएनजीसी वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में राजमुंदरी परिसंपत्तिमें कृष्णा-गोदावरी बेसिन के भूमि क्षेत्रों से और पूर्वी अपतटीय परिसंपत्ति (ईओए) के माध्यम से केजी बेसिन के गहरे/उथले पानी के अपतटीय क्षेत्रों से तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रही है। इसके अलावा, ओएनजीसी ने केजी उथलेवाटर ब्लॉक केजी-ओएसएन-2001/3 (डीडीडब्ल्यू फील्ड) में ऑपरेटरशिप (01.10.2017) के साथ जीएसपीसी की 80% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है और मार्च 2017 में एचपी-एचटी परिसंपत्तिनामक एक नई परिसंपत्तिबनाई गई है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2021-22 और चालू वर्ष अर्थात्2022-23 (अप्रैल'22 से दिसंबर'22) के दौरान कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ओएनजीसी के पृथककच्चे तेल (कंडेनसेटसहित) और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का विवरण निम्नानुसार हैं:-

	कच्चा तेल (कंडेनसेटसहित) (एमएमटी)	**प्राकृतिक गैस (एमएमएससीएम)**
2019-20	**0.243**	**1840**
2020-21	**0.189**	**1399**
2021-22	**0.354**	**1221**
2022-23*	**0.329**	**1101**

* (22 अप्रैल से 22 दिसंबर) - आंकड़े अनंतिम हैं।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ओएनजीसी द्वारा किए गए/किए जा रहे विभिन्न उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

पूर्ण परियोजनाएं

1. **जी-1 और जीएस-15 का एकीकृत विकास:** इन क्षेत्रों के एकीकृत विकास में 2026-27 तक 0.693 एमएमटी तेल और 4.307 बीसीएम गैस के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। परियोजना जून 2015 में पूरी हुई थी।
2. **वशिष्ठ और एस-1 क्षेत्रों का एकीकृत विकास:** इस परियोजना में 13 वर्षों में 14.611 बीसीएम गैस के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। एस2एबी कुएं से उत्पादन मई 2016 से शुरू हुआ था। यह परियोजना मार्च 2018 में पूरी हो चुकी है।
3. **नागायलंका एनईएलपी ब्लॉक केजी-ओएनएन-2003/1 का क्षेत्र विकास:** परियोजना में 2031-32 तक 0.768 एमएमटी तेल और 0.343 बीसीएम गैस के संचयी उत्पादन की परिकल्पना की गई है। उत्पादन मई 2018 से शुरू हुआ था। परियोजना सितंबर 2019 में पूरी हो चुकी है।

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

1. **एनईएलपी ब्लॉक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 के समूह-।। क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्रीय विकास योजना (एफडीपी):** इस परियोजना में 16 वर्षों में 14.24 एमएमटी तेल और 30.50 बीसीएम गैस के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। मार्च 2020 से इसके यू-फील्ड से गैसका उत्पादन शुरू हो गया है।

2. **एनईएलपी ब्लॉक केजी-ओएनएन-2003/1 नागायलंका क्षेत्र-पीएच-II का विकास:** इस परियोजना में 2031-32 तक 0.36 एमएमटी तेल और 0.249 बीसीएम गैस के संचयी उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

<u>अन्य पहलें:</u>

1. केजी अपतट में अन्य खोजों जैसे केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 (समूह-I और III क्षेत्र), जीएस-49 और जीएस-29 और जी-4-6 क्षेत्रआदि का विकास मूल्यांकन/विकास के विभिन्न चरणों में है। संविदाक्षेत्रों -केजी/ओएसडीएसएफ/चंद्रिका/2021 और केजी/ओएसडीएसएफ/जीएस49/2021 को डीएसएफ-III के तहत ओएनजीसी को दिया गया है, जिसके विकास की योजना बनाई जा रही है।
2. कम पारगम्य जलाशयों में बेहतर उप-सतह कनेक्टिविटी के लिए बहु स्तरीय हाइड्रो फ्रैक्चरिंग के माध्यम से राजमुंदरी परिसंपत्ति में कमरेत वाले/एचपीएचटी जलाशयों का विकास ।

ध. <u>ओएनजीसी द्वारा घरेलू कच्चा तेल उत्पादन की बिक्री हेतु नई नीलामी नीति</u>

1.77 यह पूछे जाने पर कि घरेलू कच्चा तेल उत्पादन की बिक्री के निमित्त तेल पीएसयूज द्वारा अपनाई जा रही नीलामी नीति क्या है, इस सम्बन्ध में मंत्रालय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा दे, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

"सरकारी अधिसूचना दिनांक 11/7/2022 के प्रावधानों के अनुसार, ओएनजीसी ने ओएनजीसी के क्षेत्रों से उत्पादित कच्चे तेल की आपूर्ति/बिक्री के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई:

(एक) ओएनजीसी ने मुंबई अपतट में ओएनजीसी के क्षेत्रों से उत्पादित कच्चे तेल के लिए स्वतंत्र सेवा प्रदाता के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बोली को अपनाया है, जहां तटीय या पाइपलाइन मोड के माध्यम से कई रिफाइनरियों को कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।

(दो) अब तक (06) नवंबर 2022 से फरवरी 2023 की अवधि के दौरान कच्चे तेल की बिक्री के लिए ई-नीलामी पूरी की जा चुकी है। आपूर्ति-श्रृंखला और मूल्य निर्धारण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, ओएनजीसी द्वारा तय मूल्य पर टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भी विचार किया जा रहा है।

नामांकित क्षेत्रों और यहां तक कि एनईएलपी ब्लॉकों से घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिनांक 30/09/2022 तक आवंटित किया जा रहा

था। दिनाँक 11/07/2022 की अधिसूचना, जो दिनांक 12/07/2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल को नियंत्रण मुक्त कर दिया। अधिसूचना के प्रावधान इस प्रकार थे:-

1. भारत सरकार 01/10/2022 से कच्चे तेल और केंडेंसेट का आवंटन बंद कर देगी।
2. कम्पनियों को कच्चा तेल बेचने के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) की शर्त को हटा दिया जाएगा, अगर किसी पीएससीज में ऐसी स्थिति का उल्लेख किया गया है और संविदा तदनुसार संशोधित हो जाएगा।
3. जब तक संविदा अन्यथा प्रदान नहीं करता है, रॉयल्टी, उपकर, अन्य वैधानिक लेवी और संविदात्मक भुगतान जैसेकि लाभकारी पेट्रोलियम, राजस्व हिस्सेदारी आदि का मूल्य वास्तविक बिक्री मूल्य या कच्चे तेल की भारतीय टोकरी की कीमत के आधार पर होगा, मासिक आधार पर, जो भी अधिक हो, सरकार द्वारा नामित एजेंसी द्वारा गणना की गई है।
4. घरेलू कच्चे तेल के निर्यात की अनुमति जारी रहेगी।
5. यदि इस मामले में किसी और स्पष्टीकरण या व्याख्या की आवश्यकता है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ऐसा आवश्यक स्पष्टीकरण/व्याख्या जारी करेगा।

इसका व्यापक उद्देश्य व्यापार करने में आसानी और ऑपरेटरों/उद्योग को अधिक स्वतंत्रता पर ध्यान देने के साथ एक समान अवसर प्रदान करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और संपूर्ण तेल एवं गैस मूल्य श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहित करना था।उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, ओएनजीसी ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
आज तक की तिथि के अनुसार, इस नीति के कारण हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में ओएनजीसी को किसी भी रिफाइनरी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।"

1.78 यह पूछे जाने पर कि वैश्विक तेल कम्पनियाँ अपना कच्चा तेल बेचने के लिए क्या नीति अपना रही हैं और क्या अन्य देशों द्वारा कच्चा तेल बेचने के लिए नीलामी पसंदीदा तंत्र है,मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

"कच्चे तेल के वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा आवधिक संविदाओं (विशिष्ट अवधि 1 से 2 वर्ष) के माध्यम से होता है, जिसे एक वार्ता के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाता है। प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता राष्ट्रीय तेल कम्पनियाँ **(एनओसीज)** और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ **(एमएनसीज) हैं** , जो आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता के लिए टर्म कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ऐसी बिक्री व्यवस्था को प्राथमिकता देती हैं।तथापि, कार्गो की **हाजिर बिक्री** नीलामी के जरिए होती है। भारतीय संदर्भ में, भारतीय रिफाइनरियाँ हाजिर कार्गोज के लिए निविदाएँ आमंत्रित करती हैं। व्यापारी/व्यापारिक घराने आमतौर पर ऐसी निविदाओं में भाग लेते हैं और हाजिर कार्गोज की पेशकश करते हैं।आपूर्ति/माँग में अनिश्चितताओं को प्रबंधित करने

के लिए आपूर्तिकर्ता हाजिर बिक्री रूट का उपयोग करते हैं। आपूर्ति पक्ष में उत्पादन की सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है और इसलिए उत्पादन में कोई वृद्धि या कच्चे तेल की उपलब्धता हाजिर आधार पर पेश की जाती है। इसी तरह माँग पक्ष पर, भू-राजनीतिक घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, रिफाइनरियों द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी समस्याओं आदि के कारण माँग में परिवर्तन से अतिरिक्त कच्चा तेल प्राप्त हो सकता है, जिसे हाजिर कार्गोज के रूप में पेश किया जा सकता है।"

न. <u>(एक) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी)/ पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नेटवर्क</u>

1.79 जब समिति ने यह जानना चाहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान पीएनजीआरबी द्वारा पूरे देश में शुरू की जा रही नगर गैस वितरण परियोजनाओं पर अब तक हासिल की गई लक्ष्यों और उपलब्धियों क्या है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः

"पीएनजीआरबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार पीएनजीआरबी संस्थाओं को नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए अधिकृत करता है। पीएनजीआरबी ने अब तक सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 297 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को अधिकृत किया है जो देश की 98% आबादी और इसके भौगोलिक क्षेत्र के 88% को कवर करता है। पिछला समाप्त हुआ 11वां और 11ए सीजीडी बोली-प्रक्रिया का दौर था, जिसमें सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 67 जीए के लिए प्राधिकार प्रदान किया गया था, जिसमें देश की आबादी का 28.47% और इसके भौगोलिक क्षेत्र का 34.66% शामिल है। प्राधिकृत संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला कार्य कार्यक्रम इस जीए में उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की पहुंच प्रदान करेगा। 11वें और 11ए सीजीडी बोली दौरों के तहत अधिकृत जीए की सूची के साथ अब तक हासिल किए गए लक्ष्यों और उपलब्धियों को अनुबंध-दो के रूप में संलग्न किया गया है। अधिकृत संस्था को निर्दिष्ट किए अनुसार 8 से 10 अनुबंध वर्षों के भीतर वर्ष-वार कार्य कार्यक्रम प्राप्त करना आवश्यक है।"

1.80 यह पूछे जाने पर कि देश में सीएनजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में क्या प्रगति हुई है, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में वास्तविक उपलब्धियों की तुलना में विस्तार लक्ष्य क्या थे, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः

"सीजीडी संस्थाएं जिन्हें सीजीडी परियोजनाओं के विकास के लिए पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत किया गया है, वे पीएनजीआरबी के न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) से बंधी हुई हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा सीएनजी स्टेशनों के लिए लक्ष्य शामिल हैं। पीपीएसी डाटा के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अधिकृत सीजीडी संस्थाओं द्वारा पूरे भारत में जोड़े गए सीएनजी स्टेशनों की संख्या निम्नवत है:

वित्त वर्ष	जोड़े गए सीएनजी स्टेशन (सं.)
20-2019	477
21-2020	894
22-2021	1,332

पीएनजीआरबी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक) के लिए डीपीएनजी कनेक्शनों में ~ 10,89,885 की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2030-31 तक डीपीएनजी कनेक्शनों के लिए एमडब्ल्यूपी लक्ष्य ~ 123,803,391 है।

वित्त वर्ष	डीपीएनजी कनेक्शनों में वृद्धि (संख्या)	संचयी डीपीएनजी कनेक्शन (संख्या)
वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर, 2022 तक)	10,89,885	10,392,552

1.81 यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार लक्ष्यों और उपलब्धियों के साथ पाइप्ड नेचुरलगैस (पीएनजी) के तहत कवर किए गए शहरों और उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2023-24 के लक्ष्य क्या हैं, मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

पीएनजीआरबी के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सीजीडी नेटवर्क बिछाने के लिए अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) की संख्या इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	प्राधिकृत जीए (सं.)
21-2020	शून्य
22-2021	53
2022-23 (दिसंबर तक)	14

पीपीएसी के अनुसार, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान समग्र भारत में अधिकृत सीजीडी संस्थाओं द्वारा जोड़े गए घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	जोड़े गए डीपीएनजी कनेक्शन (संख्या)	संचयी डीपीएनजी कनेक्शन (संख्या)

21-2020	17,51,972	78,20,387
22-2021	14,82,280	93,02,667
2022-23(अक्टूबर तक) *	7,60,889	100,63,556

*पीपीएसी वेबसाइट पर डाटा 31.10.2022 तक उपलब्ध है।

पीपीएसी के अनुसार, सभी अधिकृत सीजीडी संस्थाओं द्वारा समग्र भारत में प्रदान किए गए वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शनों (31.10.2022 तक) के लिए संचयी संख्या क्रमशः 36,106 और 14,348 है।

1.82 14.02.2023 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को जम्मू और कश्मीर में प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में निम्नानुसार अवगत कराया:

"…..अभी तक कश्मीर में हमारी पाइपलाइन नहीं है। हमने बीड़ा उठाया है कि हम पंजाब में गुरुदासपुर से जम्मू और फिर जम्मू से श्रीनगर के लिए पाइपलाइन बिछायेंगे। इसके लिए एक आथराइजेशन इनवाइट की गई है कि कौन सी कंपनी इस पाइपलाइन को बनायेगी। इसके लिए हमें आगे वीजीएफ देना होगा। यह पाइपलाइन से गैस कश्मीर और जम्मू में उपलब्ध हो पाएगी….."।

(दो) <u>इंद्रधनुष गैस ग्रीड लिमिटेड (आईजीजीएल)</u>

मौखिक साक्ष्य के दौरान आईजीजीएल परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने निम्नानुसार बताया:

"नॉर्थ-ईस्ट में गुवाहाटी तक पहुंचने के बाद बाकी राज्यों में भी पहुंच जाएगा। उसके लिए एक प्रोजेक्ट लिया गया है**,** उसका नाम इंद्रधनुष गैस पाइपलाइन है। इससे हम हर राज्य के राजधानी तक पाइपलाइन ले जा रहे हैं। हमारा यह प्रोजेक्ट भी ऑन ट्रैक चल रहा है। इसे हम वर्ष **2024** तक चालू कर देंगे। इसके लिए जो वाइवलिटी गैप फंडिंग दी जा रही है**,** उसका भी इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल भी किया गया था और इस साल भी किया गया है। यह स्कीम ऑन ट्रैक है**"**।

1.83 जब समिति ने यह जानना चाहा कि सीएनजी पंप स्टेशनों/बिक्री केन्द्रों के आवंटन के लिए मंत्रालय की वर्तमान नीति क्या है, क्या सीएनजी बिक्री केन्द्रों के आवंटन में आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाता है,मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "सीएनजी स्टेशनों की स्थापना किया जाना सीजीडी (नगर गैस वितरण) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और इसे पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत कम्पनियों द्वारा उनकी प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य योजना के अनुसार किया जाता है। सीएनजी बिक्री केन्द्र का आवंटन प्राधिकृत सीजीडी कम्पनियों द्वारा स्व-प्रबंधित होता है और यह मंत्रालय के विचाराधीन नहीं आता है। सीएनजी बिक्री केन्द्र के आवंटन में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।"

प. <u>राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम</u>

1.84 यह पूछे जाने पर कि राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) की स्थिति पर नोट प्रस्तुत करें,मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

> "भारत में गैस हाइड्रेट अन्वेषण को राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। दो अभियान, पहला 2006 में (एनजीएचपी-01) और दूसरा 2015 में (एनजीएचपी-02) चलाया गया। एनजीएचपी-01 के तहत, कृष्णा-गोदावरी (केजी), महानदी, अंडमान और केरल-कोंकण बेसिन में 21 स्थलों पर गैस हाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए 39 होल ड्रिल किए गए थे। केरल-कोंकण को छोड़कर, तीनों बेसिनों में गैस हाइड्रेट की उपस्थिति स्थापित की गई थी, लेकिन ऐसी गैस मौजूदा तकनीकों के साथ गैर-दोहन योग्य सिद्ध हुई थी। एनजीएचपी-02 के तहत केजी और महानदी बेसिन के 25 स्थलों पर 42 होल किए गए। गैस हाइड्रेट वाले रेत भंडार केजी बेसिन में दो स्थानों पर स्थित थे और भविष्य के उत्पादन परीक्षण के लिए संभावित माने जाते थे।

- एमओयू के माध्यम से नियोजित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने सलाह दी कि भविष्य में उत्पादन परीक्षण तीन चरणों में किया जाना चाहिए।
- चरण 1 को एनजीएचपी-01 और 02 अभियानों के तहत प्राप्त आंकड़ों के एकीकरण और व्याख्या से निपटने के लिए प्रस्तावित किया गया था।
- चरण-2 में सफल उत्पादन परीक्षण के लिए आवश्यक उपसतह अखंडता को बेहतर ढंग से समझने के लिए अतिरिक्त डाटा का अधिग्रहण शामिल होता।
- चरण-3 में चयनित स्थलों पर उत्पादन परीक्षण करने का प्रस्ताव था।

- चरण-I वर्तमान में भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न स्थानों पर चल रहा है, जहां एनजीएचपी-01 और 02 अभियानों से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या और एकीकरण किया जाता है।
- 37वीं तकनीकी समिति (टीसी) की बैठक के दौरान, गैस हाइड्रेट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (जीएचआरटीसी), ओएनजीसी को एनजीएचपी के सदस्यों के साथ कार्य करने की सलाह दी गई ताकि पायलट उत्पादन परीक्षण के लिए रुचि के क्षेत्र/स्थलों को निर्धारित किया जा सके। उक्त बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि सभी परियोजना प्रस्तावों को मानक परियोजना लागतों के साथ समेकित किया जाना चाहिए और इसे अगली टीसी बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- जीएचआरटीसी-ओएनजीसी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) और राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) ने एनजीएचपी-02 के तहत पहचाने गए 2 स्थलों के अलावा केजी बेसिन में 5 नए स्थलों के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दो ऑनलाइन बैठकों (दिनांक 16.06.2020 और 24.06.2020) के बाद, प्रस्ताव 10.11.2020 को सभी एनजीएचपी सदस्यों के बीच टिप्पणियों के लिए प्रसारित किया गया था।
- डीजीएच ने उपरोक्त प्रस्ताव पर सलाहकार समिति के सदस्यों से टिप्पणियां आमंत्रित की और समिति की प्रतिक्रिया 27-28.01.2021 के दौरान एनजीएचपी सदस्यों के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए साझा की गई। 38वीं तकनीकी समिति की बैठक 23.03.2021 को अन्य कार्यसूची के साथ उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रस्तावित थी, हालांकि, इसे कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर अनिश्चितताओं के कारण आयोजित नहीं किया जा सका।
- डीजीएच ने 12.03.2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित किया कि एनजीएचपी की 20वीं संचालन समिति की बैठक की कार्यसूची को 38वीं टीसी बैठक में पायलट उत्पादन परीक्षणों के लिए साइट को अंतिम रूप देने सहित परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा के बाद तय किया जाएगा।
- सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने 15.07.2021 को एनजीएचपी सदस्यों और आईआईटी के प्रोफेसरों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक में ओएनजीसी को गैस हाइड्रेट से संबंधित गतिविधियों को सुदृढ़ करने और समयबद्ध कार्य योजना विकसित करने की सलाह दी गई। यह मत था कि संस्थागत/तकनीकी/वैज्ञानिक स्तर पर गैस हाइड्रेट गतिविधियों पर भारत के अनुसंधान एवं विकास और आवश्यक समन्वय का नेतृत्व करने के लिए एक समर्पित समूह/अनुसंधान संस्थान बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार के समूह का प्रमुख विशेषज्ञ समूह के रूप में कार्य करेगा और भारत के गैस हाइड्रेट से संबंधित गतिविधियों और अनुसंधान के लिए संचार का एक बिंदु होगा। डीजीएच को संचालन समिति की बैठक बुलाने के लिए भी कहा गया था।

- डीजीएच वर्तमान में एनजीएचपी सदस्यों और विभिन्न आईआईटी से 37वीं टीसी बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट सहित परियोजना पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। सदस्यों के विचारों और प्रस्तुतियों के एकीकरण के पश्चात, 38वीं तकनीकी समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद 20वीं संचालन समिति की बैठक होगी।"

1.85 एनजीएचपी आरएंडडी अभियानों के परिणाम और वास्तविक स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास के स्तरों और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में अब तक की उपलब्धियों के ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

- एनजीएचपी-01 के तहत, कृष्णा-गोदावरी (केजी), महानदी, अंडमान और केरल-कोंकण बेसिन में 21 स्थलों पर गैस हाइड्रेट की मौजूदगी का पता लगाने के लिए 39 होल ड्रिल किए गए थे। केरल-कोंकण को छोड़कर, तीनों बेसिनों में गैस हाइड्रेट की मौजूदगी सिद्ध की गई थी, लेकिन ऐसी गैस मौजूदा तकनीकों के साथ गैर-दोहन योग्य साबित हुई थी। एनजीएचपी-02 के तहत केजी और महानदी बेसिन के 25 स्थलों पर 42 होल किए गए। गैस हाइड्रेट वाले रेत जलाशय केजी बेसिन में दो स्थानों पर स्थित थे और भविष्य के उत्पादन परीक्षण के लिए संभावित माने जाते थे।
- एनजीएचपी के तहत एमओयू के माध्यम से लगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने सलाह दी कि भविष्य में उत्पादन परीक्षण तीन चरणों में किया जाना चाहिए। चरण 1 एनजीएचपी-01 और 02 अभियानों के तहत प्राप्त आंकड़ों के एकीकरण और व्याख्या से संबंधित होगा। चरण-2 में सफल उत्पादन परीक्षण के लिए आवश्यक उपसतह अखंडता को बेहतर ढंग से समझने के लिए अतिरिक्त डेटा का अधिग्रहण शामिल होगा। चरण-3 चयनित स्थलों पर उत्पादन परीक्षण करेगा।
- एनजीएचपी-01 और 02 अभियानों से प्राप्त डेटा की अब भारत, जापान और यूएसए में विभिन्न स्थानों पर व्याख्या की जाती है और उन्हे एकीकृत किया जाता है।
- भारत में, जीएचआरटीसी-ओएनजीसी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) और राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) के समूह ने एनजीएचपी-02 के तहत पहचाने गए 2 स्थलों के अलावा केजीबेसिन में 5 नए स्थलों के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को सलाहकार समिति के सदस्यों सहित अन्य एनजीएचपी सदस्यों द्वारा जांच के लिए साझा किया गया है और इस पर 20वीं संचालन समिति की बैठक से पहले आगामी 38वीं तकनीकी समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

फ. <u>कोल बेड मीथेन</u>

1.86 पिछले वर्ष के दौरान कोल बेड मीथेन से संबंधित विकास पर स्थिति से संबंधित टिप्पण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

- 16598 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले सीबीएम ब्लॉक को वर्ष 2001 से 2008 तक चार बोली दौरों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था और जिनमें से 3 सीबीएम ब्लॉक विकास चरण में हैं और 5 सीबीएम ब्लॉक उत्पादन चरण में हैं।
- एससीबीएम बोली दौर-2021 के तहत, सितंबर-2022 में 03 कंपनियों (ओएनजीसी, वेदांता और इनवेनियर पेट्रोडाइन एनर्जी) को 4 सीबीएम ब्लॉक दिए गए, जो 3862 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं। इन 4 सीबीएम ब्लॉकों में से वर्तमान में सभी 4 सीबीएम ब्लॉक अन्वेषण चरण में हैं।

क्रम सं.	**सीबीएम ब्लॉक**	**संघ**	**राज्य**	**वर्तमान स्थिति**	**वर्तमान क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)**
1	झरिया	ओएनजीसी (74%)-सीआईएल (26%)	झारखंड	उत्पादन	67.6
2	रानीगंज नॉर्थ	ओएनजीसी (74%)-सीआईएल (26%)	पश्चिम बंगाल	विकास	311.79
3	बीके-सीबीएम-2001/1	ओएनजीसी (80%)-आईओसी (20%)	झारखंड	उत्पादन	75
4	एनके-सीबीएम-2001/1	ओएनजीसी (55%)-आईओसी (20%)-पीईपीएल (25%)	झारखंड	विकास	271.5
5	आरजे(ईस्ट)-2001/1	ईओजीईपीएल (100%)	पश्चिम बंगाल	उत्पादन	500

6	रानीगंज साउथ	जीईईसीएल (100%)	पश्चिम बंगाल	उत्पादन	210
7	एसपी -ईस्ट-2001/1	आरआईएल (100%)	मध्य प्रदेश	विकास	495
8	एसपी -वेस्ट-2001/I	आरआईएल (100%)	मध्य प्रदेश	उत्पादन	500
9	एसपी - ओएनएचपी(सीबीएम)-2021/1	इनवेनियर पेट्रोडाइन लिमिटेड	मध्य प्रदेश	अन्वेषण	1771
10	बीपी-ओएनएचपी(सीबीएम)-2021/2	ओएनजीसी लिमिटेड	झारखंड	अन्वेषण	991
11	एसआर-ओएनएचपी(सीबीएम)-2021/6	वेदांता लिमिटेड	छत्तीसगढ़	अन्वेषण	585
12	एसआर-ओएनएचपी(सीबीएम)-2021/5	ओएनजीसी लिमिटेड	मध्य प्रदेश	अन्वेषण	515
				योग (वर्ग कि.मी.)	**6436.55**

- वर्तमान में कुल 12 सीबीएम ब्लॉक सक्रिय हैं। 12 सीबीएम ब्लॉको का विवरण नीचे दिया गया है।
- 12 सक्रिय सीबीएम ब्लॉको में से 4 ब्लॉक अन्वेषण चरण में हैं, 3 बलॉक विकास चरण में और 5 ब्लॉक उत्पादन चरण में है।
- दिसंबर, 2022 तक सीबीएम का संचयी उत्पादन लगभग 5.5 बीसीएम है।
- वर्तमान में सीबीएम उत्पादन दर 1.9 एमएमएससीएमडी है।

वित्त वर्ष 19-20 से सीबीएम उत्पादन का विवरण और अनुमानित विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

		वास्तविक (इकाई)	**अनुमानित**

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	19-20	20-21	21-22	22-23*	23-24	24-25
1	सोहागपुर वेस्ट	344.9	333.7	290.1	270.0	303.0	348.0
2	रानीगंज ईस्ट	166.9	197.1	277.0	315.3	402.6	432.9
3	रानीगंज साउथ	138.9	109.9	112.3	107.5	153.0	149.0
4	बोकारो	0.2	0.6	1.6	6.4	97.3	137.2
5	झरिया	4.4	1.1	2.4	2.9	8.7	97.6
6	सोहागपुर ईस्ट	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	65.0
7	एनके-सीबीएम-2001/1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	41.5
8	रानीगंज नार्थ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7
कुल उत्पादन (एमएमएससीएम)		**655.4**	**642.4**	**683.4**	**702.0**	**979.0**	**1280.0**
** 22 दिसंबर तक सीबीएम उत्पादन 512 एमएमएससीएम है।*							

1.87 यह पूछे जाने पर कि क्या अब तक आवंटित नहीं किए गए ब्लॉकों की पुन: बोली लगाने के लिए अगले विशेष सीबीएम बोली दौर को शुरू करने के लिए कोई रोडमैप तैयार किया गया है, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी है:

- एससीबीएम-21 के तहत, 15 सीबीएम ब्लॉकों की पेशकश की गई। जिनमें से 4 सीबीएम ब्लॉक भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे।
- भारत सरकार ने अक्टूबर-22 में विशेष सीबीएम बोली दौर-2022 (एससीबीएम - 22) प्रारंभ किया और अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली ("आईसीबी")के माध्यम से मुक्त संचयन लाइसेंसिंग नीति ("ओएएलपी") के तहत 7 राज्यों में फैले लगभग 5800 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करने वाले16 सीबीएम ब्लॉकों की पेशकश की।
- एससीबीएम-22 में प्रस्तावित 16 सीबीएम ब्लॉकों में से, एसीबीएम-21 से 11 ब्लॉकों पर विचार किया गया है जिन्हें एसीबीएम-21 के दौरान दिया नहीं गया था और 5 नए ब्लॉकों की पहचान की गई है।
- एससीबीएम-22 के तहत ब्लॉकों की बोली अभी शुरू होनी शेष है। विशेष सीबीएम बोली दौर-2022 के तहत पेशकश किए जा रहे राज्य-वार सीबीएम ब्लॉक नीचे सारणीबद्ध हैं:

क्र.सं.	ब्लॉक	राज्य	क्षेत्र (वर्ग किमी)	टिप्पणी
1	बीपी-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/1	झारखंड	564.21	एससीबीएम-21 में पेशकश की गई
2	बीपी-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/2	पश्चिम बंगाल	197.04	एससीबीएम-21 में पेशकश की गई
3	पीजी-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/1	महाराष्ट्र	331.21	एससीबीएम-21 में पेशकश की गई
4	पीजी-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/2	महाराष्ट्र	708.87	एससीबीएम-21 में पेशकश की गई
5	पीजी-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/3	तेलंगाना	443.65	नया ब्लॉक
6	पीजी-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/4	तेलंगाना	195.40	नया ब्लॉक
7	पीजी-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/5	तेलंगाना	284.14	नया ब्लॉक
8	एसआर-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/1	मध्य प्रदेश	272.14	एससीबीएम-21 में पेशकश की गई
9	एसआर-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/2	मध्य प्रदेश	222.13	एससीबीएम-21 में पेशकश की गई
10	एसआर-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/4	मध्य प्रदेश	418.18	एससीबीएम-21 में पेशकश की गई
11	एसआर-ओएनएचपी(सीबीएम)-2022/5	मध्य प्रदेश	210.60	नया ब्लॉक
12	एसआर-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/3	छत्तीसगढ	407.80	एससीबीएम-21 में पेशकश की गई
13	एसआर-ओएनएचपी(सीबीएम)-2022/6	छत्तीसगढ	88.01	नया ब्लॉक
14	एसआर-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/7	छत्तीसगढ	590.00	एससीबीएम-21 में पेशकश की गई
15	एसआर-ओएनएचपी	ओडिशा	190.70	एससीबीएम-21 में

	(सीबीएम)-2022/8			पेशकश की गई
16	एसआर-ओएनएचपी (सीबीएम)-2022/9	ओडिशा	693.33	एससीबीएम-21 में पेशकश की गई
कुल			**5817**	

ब. <u>तेल पीएसयू के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

1.88 31 दिसंबर, 2022 तक तेल पीएसयू द्वारा इन निधियों की वास्तविक उपयोगिता के साथ-साथ वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत तेल पीएसयू के आईईबीआर का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया है:

(करोड़ रुपए में)

	2022-23		
क्षेत्र/गतिविधि	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक (अप्रैल-दिसंबर)***
खोज और उत्पादन	50535.97	53620.65	31612.34
रिफाइनरी और विपणन	53876.35	8999.09	39737.46
पेट्रोकेमिकल्स	6741.68	4756.07	6211.46
अभियांत्रिकी	200.00	17927.19	70.12
कुल तेल और गैस क्षेत्र	**111354.00**	**85303.00**	**77631.38**

1.89 पिछले तीन वित्त वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान तेल पीएसयू द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत उनके बजटीय आवंटनों से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराने और विभिन्न तेल पीएसयू के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आरई और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता, यदि कोई हो, का कारण बताने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित लिखित उत्तर दिया है:

(करोड़ रुपए में)

(करोड़	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**

रुपए)							
क्षेत्र/गतिविधि	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक (अप्रैल-दिसंबर)***	**बीई**
खोज और उत्पादन	49185.69	47956.83	46376.04	50535.97	53620.65	31612.34	60491.03
रिफाइनरी और विपणन	49803.58	49366.97	54948.23	53876.35	8999.09	39737.46	14183.10
पेट्रोकेमिकल्स	5441.03	6015.81	6550.71	6741.68	4756.07	6211.46	10772.66
अभियांत्रिकी	190.00	190.00	92.75	200.00	17927.19	70.12	22743.92
कुल तेल और गैस क्षेत्र	**104620.30**	**103529.61**	**107967.73**	**111354.00**	**85303.00**	**77631.38**	**108190.72**

भ. <u>एनर्जी ट्रांजिशन/नेट जीरो/ग्रीन हाइड्रोजन</u>

1.90 दिनांक 14.02.2023 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में उठाए जा रहे कदमों और निवल शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने के बारे में विस्तार से बताया:

> "…..सर, हमारे लिए एनर्जी ट्रांजिशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तेल और गैस हमेशा के लिए नहीं रहेगा। उसके अलावा, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के तहत हमें तेल और गैस की खपत को कम करनी होगी, एनर्जी ट्रांजिशन बहुत बड़ा बिन्दु हैं, जिस पर हमें बहुत काम करना है। हमारा सबसे बड़ा प्रयास ग्रीन हाइड्रोजन पर रहेगा। ग्रीन हाइड्रोजन का कई तरह से इस्तेमाल होता है, ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी में बनता भी है और खपत भी होता है। अमोनिया के मार्फत फर्टिलाइजर भी बनता है। सीएनजी में हाइड्रोजन की ब्लेन्डिंग होती है, वह भी हम प्रयोग कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हमारा एक बहुत ही मेजर थ्रस्ट एरिया है। स्कोप-1, स्कोप-2, एमिशन का जिक्र किया था….."।

1.91 अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधि ने विस्तार से निम्नानुसार बताया:

"…..साथ ही साथ एलपीजी का इस्तेमाल और कैसे कम हो सके, उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम एलपीजी इम्पोर्ट करते हैं तो क्या हम हमेशा इम्पोर्ट करते रहेंगे? हमने डबल बर्नर सोलर कुक टॉप, जिसको इंडियन ऑयल के आर एंड डी ने इजात किया है, उसको उपलब्ध कराया है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 6 फरवरी को इसका अनावरण भी किया गया है। यह जो डबल बर्नर सोशल कुक टॉप है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि यह पुराने सोलर कुक टॉप से किस तरह से अलग है….."।

भाग-दो

टिप्पणियां / सिफारिशें

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ङ (1) (क) के अनुसरण में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगें (2023-24) विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियों को भेजी जाती हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के इस प्रतिवेदन में समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच की गई है। समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें अनुवर्ती पैराओं में दी गई हैं :-

सिफारिश सं. 1

बजटीय आवंटन

समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2022-23 के 8939.86 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 2022-23 के 33883.55 करोड़ रुपये की तुलना मे बजट अनुमान 2023-24 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कुल आवंटन 41007.72 करोड़ रुपये रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि बजट अनुमान 2023-24 में 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्य के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को पूंजी सहायता के रूप में 30,000 करोड़ रुपये तथा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड को भुगतान के लिए 5000 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, संशोधित अनुमान 2022-23 में ओएमसीज को उनके घरेलू एलपीजी संबंधी क्रियाकलापों में कम वसूली की क्षतिपूर्ति के रूप में 22000 करोड़ रुपये का एकबारगी अनुदान दिया गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए, व्यवहार्यता अंतर निधियन के लिए संशोधित अनुमान 2022-23 में 245 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2023-24 में 500 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि एलपीजी योजना के लिए डीबीटी के तहत 180 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (पीएमयूवाई) के लिए बजट अनुमान 2023-24 में केवल 1 लाख रुपये की टोकन राशि उपलब्ध कराई गई है। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (घरेलू प्राकृतिक गैस) सहित देय अन्य राजसहायता के लिए बजट अनुमान 2023-24 में क्रमशः 1800 करोड़ रुपये और 1633.02 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसी तरह, पूंजीगत शीर्षो के तहत, समिति पाती है कि रणनीतिक कच्चे भंडारण कैवर्न के निर्माण के लिए चरण -2 के तहत

आईएसपीआरएल को 508 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आईआईपीई, विशाखापत्तनम के संबंध में, 168 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पीएम-जी-वन योजना के तहत बजट अनुमान 2023-24 में 227.26 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह, वाणिज्यिक जहाजों (परिवहन राजसहायता) की फ्लैगिंग के लिए योजना के तहत 290.44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तथापि, समिति यह नोट करके निराश है कि ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र संस्थान, बंगलौर, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, असम, फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना और राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम को बजट अनुमान 2023-24 के दौरान कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। इसी प्रकार, बजट अनुमान 2023-24 में "राज्य सरकारों को डिफरेंशियल रॉयल्टी का भुगतान" शीर्ष के अंतर्गत निधियां आबंटित नहीं की गई हैं।

समिति यह भी पाती है कि पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का बजटीय आवंटन बजट अनुमान 2021-22 के लिए 15943 करोड़ रुपये, बजट अनुमान 2022-23 के लिए 8939.86 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2023-24 के लिए 41007.72 करोड़ रुपये रहा है, जोकि बजट अनुमान में भारी भिन्नता को दर्शाता है और बजटीय अनुमान तैयार करने में खराब आयोजना को परिलक्षित करता है।

समिति यह भी नोट करती है कि सरकार ने बजट में कुछ नई घोषणाएं भी की हैं जैसे कि ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्य की दिशा में प्राथमिकतापूर्ण पूंजी निवेश के लिए ओएमसी को सहायता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' संयंत्रों की स्थापना।

समिति बजट अनुमान 2023-24 के लिए सरकार की नई बजटीय घोषणाओं की सराहना करते हुए यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा योजनाओं और नए कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए किए गए आवंटनों का समय पर और लागत में वृद्धि के बिना पूरा उपयोग किया जाए। उक्त प्रयोजन के लिए ओएमसी को आवंटित 30,000 करोड़ रुपये के उपयोग के लिए मंत्रालय द्वारा एक रोडमैप तैयार करके समिति को सूचित किया जाए।

समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करना चाहिए, और यदि अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता पड़ती है, तो मंत्रालय संशोधित बजट अनुमान की प्रक्रिया के दौरान इस संबंध में सरकार से संपर्क करे।

सिफारिश सं. 2

पेट्रोरसायन प्रभाग का रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अंतरण

समिति नोट करती है कि पेट्रोरसायन उद्योग पिछले पाँच वर्षों में 8 प्रतिशत से अधिक की सीएजीआर से बढ़ती माँग के साथ भारत में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि भारत के पेट्रोरसायन बाजार में मूल पेट्रोरसायन (लगभग 45 प्रतिशत) का ही प्रभुत्व है, जिसमें देश की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कम्पनियों की बड़े पैमाने पर उपस्थिति है। हाल ही में ओएनजीसी ने देश का सबसे बड़ा पेट्रोरसायन संयंत्र अर्थात् ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड प्लांट भरूच, गुजरात में शुरू किया है। आईओसीएल भी अपने वर्तमान पेट्रोरसायन उद्योग सूचकांक (पीटीआई) को वर्ष 2030 तक करीब 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक करने की कई पेट्रोरसायन परियोजनाओं पर काम कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल उपक्रम रिफाइनरियों का 'पेट्रोरसायन' शीर्ष के तहत उनके अपने आईईबीआर में हर साल का अच्छा खासा बजट है। समिति यह भी नोट करती है कि रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को 5 जून, 1991 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अंतरण किया गया। इस संबंध में समिति पाती है कि तब से भारत के इस पेट्रोरसायन उद्योग का काफी विस्तार हुआ है और वर्तमान में यह विश्व के एक प्रमुख पेट्रोरसायन केंद्र बनने के कगार पर है। देश की तेल विपणन कम्पनियाँ भी विशाल, नानाविध और एकीकृत हो गई हैं। यहाँ समिति का यह मानना है कि पेट्रोकेमिकल प्रभाग के रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अंतरण से बेहतर नीति निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन के ज़रिये और साथ ही, दोनों ही क्षेत्रों के बीच की सहकारिता के उपयोग से पेट्रोलियम और पेट्रोरसायन, दोनों क्षेत्रों को फायदा होगा। जैसाकि रिफाइनरियों को कई तरह की स्वीकृतियों, अनुमोदनों, मंजूरी आदि की जरूरत होती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये सभी विभाग एक ही मंत्रालय के अन्तर्गत हों। समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोरसायन प्रभाग के रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अंतरण की प्रासंगिकता की जाँच करे और यदि यह पाया जाता है कि यह लाभदायक है, तो इस मुद्दे को भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ उठाए।

सिफारिश सं. 3

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल)

समिति नोट करती है कि आईएसपीआरएल को कच्चे तेल की कैवर्न भरने की लागत को पूरा करने के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 5000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया

है। समिति को यह भी बताया गया है कि कुछ एसपीआर में संग्रहित कच्चे तेल को वर्ष 2021 में खुले बाजार में बेचने के लिए जारी किया गया था, जो उस समय की उच्च वैश्विक कीमतों को ध्यान में रखते हुए था, जिससे भारत सरकार को काफी बचत हुई। समिति, सरकार के इस वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय की सराहना करते हुए सिफारिश करती है कि मंत्रालय को कैवर्न को भरने के लिए अगले वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए और वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए देश में रणनीतिक भंडारण के लिए सस्ते कच्चे तेल की व्यवस्था करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। इस संबंध में, मंत्रालय को सरकार से बजटीय आबंटन बढ़ाने की मांग करने में संकोच नहीं करना चाहिए और देश में समग्र रूप से ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन रणनीतिक भंडारों को भरने के लिए ओएमसी/रिफाइनरियों की भी सहायता लेनी चाहिए।

सिफारिश सं. 4

आईएसपीआरएल चरण-दो परियोजनाओं का निर्माण

समिति नोट करती है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में अंडरग्राउंड अनलाइन्ड रॉक कैवर्न स्टोरेज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्रमशः 4.0 एमएमटी और 2.5 एमएमटी की भंडारण क्षमता के साथ चंडीखोल (ओडिशा) और पादुर (कर्नाटक) में आईएसपीआरएल चरण-2 परियोजनाओं के निर्माण के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 508 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, मंगलौर (पादुर) और विशाखापट्टनम परियोजनाओं के लिए संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय के संबंध में आईएसपीआरएल को भुगतान के लिए 202.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। समिति को यह भी बताया गया है कि चरण-दो में जिन अतिरिक्त कैवर्न का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है, वे मौजूदा रिफाइनरियों के करीब होंगी और इन्हें क्रमश: आईओसीएल (पारादीप) और एमआरपीएल (मंगलौर) रिफाइनरियों से जोड़ा जाएगा और क्षमता में वृद्धि से आगे और 12 दिनों के लिए आवश्यक कच्चे तेल का भंडारण होगा। इसके अतिरिक्त, मंगलौर में मौजूदा कैवर्न के निकट 1.5-2 एमएमटी क्षमता का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। मंगलौर और पादुर में मौजूदा भूमि के ऊपर भंडारण निर्माण की व्यवहार्यता की भी जांच की जा रही है। आईएसपीआरएल देश के अन्य स्थानों में भंडारणों के लिए भी जांच कर रहा है। यह भी नोट किया गया है कि चूंकि दोनों स्थानों पर भूमि आवंटन ओडिशा और कर्नाटक की संबंधित राज्य सरकारों के पास लंबित है, इसलिए परियोजनाएं शुरू नहीं की जा सकीं और परिणामस्वरूप बजट अनुमान 2022-23 में 600 करोड़ रुपये के परिव्यय के आवंटन का उपयोग नहीं किया जा सका। समिति पाती है कि इन दो राज्यों में दोनों परियोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण में अत्यधिक विलंब हुआ है और प्रतीत होता है कि बहुत कम प्रगति हुई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडारण राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं, इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्य सरकारों के साथ समन्वय से उच्चतम स्तर पर भूमि

अधिग्रहण के मुद्दे को उठाए। अत:, समिति सिफारिश करती है कि इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाये और यह भी चाहती है कि मंत्रालय को देश भर में और अधिक सामरिक पेट्रोलियम भंडारों का, विशेष रूप से लघु या छोटे कैवर्न के निर्माण की संभावना का पता लगाना चाहिए, जहां ऐसे कैवर्न के निर्माण के लिए भूगर्भीय परिस्थितियां अनुकूल हों। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी)/रिफाइनरियों को सामरिक पेट्रोलियम भंडार कैवर्न के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दिये जाने के विकल्प का भी पता लगाना चाहिए और मंत्रालय को निर्माण की पूंजीगत लागत वहन करनी चाहिए।

सिफारिश सं. 5

गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना)

समिति नोट करती है कि गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के संबंध में बजट अनुमान 2023-24 में केवल 1 लाख रुपये की सांकेतिक राशि का प्रावधान किया गया है जबकि बजट अनुमान 2022-23 में 800 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे, जिसे 2022-23 में संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 8010 करोड़ रुपये कर दिया गया था। समिति यह भी नोट करती है कि पीएमयूवाई के तहत पहले से जारी किए गए 9 करोड़ कनेक्शनों के अलावा, 60 लाख अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दिसंबर, 2022 तक हासिल कर लिया गया था। समिति को यह भी बताया गया है कि जनवरी 2023 की समाप्ति तक, ओएमसीज को उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत 7.8 लाख स्वीकृत आवेदन प्राप्त हुए हैं जो कनेक्शन जारी करने के लिए लंबित हैं। समिति को यह बताया गया है कि शेष आवेदकों को पीएमयूवाई कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव उचित अनुमोदन के लिए प्रगति पर है। इसके अलावा, उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख कनेक्शन जारी करने से संबंधित राज्य-वार ब्यौरों का अवलोकन किए जाने पर समिति यह पाती है कि एलपीजी कवरेज में वृद्धि करने हेतु और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समिति को आश्वासन दिया गया है कि पीएमयूवाई के तहत लंबित आवेदनों को जारी करने में निधियों की समस्या नहीं आयेगी और ओएमसीज योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने स्वयं के स्रोतों से व्यय करने और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए दावा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। इस संबंध में, समिति योजना की उपलब्धि से संतुष्ट होते हुए योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय और ओएमसीज के प्रयासों और पीएमयूवाई के तहत कनेक्शन मांगने वाले नए उभरते परिवारों को ध्यान में रखते हुए योजना के कवरेज को और आगे बढ़ाने के लिए उनकी तत्परता की भी सराहना करती है। समिति, मंत्रालय/ओएमसीज को उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत लंबित 7.8 लाख आवेदनों को निपटाने का प्रयास करने और यथाशीघ्र अपेक्षित तौर-तरीके तैयार करने की सिफारिश करती है ताकि नए लाभार्थियों के लिए योजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यान्वित किया जा सके। इसके अलावा, समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय मांग पर एलपीजी कनैक्शन उपलब्ध कराये और शहरी/रुर्बन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के

लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाए ताकि पीएमयूवाई का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके और पूरे देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद मिल सके।

सिफारिश सं. 6

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), विशाखापट्टनम

समिति नोट करती है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईआईपीई के संबंध में 168 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। समिति आगे नोट करती है कि बजट अनुमान 2022-23 में 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसे संशोधित अनुमान 2022-23 के दौरान घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जबकि 01.01.2023 तक वास्तविक व्यय 'शून्य' दर्शाया गया है। समिति को सूचित किया गया है कि अपनी स्थापना के समय से ही यह संस्थान आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विशाखापट्टनम में स्थित अस्थायी परिसर से कार्य कर रहा है क्योंकि आईआईपीई के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर मुकदमा चल रहा था। इसके अलावा, यह बताया गया है कि आईआईपीई द्वारा निर्माण गतिविधियों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप, बाधा या रूकावट को रोकने के लिए, दिनांक 15.12.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप एपीआईआईसी ने अब वापस ली गई भूमि में चारदीवारी के निर्माण कार्याकलापों को फिर से शुरू कर दिया है और भवनों की कनसैप्चुअल ड्राइंग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंप दी गई हैं। समिति आगे नोट करती है कि परियोजना समय और लागत में वृद्धि का सामना कर रही है क्योंकि स्थायी परिसर के निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मूल परिव्यय 655.47 करोड़ रुपये आंका गया था और इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 तक दो चरणों में पूरा किया जाना था, इसे अब संशोधित किया गया है और जीएसटी और मुद्रास्फीति के कारण 928.66 करोड़ रुपये तक अनुमानित किया गया है और अब इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

इस संबंध में, समिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत करते हुए सिफारिश करती है कि मंत्रालय एपीआईआईसी और सीपीडब्ल्यूडी जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ उचित समन्वय करके आईआईपीई के लिए आवंटित भूमि पर निर्माण कार्यकलापों में तेजी लाए ताकि समय और लागत में और वृद्धि से बचा जा सके। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी दी जाए।

सिफारिश सं. 7

सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ एनर्जी, बैंगलोर

समिति यह नोट करती है कि बजट अनुमान 2022-23 और 2023-24 में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ एनर्जी, बैंगलोर की स्थापना हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। समिति को

अवगत कराया गया है कि संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे को अब सुलझा लिया गया है और मैसर्स निर्मिती केंद्र के माध्यम से कर्नाटक सरकार ने चारदीवारी का निर्माण पूरा कर लिया है और भूमि अब संस्थान के कब्जे में है। इसके अलावा, समिति को पता चला है कि भारत सरकार से प्राप्त निधि से अकादमिक ब्लॉक और छात्रों के छात्रावास का निर्माण चल रहा है, और इसे वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। पिछले दो वित्त वर्षों से संस्थान को बजटीय सहायता की अनुपलब्धता के संबंध में समिति को बताया गया है कि दिनांक 13.08.2021 को वित्त सचिव और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में किए गए स्थापना व्यय समिति (सीईई) के निर्णय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपये की सहायता के बाद संस्थान के आवर्ती परिचालन व्यय के लिए कोई सरकारी बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इस संबंध में, भूमि विवाद को सफलतापूर्वक हल करने के लिए मंत्रालय की सराहना करते हुए, समिति ने आश्चर्य व्यक्त किया कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस सरकार से बजटीय सहायता के आवंटन के बिना स्थायी परिसर से संबंधित निर्माण कार्यकलापों को कैसे पूरा करेगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस मामले को देखे और संस्थान के लिए बजटीय सहायता सुनिश्चित करने हेतु नए प्रस्ताव के साथ वित्त मंत्रालय से संपर्क करे या जब तक सरकारी निधि उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक ऋण के आधार पर ओआईडीबी से निधि की व्यवस्था करे ताकि सरकार से निधि की कमी के कारण संस्थान का ढांचागत विकास बाधित न हो।

सिफारिश सं. 8

राष्ट्रीय जैव ईंधन कोष

समिति नोट करती है कि जैव ईंधन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, सब्सिडी और जैव-ईंधन अनुदान सहित वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए जैव ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति-2018 के तहत राष्ट्रीय जैव-ईंधन कोष (एनबीएफ) की परिकल्पना की गई थी। इस संबंध में, समिति आगे नोट करती है कि बजट अनुमान 2022-23 के दौरान 1 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जिसे सं.अ. 2022-23 के चरण में घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया और दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार, वास्तविक व्यय को 'शून्य' के रूप में दर्शाया गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत ब.अ. 2023-24 भी 'शून्य' दर्शाया गया है। इस संबंध में, ब.अ. 2023-24 में एनबीएफ को बजटीय सहायता के अभाव के कारणों को बताते हुए, एमओपीएनजी ने समिति को बताया कि वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ईंधन कोष की स्थापना के प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है। इसको ध्यान में रखते हुए, समिति सिफ़ारिश करती है कि मंत्रालय एनबीएफ के उद्देश्यों का तालमेल पीएम-जी-वन योजना या ऐसी अन्य योजनाओं के साथ बिठाने की संभावना का पता लगाए जिन्हें एमओपीएनजी द्वारा जैव ईंधन क्षेत्र के लिए लागू किया जा रहा है।

सिफारिश सं. 9

कम वसूली के लिए ओएमसी को मुआवजे का भुगतान

समिति नोट करती है कि घरेलू एलपीजी की बिक्री पर कम वसूली के लिए पीएसयू ओएमसी को एकमुश्त अनुदान के रूप में सं.अ. 2022-23 में 22000 करोड़ रुपये का नया आवंटन किया गया है। इस संबंध में, समिति को बताया गया था कि अनुदान का उद्देश्य अप्रैल, 2020 से घरेलू एलपीजी की बिक्री पर उनको हुए नुकसान के लिए पीएसयू ओएमसी को आंशिक रूप से मुआवजा देना है। समिति को आगे बताया गया कि एलपीजी की वैश्विक कीमतें अप्रैल, 2020 में 236 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 950 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के शिखर पर पहुंच गया और फरवरी, 2023 में यह लगभग 790 डॉलर प्रति मीट्रिक टन था। इस वर्ष मार्च-अप्रैल माह में इसके बढ़ने की भी संभावना है। इस वर्ष मार्च-अप्रैल के महीनों के दौरान इसमें वृद्धि किए जाने की संभावना है। चूंकि देश में एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है, एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि से पीएसयू ओएमसी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है। हालांकि, पीएसयू ओएमसीज ने उपभोक्ताओं को एलपीजी की बढ़ी हुई लागत का केवल एक हिस्सा ही बढ़ाया है। अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2023 की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में रसोई गैस की कीमतों में करीब 72 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ताओं से पूरी लागत न वसूलने से पीएसयू ओएमसीज को एलपीजी की घरेलू बिक्री पर कम वसूली के कारण घाटा हुआ और उक्त अवधि के दौरान उनकी कुल कम वसूली 28000 करोड़ रूपये से 29000 करोड़ रूपये थी। समिति को यह भी बताया गया कि शेष नुकसान या तो भविष्य में उपभोक्ताओं से धीरे-धीरे वसूल किया जाएगा या अन्य तरीकों से क्षतिपूर्ति की जाएगी। समिति देश के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तेज वृद्धि के अचानक प्रभाव से बचाने और देश में मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने में योगदान देने के लिए पीएसयू ओएमसी के विवेकशील निर्णय की सराहना करती है। समिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सामान्य राजकोष से अल्प-वसूली का वित्तपोषण किए जाने के निर्णय की भी सराहना करती है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय और पीएसयू ओएमसी देश के लोगों को भविष्य में एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से होने वाली वित्तीय कठिनाइयों से बचाने/रक्षा करने के लिए ऐसे ही व्यवहार का प्रदर्शन करे और ओ एम सी की कम वसूली का सरकार के आम बजट से वित्तपोषण करे।

सिफ़ारिश सं. 10

बीसीपीएल/असम गैस क्रैकर कॉम्प्लेक्स को फीड स्टॉक सब्सिडी

समिति नोट करती है कि बीसीपीएल/असम गैस क्रेकर कॉम्प्लेक्स को ब.अ. 2022-23 में फीड स्टॉक सब्सिडी के रूप में 137.50 करोड़ रुपये का परितव्यय दिया गया। संशोधित अनुमान 2022-23 में परिव्यय ज्यों का त्यों रहा। हालांकि, बजट अनुमान 2023-24 में इसमे भारी वृद्धि कर यह 392.06 करोड़ रूपये कर दिया गया। समिति आगे नोट करती है कि बीसीपीएल को फीडस्टॉक सब्सिडी, एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की इष्टतम क्षमता

से कम होने के कारण कॉम्प्लेक्स के चालू होने की तारीख यानी 02.01.2016 से 15 साल की अवधि के लिए कॉम्प्लेक्स को सब्सिडी प्रदान किया जाना है। वार्षिक सब्सिडी 10 प्रतिशत के न्यूनतम पोस्ट टैक्स आईआरआर को बनाए रखते हुए पॉलिमर मूल्य, गैस मूल्य और नाफ्था मूल्य का एक फलन है। समिति आगे नोट करती है कि वार्षिक सब्सिडी की राशि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की अनुमोदित पद्धति के अनुसार तय की जाती है। समिति यह भी नोट करती है कि फीडस्टॉक सब्सिडी ने इस इष्टतम से कम क्षमता वाले संयंत्र को घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए एक समान मंच प्रदान किया है और इससे इसकी अर्थक्षमता में सुधार हुआ है जो इसके सुधर रहे भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन से प्रदर्शित होता है। हालांकि, समिति ने पाया कि इस सयंत्र की क्षमता उपयोग 2019-20 में 108 प्रतिशत के शिखर से लगातार गिर रही है। बोर्ड की स्वीकृत योजना के अनुसार 2023-24 के लिए लक्षित उत्पादन 94 प्रतिशत है। समिति आगे आशंका जताती है कि गिरता क्षमता उपयोग इसके वित्तीय कार्यनिष्पादन को कमजोर कर सकता है और इसकी आर्थिक व्यवहार्यता को भी प्रभावित कर सकता है। तदनुसार, समिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और मैसर्स बीसीपीएल को कॉम्प्लेक्स की गिरती क्षमता उपयोगिता के कारणों की जांच करने और इस महत्वाकांक्षी परियोजना की व्यवहार्यता को मजबूत करने की दृष्टि से और उस समय जब सहायता के लिए सब्सिडी की योजना उपलब्ध नही होगी इसे प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसकी क्षमता वृद्धि के लिए उयुक्त कदम उठाने की सिफारिश करती है।

<u>सिफ़ारिश सं. 11</u>

<u>नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना</u>

समिति नोट करती है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए संशोधित अनुमान (सं.अ.) 2022-23 और बजट अनुमान (ब.अ.) 2023-24 में क्रमशः 245 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि 15 अगस्त, 1985 को हस्ताक्षरित ऐतिहासिक असम समझौते के अनुसार एक आर्थिक पैकेज के रूप में वर्ष 1993 में की गई थी। एनआरएल को पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 9 जुलाई 1999 को राष्ट्र को समर्पित किया था और 3 एमएमटीपीए क्षमता वाली रिफाइनरी 1 अक्टूबर, 2000 को चालू की गई थी। समिति यह भी नोट करती है कि रिफाइनरी ने 28000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश पर अपनी क्षमता को 3 एमएमटीपीए से 9 एमएमटीपीए तक तिगुना करने के लिए एक प्रमुख एकीकृत विस्तार परियोजना निर्धारित की है। इस राशि में से, केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) के रूप में 1020 करोड़ रुपए देने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना की शेष लागत को प्रमोटरों से अतिरिक्त इक्विटी (3165 करोड़ रुपये), आंतरिक उपार्जन (4937 करोड़ रुपये) और वाणिज्यिक उधार (18904 करोड़ रुपये) के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। समिति यह भी पाती है कि परियोजना के पूरा होने की

लक्षित तिथि जनवरी, 2025 है। हालांकि, 31 जनवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार, परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 28.8 प्रतिशत और 28.3 प्रतिशत ही है। अत:, समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा मैसर्स एनआरएल परियोजना को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं और समयावधि बढ़ने के कारण लागत में वृद्धि की किसी भी संभावना को दूर करें।

<u>सिफ़ारिश सं. 12</u>

<u>प्रधानमंत्री जी-वन योजना</u>

समिति नोट करती है कि प्रधानमंत्री जीवन योजना का आवंटन बजट अनुमान 2022-23 में 314.36 करोड़ रु. से घटाकर संशोधित अनुमान 2022-23 में 83.34 करोड़ रुपये कम कर दिया गया है। दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार, वास्तविक व्यय 'शून्य' था। हालांकि, बजट अनुमान 2023-24 में परिव्यय बढ़ा कर 227.26 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक की अवधि के लिए 1969.50 करोड़ रूपए को कुल वित्तीय परिव्यय के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" शुरू की है जिससे कि देश में 2जी इथेनॉल क्षमता सृजन करने हेतु प्रारंभिक रूप से प्रेरित किया जा सके और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया जा सके। प्रधानमंत्री जी-वन योजना के अंतर्गत, पानीपत (हरियाणा) में स्थित आईओसीएल, बठिंडा (पंजाब) की एचपीसीएल, बरगढ़ (ओडिशा) की बीपीसीएल, नुमालीगढ़ (असम) में स्थित एनआरएल, महाराष्ट्र/कर्नाटक में स्थित शेल इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, इनमें से प्रत्येक को व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये, दावणगेरे (कर्नाटक) में एमआरपीएल को 100 करोड़ रुपये और हरियाणा (आईओसीएल), बिहार (एचपीसीएल) और पंजाब (केंपोलिस) में प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए प्रत्येक को 15 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की कुल राशि को मिलाकर 895 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं। उपर्युक्त परियोजनाओं में से, पानीपत स्थित परियोजना शुरू कर दी गई है। नुमालीगढ़ और बरगढ़ स्थित परियोजनाओं को वर्ष 2023 के दौरान आरंभ किए जाने की आशा है। इसके अलावा, बठिंडा और दावणगेरे स्थित परियोजनाओं को क्रमश: वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में आरंभ किए जाने की आशा है। जहां तक सं.अ. में योजना के परिव्यय में कमी का संबंध है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समिति को बताया गया था कि चूंकि परियोजना विकासकर्ता कोविड महामारी के प्रभाव सहित विभिन्न कारणों यथा सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में विलंब; कुछ उपकरणों/पैकेजों में कम विक्रेता भागीदारी; विलंब से आपूर्ति और विभिन्न सामग्रियों/उपकरणों में

असामान्य उतार-चढ़ाव, यूक्रेन और रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय संकट, की वजह से लक्ष्य हासिल नहीं कर सके; इसलिए ब.अ. 2022-23 के तहत धन राशि को संशोधित करके ₹ 83.31 करोड़ कर दिया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों और अन्य हितधारकों द्वारा परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली समस्याओं की पहचान करने के लिए एक समन्वय तंत्र स्थापित करे और नीतिगत निर्णयों या अन्यथा के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उचित कदम उठाए।

सिफ़ारिश सं. 13

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को पूंजीगत समर्थन

समिति नोट करती है कि तेल विपणन कंपनियों को पूंजीगत समर्थन के रूप में ब.अ. 2023-24 में 30000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सरकारी क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों अर्थात आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल का ऊर्जा परिवर्तन, नेट जीरो उद्देश्यों को पूरा करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा हेतु उनके प्रयास के लिए बजट 2023-24 में यथा उपलब्ध 30,000 करोड़ रुपये तक पूंजीगत व्यय का समर्थन करेगा। विभिन्न कैपेक्स परियोजनाओं के लिए इन ओएमसी की आवश्यकता, आईईबीआर की उपलब्धता, वित्तीय स्थिति आदि के आधार पर ओएमसी-वार आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में, समिति पाती है कि ओएमसी की कैपेक्स परियोजनाओं के ब्यौरे और उन्हें निधियों के वितरण की पद्धति को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि ओएमसीज और मंत्रालय कैपेक्स परियोजनाओं के ब्यौरे और निधि के वितरण की पद्धति को यथाशीघ्र अंतिम रूप दे ताकि उक्त उद्देश्य के लिए ब.अ. 2023-24 में निर्धारित निधि का पूर्ण उपयोग किया जा सके। समिति यह भी सिफ़ारिश करती है कि मंत्रालय निधि के समुचित उपयोग पर सतत निगरानी रखे।

सिफ़ारिश सं. 14

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन

समिति नोट करती है कि देश में कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन वर्ष 2013-14 से लगातार गिर रहा है और यह लगभग 38 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से गिरकर वर्ष 2021-22 में 29.69 एमएमटी हो गया है। इस अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में भी वर्ष 2021-22 में 35.40 बीसीएम से 34.02 बीसीएम की मामूली गिरावट आई है। समिति आगे नोट

करती है कि सरकार ने प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए हैं, जैसे गैस मूल्य निर्धारण सुधार, ओएएलपी, डिस्कवर्ड फील्ड (डीएसएफ) नीति, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी, अनिर्धारित क्षेत्रों का राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, तेल और गैस आदि के लिए उन्नत पुनर्प्राप्ति विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत ढांचा। समिति को बताया गया है कि हाल ही में देश के गहरे समुद्र जल में अवस्थित बड़े क्षेत्र को ओपन एरिया लाइसेंसिंग नीति के तहत अन्वेषण के लिए दिया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें पूंजी और प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग होता है और इस क्षेत्र में परियोजनाओं की निर्माण अवधि आमतौर पर लंबी होती है। समिति आगे यह पाती है कि दुनिया की बड़ी तेल और गैस कंपनियां भारतीय तेल और गैस क्षेत्र से कतराती हैं। समिति महसूस करती है कि इन बड़ी कंपनियों के पास बड़ी पूंजी और अत्याधुनिक प्रौद्धोगिकी है और घरेलू तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन में उनकी भागीदारी से देश में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन में कार्यरत दुनिया की बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से देश में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए उपयुक्त पैकेज तैयार करे और ओएनजीसी तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को उनकी पूंजीगत व्यय (केपेक्स) परियोजनाओं के लिए वित्तीय/कर लाभ प्रदान करने पर भी विचार करे क्योंकि वे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में क्रमश: लगभग 71 प्रतिशत और 81 प्रतिशत का योगदान करते हैं। समिति यह भी सिफ़ारिश करती है कि ओएनजीसी और ओआईएल, भारत में गहरे समुद्र में अन्वेषण और निष्कर्षण सहित, क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता लाने के लिए उपाय करे जिससे देश के अन्वेषण और निष्कर्षण के प्रयासों को पर्याप्त ऊंचे स्तर पर ले जाया जा सके।

सिफ़ारिश सं. 15

राजीव गांधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) केंद्र

समिति नोट करती है कि आरजीआईपीटी, शिवसागर, असम के संबंध में,आ बजट अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 में कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है, जबकि संस्थान के खर्चों को सरकार, तेल उद्धोग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) से बजटीय सहायता और तेल पीएसयू से वित्तपोषण के माध्यम से पूरा किया जाता है। समिति को अवगत कराया गया है कि शिक्षण स्टाफ की स्वीकृत संख्या 36 है जबकि वास्तविक संख्या 23 है। गैर-शिक्षण स्टाफ के संबंध में पदों की संख्या 40 है और वास्तविक संख्या 11 है। वर्तमान में, आरजीआईपीटी शिवसागर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और पीएचडी कराता है जबकि आरजीआईपीटी, अमेठी पेट्रोलियम और ऊर्जा के क्षेत्र में बीटेक, एमटेक, पीएचडी और एमबीए पाठ्यक्रम कराता है।

समिति पाती है कि अमेठी और शिवसागर में आरजीआईपीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुशल मानव संसाधन

तैयार करने के लिए उत्कृष्ट शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था करना है। इस संबंध में, समिति का मत है कि आरजीआईपीटी के दोनों केंद्रों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में समानता होनी चाहिए क्योंकि इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा दिया गया है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि असम तेल और गैस का हब है जिसके आस-पास तेल क्षेत्र के व्यापक कार्यकलाप किए जा रहे हैं, आरजीआईपीटी, शिवसागर में स्वीकृत पदों में संशोधन करने और रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ, बी. टेक और एम. टेक के पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाना सुनिश्चित करे। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय इस संस्थान में उच्च तकनीक वाले वेल्डर, एक्स-रे तकनीशियन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसे पाठ्यक्रमों की शुरुआत करके इसे हाइड्रोकार्बन उद्योग के लिए एक प्रमुख कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित करे।

सिफ़ारिश सं. 16

'स्टैंडअलोन' रिफाइनरियों पर लागू केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी)

समिति नोट करती है कि एमएस, एचएसडी और एटीएफ की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए सीपीसीएल, एमआरपीएल और एनआरएल जैसी स्टैंडअलोन रिफाइनरियों पर केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) लगाने का मुद्दा लंबे समय से स्टैंडअलोन रिफाइनरियों के लिए समस्या बना हुआ है। स्टैडअलोन रिफाइनरियों द्वारा अन्य राज्यों में, ओएमसीज को अंतरित उत्पादों के संबंध, में भुगतान किए गए सीएसटी की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि लागत का यह घटक ईंधन उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य में शामिल नहीं है। अत: इस प्रकार के सीएसटी लगाए जाने से स्टैंडअलोन रिफाइनिंग उद्योग में निवेश और क्षमता निर्माण अंतर्निहित रूप से हतोत्साहित होता है। यह उल्लेखनीय है कि सीएसटी लगाए जाने से लगभग 0.8$/bbls सकल रिफाइनिंग मार्जिन पर प्रभाव पड़ता है जिससे लाभ प्रभावित होता है। हालांकि, 1 अप्रैल, 2002 को प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र को खत्म करने से पहले, अंतर-राज्य बिक्री पर सीएसटी जैसे अप्राप्य करों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के तेल पूल खाते से ओएमसीएस को की गई थी। इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि जब वर्ष 2006-2007 में राज्य मूल्य वर्धित कर अधिनियम लागू किया गया था, तो राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की थी कि सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। इसके बाद, सीएसटी को धीरे-धीरे घटाकर 31 मार्च 2007 में 4 प्रतिशत से 1 अप्रैल 2008 को 2 प्रतिशत कर दिया गया। मंत्रालय ने समिति को यह भी बताया है कि सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला में अत्यधिक दक्षता लाने के साथ-साथ, स्टैंडअलोन रिफाइनरियों तथा औद्योगिक और आर्थिक विकास में काफी लाभ होगा। समिति यह भी नोट करती है कि इन तीन कंपनियों ने

सीएसटी के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 609 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 के पहले नौ महीनों के दौरान 607 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। समिति यह भी महसूस करती है कि सीएसटी को समाप्त किए जाने के बाद इन तीनों 'स्टैंड अलोन' रिफाइनरियों को होने वाला वित्तीय लाभ कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता में भारी वृद्धि करेगा। तदनुसार, समिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह जीएसटी परिषद द्वारा सीएसटी को समाप्त करने संबंधी मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ उठाए।

सिफ़ारिश सं. 17

इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल)

समिति पाती है कि बजट अनुमान 2023-24 के लिए पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के हिस्से के रूप में इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) योजना के संबंध में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो उत्तर-पूर्व के दूर-दराज के क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कवरेज के विस्तार हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। समिति को बताया गया है कि योजना के लिए परियोजना निष्पादन कार्य चल रहा है और इसके 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। इस बात की सराहना करते हुए कि योजना के कार्यान्वयन में अब तक कोई समय और लागत वृद्धि नहीं हुई है, समिति चाहती है कि कोई भी बाहरी कारक जो परियोजना पूरा करने की प्रक्रिया को बाधित करती है तो उसे उपयुक्त अधिकारियों के साथ उठाया जाए ताकि परियोजना समय पर और बिना लागत वृद्धि के पूरी हो सके। इसके अलावा, समिति मंत्रालय से योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है और उसे यदि किसी भी स्तर पर अधिक आवंटन की आवश्यकता हो तो उसकी मांग करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

समिति यह भी चाहती है कि गुरदासपुर-जम्मू-श्रीनगर तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के प्रस्तावित विस्तार को मंत्रालय/संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जल्द से जल्द औपचारिक रूप दिया जाए ताकि निष्पादन कार्य बिना किसी विलंब के शुरू हो सके।

सिफारिश सं. 18

घरेलू कच्चे तेल उत्पादन की बिक्री के लिए नई नीलामी नीति

समिति नोट करती है कि सरकार ने घरेलू उत्पादित कच्चे तेल के आवंटन के लिए 11.07.2022 को नई नीलामी नीति को अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कच्चे तेल को सरकार या सरकार के नामिति या सरकार की कम्पनियों को बेचने के लिए उत्पादन भागीदारी अनुबंध (पीएससी) की वह शर्त हट जाएगी, यदि ऐसी कोई शर्त किसी पीएससी में उल्लिखित हो और तदनुसार यह अनुबंध संशोधित हो जाएगा। समिति को यह भी बताया गया है कि इस नई नीलामी नीति का मुख्य उद्देश्य समान अवसर का सृजन करना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना और ऑपरेटरों/उद्योग के लिए व्यापार करने में आसानी तथा उन्हें और अधिक

आजादी देने पर फोकस करते हुए समस्त तेल और गैस वैल्यू चेन में निवेश को प्रेरित करना है। साथ ही, समिति यह भी नोट करती है कि इन दिशानिर्देशों के अनुसरण में ओएनजीसी ने तटीय या पाइपलाइन प्रणाली से ढेर सारी रिफाइनरियों को कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए उपलब्ध मुम्बई अपतट में अपने फील्ड्स से उत्पादित कच्चे तेल के निमित्त स्वतंत्र सेवा प्रदाता के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी निविदा को अपनाया है। कच्चा तेल बेचने के लिए नवम्बर, 2022 से फरवरी, 2023 की अवधि के दौरान अब तक 06 ई-नीलामी हो चुकी हैं। इसके अलावा, समिति को इस बात से भी अवगत कराया गया है कि सप्लाई चेन और मूल्य निर्धारण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, ओएनजीसी की ओर से इन्तजामी मूल्य निर्धारण पर आवधिक अनुबंध पर भी विचार किया जा रहा है। इस संबंध में, इस क्षेत्र में सुधार का सूत्रपात करने के सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति का यह मानना है कि इस नीति के कार्यान्वयन के साथ-साथ स्टैंडअलोन रिफाइनरियों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि वे डाउनस्ट्रीम उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में अपेक्षित प्रकार के कच्चे तेल की प्राप्ति में नुकसान की स्थिति में होंगी। समिति आशा करती है कि मंत्रालय स्टैंडअलोन रिफाइनरियों को घरेलू कच्चे तेल के आवंटन के बारे में उसे तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करेगा। अत:, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय, ओएनजीसी / ओआईएल पर इस बात के लिए दवाब बनाए कि वे स्टैंडअलोन रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल आवंटन की नई नीति में आवधिक अनुबंध को शामिल करे और साथ ही, इस तथ्य को नोट करते हुए कि कच्चे तेल का बड़े पैमाने पर वैश्विक व्यापार सप्लाई चेन में स्थिरता के निमित्त प्रत्येक से बातचीत कर अंतिम रूप दिए गए आवधिक अनुबंधों के जरिए होता है, इस नई नीति में प्रक्रिया संबंधी आवश्यक सुधार के लिए इस मसले को उच्च स्तर पर उठाए।

<u>सिफारिश सं. 19</u>

<u>नगर गैस वितरण नेटवर्क</u>

समिति नोट करती है कि देश के 31 भौगोलिक क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों को पूरा करने की लक्षित तिथियां 30 सितंबर, 2022 तक थीं। इस संबंध में समिति यह पाती है कि नगर गैस वितरण नेटवर्क कार्यक्रम का क्रियान्वयन निर्धारित समय से पीछे चल रहा है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि पीएनजीआरबी ने अब तक सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 297 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को अधिकृत किया है जो देश की 98% आबादी और इसके 88% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। गत समाप्त हुए 11वें और 11ए सीजीडी बोली दौर में, सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 67 जीए प्रदान किए गए हैं, जो देश की 28.47% आबादी और इसके 34.66% भौगोलिक क्षेत्र कवर करते हैं। परियोजनाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने की आवश्यकता है क्योंकि यह भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6.3% से बढ़ाकर 15% करके 2030 तक देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने से संबंधित भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी के विजन का हिस्सा है। उपर्युक्त को देखते हुए, समिति

सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सीजीडी संस्थाओं के साथ सीजीडी नेटवर्क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करे ताकि निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यक्रम की प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

सिफ़ारिश सं. 20

तेल पीएसयू के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)

समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2023-24 के लिए तेल पीएसयू का आईईबीआर बजट अनुमान 2022-23 के 111354 करोड़ रुपये की तुलना में 108190.72 करोड़ रुपये लक्षित किया गया है। अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में, बजट अनुमान 2023-24 के लिए आवंटन का लक्ष्य बजट अनुमान 2022-23 के 50536 करोड़ रूपये की तुलना में 60491.03 करोड़ रूपये रहा है। तथापि, 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार ई एंड पी क्षेत्र के लिए वास्तविक व्यय 31612.34 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, रिफाइनरी और विपणन क्षेत्र के संबंध में, पिछले वर्ष के 53876.35 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 के लिए 14183.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और 31 दिसंबर, 2022 तक इस क्षेत्र में वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि 39737.46 करोड़ रुपये दर्शायी गई है। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के संबंध में, पिछले वित्त वर्ष के 6741.68 करोड़ रुपये की तुलना मे, बजट अनुमान 2023-24 में 10772.66 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 के अंत तक इसके लिए व्यय की गई वास्तविक राशि 6211.46 करोड़ रुपये दिखाई गई है। इसके अलावा, इंजीनियरिंग क्षेत्र को वित्त वर्ष 2022-23 के 200 करोड़ रुपये की तुलना मे बजट अनुमान 2023-24 के लिए 22743.92 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है और इसके लिए वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि केवल 70.12 करोड़ रुपये दिखाई गई है।

समिति यह भी पाती है कि मंत्रालय के अलग-अलग तेल पीएसयू के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय में काफी भिन्नता है। उदाहरण के लिए, दिसंबर, 2022 तक ओएनजीसी का वास्तविक व्यय 29,950 करोड़ रुपये की तुलना में 19,153 करोड़ रुपये दिखाया गया था। ओवीएल के मामले में भी, 1970 करोड़ रुपये वास्तविक दिखाए गए, जबकि बजट अनुमान 2022-23 में 8,180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। एचपीसीएल के संबंध में, दिसंबर, 2022 तक बजट अनुमान 2022-23 के 14,500 करोड़ रुपये की तुलना में दिखाए गए 8,849 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय में अंतर है। डाउनस्ट्रीम कंपनी एमआरपीएल ने भी बजट अनुमान 2022-23 के 815 करोड़ रुपये की तुलना में 339 करोड़ रुपये का कम वास्तविक व्यय

दिखाया है। इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी ईआईएल ने भी बजट अनुमान 2022-23 के 160 करोड़ रुपये की तुलना में दिसंबर, 2022 तक केवल 40 करोड़ रुपये का कम वास्तविक व्यय दिखाया है। दिसंबर, 2022 तक एनआरएल का वास्तविक व्यय 6,774 करोड़ रुपये की तुलना में 4,273 करोड़ रुपये दिखाया गया था।

आईईबीआर निधियों के उपयोग का विश्लेषण करते समय, समिति यह देखकर निराश है कि ओएनजीसी/ओवीएल, गेल और ओआईएल जैसी अपस्ट्रीम कंपनियों सहित सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने चालू वित्त वर्ष के आवंटनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है, जबकि केवल तीन महीने ही बचे हैं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास काफी निधियां पड़ी हुई हैं। इसके अलावा, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल और एमआरपीएल जैसी ओएमसी और ईआईएल जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने भी अपने बजट अनुमान आबंटनों का कम उपयोग किया है, जैसाकि उनके वास्तविक व्यय से पता चलता है। वर्ष 2022-23 का संशोधित अनुमान 83766 करोड़ रुपये है, जो आईईबीआर के व्यय में भारी कमी को दर्शाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आईईबीआर देश के आर्थिक विकास के कारकों में से एक है, समिति को आश्चर्य है कि जिन कंपनियों पर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और हरित ऊर्जा पहलों में परिवर्तन करने की सर्वोच्च जिम्मेदारी है, वे निर्धारित निधियों का उपयोग करने में क्यों सक्षम नहीं हैं। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की आईईबीआर प्रक्रिया को अधिक वास्तविक रूप से तैयार किया जाए जिससे बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच बड़े अंतर से बचा जा सके ताकि आबंटित निधियों का लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा सके।

नई दिल्ली; रमेश बिधूड़ी,

16 मार्च, 2023 *सभापति,*

25 फाल्गुन, 1944 (शक) *पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति।*

परिशिष्ट-1

<u>कार्यवाही सारांश</u>
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

आठवीं बैठक
(14.02.2023)

समिति की बैठक मंगलवार, 14 फ़रवरी, 2023 को 1130 बजे से 1400 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति

<u>सदस्य</u>

लोक सभा

2 श्री रमेश बिन्द
3 श्री प्रद्युत बोरदोलोई
4 श्री गिरीश चन्द्र
5 श्री तपन कुमार गोगोई
6 डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
7 श्री संतोष कुमार
8 श्री रोड़मल नागर
9 श्री मितेष पटेल
10 श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
11 श्री लल्लू सिंह
12 श्री अजय टम्टा

राज्य सभा

13 श्रीमती कान्ता कर्दम
14 श्री पवित्र मार्गेरिटा
15 श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
16 डा. सस्मित पात्रा
17 डॉ. वी. शिवादासन
18 श्री रविचंद्र वद्दीराजू

सचिवालय

1.	श्री वाई.एम. कांडपाल	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एच. राम प्रकाश	-	निदेशक
3.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	-	उप सचिव

<u>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि</u>

1	श्री पंकज जैन	-	सचिव
2.	श्री प्रवीण मल खनूजा	-	अपर सचिव
3.	सुश्री कामिनी रतन चौहान	-	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
4.	डॉ. नवनीत मोहन कोठारी	-	संयुक्त सचिव
5.	सुश्री सुजाता शर्मा	-	संयुक्त सचिव
6.	सुश्री पेरिन देवी	-	संयुक्त सचिव
7.	श्री आशीष जोशी	-	निदेशक
8.	श्री विनोद शेषन	-	निदेशक

<u>ओएनजीसी के प्रतिनिधि</u>

1.	श्री अरुण कुमार सिंह	-	अध्यक्ष

<u>आईओसीएल के प्रतिनिधि</u>

1.	श्री श्रीकांत माधव वैद्य	-	अध्यक्ष

<u>गेल के प्रतिनिधि</u>

1.	श्री संदीप कुमार गुप्ता	-	सीएमडी

<u>एचपीसीएल के प्रतिनिधि</u>

1.	श्री रजनीश नारंग	-	निदेशक

<u>बीपीसीएल के प्रतिनिधि</u>

1.	श्री वेत्स रामकृष्ण गुप्ता	-	सीएमडी

ओआईएल के प्रतिनिधि

1. डॉ. रंजीत रथ – सीएमडी

ईआईएल के प्रतिनिधि

1. श्रीमती वर्तिका शुक्ला - सीएमडी

ओवीएल के प्रतिनिधि

1. श्री राजर्षि गुप्ता - एमडी

डीजीएच के प्रतिनिधि

1. श्री सुभाष चंद्र लाल दास – डीजी

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची अर्थात् **'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की "अनुदानों की मांगें (2023-24)" के संबंध में मंत्रालय/पीएसयू के प्रतिनिधियों को मौखिक साक्ष्य लेना'** के बारे में बताया।.

3. तत्पश्चात्, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/तेल पीएसयू के प्रतिनिधियों को इस विषय पर समिति को जानकारी देने के लिए समिति की बैठक में बुलाया गया। सभापति ने मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनसे आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय के बजट प्रस्तावों की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ योजना और गैर-योजना शीर्षों के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन और चालू वित्त वर्ष से संबंधित आवंटन में भिन्नता के कारणों के बारे में समिति को जानकारी देने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रतिनिधियों से समिति को संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 में एलपीजी के लिए डीबीटी योजना के परिव्यय में भारी कमी के कारणों, संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 में गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए परिव्यय में व्यापक भिन्नता, नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए नए प्रावधान, स.अ. 2022-23 में एल पी जी की कम वसूलियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये के एकमुश्त अनुदान और तेल विपणन कंपनियों को पूंजीगत सहायता प्रदान करने के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 30,000 करोड़ रुपये के आवंटन के प्रयोजनो, बजट अनुमान 2023-24 में आईएसपीआरएल के लिए 5000 करोड़ रुपये के आवंटन के कारणों, आईएसपीआरएल, आईजीजीएल, प्रधानमंत्री जी-वन योजना की चरण 2 परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, बजट अनुमान 2023-24 में राष्ट्रीय जैव-ईंधन कोष, आरजीआईपीटी-असम और ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु, जैसी परियोजनाओं के लिए शून्य बजटीय सहायता के कारण, संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी-एसएटीएटी) पहल के कार्यान्वयन में हुई प्रगति आदि के बारे में भी बताने का अनुरोध किया।

4. औपचारिक परिचय के बाद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों को शामिल करते हुए इस विषय पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी जैसे कि 2022-23 में योजनाओं के आवंटन में वृद्धि, एलपीजी के मूल्य निर्धारण, "वन नेशन-वन ग्रिड" के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और एलएनजी बुनियादी ढांचे का विस्तार, 2जी एथेनॉल उत्पादन

और डिस्पेंसिंग आउटलेट और देश में अन्वेषण और उत्पादन परिदृश्य। इसके बाद, उन्होंने संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान- 2023-24 के लिए बजटीय प्रस्तावों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए बजटीय प्रस्तावों में विभिन्न शीर्षो के तहत परिव्यय में भिन्नता के कारणों के बारे में भी बताया।

5. इसके बाद, सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा जैसे कि बजट अनुमान 2023-24 में पीएमयूवाई योजना के लिए केवल 1 लाख रुपये की सांकेतिक राशि प्रदान करने के कारण, दिल्ली में आईजीएल के सीबीजी संयंत्र की स्थापना में विलंब, देश में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट, बिटूमेन के आयात के कारण, (सतत एसएटीएटी) योजना के कार्यान्वयन में विदेशी कंपनियों की भागीदारी, वाणिज्यिक पोत परिवहन को बढ़ावा देने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की भूमिका, सीएनजी फिलिंग स्टेशनों के आवंटन के लिए दिशानिर्देश, विभिन्न ओएमसी के बीच बीई 2023-24 के पूंजीगत शीर्ष के तहत 30000 करोड़ रूपए के अनुदान के वितरण का अनुपात , एसएटीएटी योजना के कार्यान्वयन की स्थिति, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी शिवसागर परिसर असम में बी-टेक कोर्स की शुरुआत, पीएमयूवाई के तहत बकाया आवेदनों की मंजूरी, गुजरात राज्य के आनंद जिले में एक सीबीजी संयंत्र की स्थापना, पीएमयूवाई लाभार्थियों के एलपीजी सिलेंडरों की रिफिल दर में गिरावट, देश के रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार को बढ़ाने की आवश्यकता, तमिलनाडु में नई सीपीसीएल रिफाइनरी के समीप एक रणनीतिक कच्चे तेल की भंडारण सुविधा की स्थापना, बायो-डीजल के लिए डीजल के साथ एथेनॉल के सम्मिश्रण की संभावना, **स्टैंडअलोन रिफाइनरियों** पर सीएसटी के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए इसे समाप्त करने की आवश्यकता, जम्मू और कश्मीर राज्य में पाए गए लिथियम के संभावित भंडार का ऊर्जा क्षेत्र पर प्रभाव, अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में सीबीजी संयंत्र की स्थापना, बीई 2023-24 में 200 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए आवंटित 10000 करोड़ रुपए के उपयोग की संभावना, इसी शीर्ष से पीएमयूवाई लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, पूंजीगत व्यय के लिए बीई 2023-24 में 35508 करोड़ रुपए के आवंटन के उपयोग की संभावना, **व्यवहार्यता अंतर निधियन का औचित्य**, बरगढ़, ओडिशा में एथेनॉल परियोजना, चांदीखोल, ओडिशा में कैवर्न के निर्माण में देरी, बीई 2023-24 में परियोजना प्रबंधन व्यय के लिए आवंटन में कमी, पीएमयूवाई, के तहत बकाया आवेदन की मंजूरी आदि ।

6. मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। जिन बिंदुओं पर प्रतिनिधियों के पास सूचना उपलब्ध नहीं थी, सभापति ने उनसे इनके लिखित उत्तर दस दिनों के भीतर लोकसभा सचिवालय को प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसके बाद सभापति ने समिति के समक्ष इस विषय पर बहुमूल्य जानकारी देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/तेल पीएसयू के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

(तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

7. बैठक की शब्दश: कार्यवाही की एक प्रति शाखा में रिकॉर्ड हेतु रखी गई है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

परिशिष्ट-2

कार्यवाही सारांश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

दसवी बैठक

(16.03.2023)

समिति की बैठक गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष '1',

संसदीय सौध विस्तार (ईपीएचए), नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2 श्री रमेश बिन्द

3 श्री प्रद्युत बोरदोलोई

4 श्री गिरीश चन्द्र

5 श्रीमती चिंता अनुराधा

6 श्री दिलीप शइकीया

7 श्री नारणभाई काछड़िया

8 डॉ .कलानिधि वीरास्वामी

9 श्री संतोष कुमार

10 श्री रोड़मल नागर

11 श्री मितेष पटेल

12 श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर

13 डॉ. भारतीबेन डी .श्याल

14 श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

15 श्री लल्लू सिंह

16 श्री अजय टम्टा

राज्य सभा

17 श्री शक्तिसिंह गोहिल

18 श्रीमती कान्ता कर्दम

19 श्री मिथलेश कुमार

20 श्री पवित्र मार्गेरिटा

21 श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया

22 डॉ. सस्मित पात्रा

23 श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली

24 डॉ. वी. शिवादासन

25 श्री रविचंद्र वद्दीराजू

सचिवालय

1.	श्री वाई.एम. कांडपाल	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एच. राम प्रकाश	-	निदेशक
3.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	-	उप सचिव

2. प्रारंभ में माननीय अध्यक्ष ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद समिति ने 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों (2023-24)' पर मसौदा रिपोर्ट पर विचार किया और सिफारिशों में मामूली संशोधनों के साथ इसे स्वीकार कर लिया।

3. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

4. तब समिति ने सभापति को प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने/सभा पटल पर रखने के लिए अधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

XXX: विषय से संबंधित नहीं है।

अनुबंध – एक

क्रम सं.	पीएसयूज/ संगठन/एजेंसियां/बोर्ड
1.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
2.	तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)
3.	गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल)
4.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)
5.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
6.	ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)
7.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल)
8.	बामर लॉरी एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएलएल)
9.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसील)
10.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमारपीएल)
11.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)
12.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल)
13.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड (बीपीआरएल)
14.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल)
15.	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी)
16.	तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)
17.	हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)
18.	उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी)
19.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी)
20.	भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई)
21.	पेट्रोलियम और विश्लेषण सेल (पीपीएसी)
22.	पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)
23.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी)
24.	भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल)
25.	सोसायटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी (एसएफपीएल)

अनुबंध-दो (के जी बेसिन)

स्थान	ब्लॉक	परिसंघ
गहरा पानी	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (100%) (ऑपरेटर)
	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (66.67%) (ऑपरेटर), बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) (33.33%)
तटीय	केजी-ओएनएन-2003/1	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (51%) (ऑपरेटर), वेदांता लिमिटेड (49%)
उथला पानी	केजी-ओएसएन-2001/3	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (80%) (ऑपरेटर), गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (10%), जुबिलेंट ऑयल एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड (10%)
	केजी-ओएसएन-2009/3	वेदांता लिमिटेड (100%) (ऑपरेटर)
	रावा	वेदांता लिमिटेड (22.5%) (ऑपरेटर), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (40%), रावा ऑयल प्रा. लिमिटेड (12.5%), वीडियोकॉन पेट्रोलियम लिमिटेड (25%)

- 39 ब्लॉकों में, 01.04.2022 तक 2डी के 76106 लाइन कि.मी. (एलकेएम), 3डी डेटा के 70711 वर्ग कि.मी. (एसकेएम) का अधिग्रहण किया गया है और 203 अन्वेषण कुओं को ड्रिल किया गया है।
- उपर्युक्त अन्वेषण गतिविधियों के परिणामस्वरूप, केजी बेसिन में 81 हाइड्रोकार्बन खोजें [तेल-22, गैस-59] की गई हैं। ये खोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [31], ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड [37], केयर्न इंडिया लिमिटेड/ वेदांता लिमिटेड [10] और ऑयल इंडिया लिमिटेड [3] द्वारा 15 ब्लॉक/ क्षेत्रों में की गई थी।

ऑपरेटर/ ब्लॉक	ब्लॉक की स्थिति	तेल	गैस	कुल
ओआईएल			3	3
केजी-ओएनएन-2004/1	त्यागने के लिए प्रस्तावित		3	3
ओएनजीसी		10	27	37
केजी-डीडब्ल्यूएन-2005/1	त्याग दिया गया		1	1
केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2	आपरेशनल	7	10	17
केजी-ओएनएन-2003/1	आपरेशनल	2		2

केजी-ओएसएन-2001/3	आपरेशनल		9	9
केजी-ओएसएन-2004/1	त्याग दिया गया		7	7
केजी-ओएसएन-2009/2	त्याग दिया गया	1		1
आरआईएल	त्याग दिया गया	4	27	31
केजी-डीडब्ल्यूएन-2001/1	त्याग दिया गया		1	1
केजी-डीडब्ल्यूएन-2003/1	त्याग दिया गया		4	4
केजी-डीडब्ल्यूएन-98/1	त्यागदिया गया	1		1
केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3	आपरेशनल	1	19	20
केजी-ओएसएन-2001/1	त्याग दिया गया		3	3
केजी-ओएसएन-2001/2	त्याग दिया गया	2		2
वेदान्ता		8	2	10
केजी-ओएसएन-2009/3	शर्तों के साथ संचालन	1	1	2
रावा	आपरेशनल	7	1	8
कुल		22	59	81

- आज की तारीख में 19 खोजों (7 तेल और 12 गैस) का मुद्रीकरण किया गया है और अन्य 10 खोजें (6 तेल और 4 गैस) विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
- **केजी बेसिन में पीएससी व्यवस्था के तहत मुद्रीकृत खोजों का विवरण**

ब्लॉक/ खोज	तेल	गैस	कुल
केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2		**1**	**1**
डीडब्ल्यूएन-यू-1		1	1
केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3	**1**	**7**	**8**
डी-01		1	1
डी-02		1	1
डी-03		1	1
डी-22		1	1
डी-26 (एमए)	1		1
डी-29		1	1
डी-30		1	1
डी-34		1	1
केजी-ओएनएन-2003/1	**2**		**2**
नागायलंका -1जेड	1		1
नागायलंका-एसई-1	1		1
केजी-ओएसएन-2001/3		**3**	**3**
केजी-08		1	1
केजी-15		1	1

केजी-17		1	1
रावा	**4**	**1**	**5**
रवा सेटेलाइट		1	1
आरई-6	1		1
आरई-7	1		1
आरएफ-10	1		1
आरएक्स-1	1		1
कुल	**7**	**12**	**19**

- **खोजों का विवरण जिनका केजी बेसिन में पीएससी व्यवस्था के तहत विकास किया जा रहा है!**

ब्लॉक	तेल	गैस	कुल
केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2	6	3	9
केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3		1	1
कुल	**6**	**4**	**10**

- **पीएससी व्यवस्था के तहत कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल और गैस का उत्पादन**

  पीएससी व्यवस्था के तहत, कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल और गैस का उत्पादन वर्तमान में रवा क्षेत्र से प्राप्त किया जा रहा है जो मैसर्स/ वेदांता द्वारा संचालित है, केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित तथा केजी-ओएसएन-2001/3, केजी-ओएनएन-2003/1, केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 ब्लॉक ओएनजीसी द्वारा संचालित है।

  पिछले पांच वर्षों 2018-19 से 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान इन क्षेत्रों/ब्लॉकों से कच्चे तेल, कंडेनसेट और प्राकृतिक गैस का वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार है:

- **2018-19 से 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) केजी बेसिन से पीएससी व्यवस्था के तहत कच्चा तेल + कंडेनसेट उत्पादन (टीएमटी में)**

क्षेत्रीय ब्लॉक	ऑपरेटर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिसंबर-2022 तक)
केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3	आरआईएल	32.51	0.00	2.33	26.92	23.59
केजी-ओएनएन-2003/1	ओएनजीसी	11.20	41.22	40.44	43.00	25.94
केजी-ओएसएन-2001/3	ओएनजीसी	1.72	1.64	1.04	1.25	0.76
रावा	सीईआईएल/वेदांता	599.45	535.44	727.52	583.65	362.40

कुल योग		**644.87**	**578.30**	**771.32**	**654.82**	**412.69**

- **2018-19 से 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) केजी बेसिन से गैस उत्पादन (एमएमएससीएम में)**

क्षेत्रीय ब्लॉक	**ऑपरेटर**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (दिसंबर-2022तक)**
केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2	ओएनजीसी		4.27	103.35	158.32	401.96
केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3	आरआईएल	1029.44	495.37	680.76	6351.37	5235.55
केजी-ओएनएन-2003/1	ओएनजीसी	4.58	14.91	13.13	15.12	10.88
केजी-ओएसएन-2001/3	ओएनजीसी	87.98	71.10	60.25	56.13	41.72
रावा	सीईआईएल/वेदांता	220.72	277.86	338.09	195.23	108.20
कुल योग		**1342.73**	**863.52**	**1195.58**	**6776.17**	**5798.31**

- **अन्वेषित लघु क्षेत्र बोली दौर-I, II और III के तहत क्षेत्र प्रदान करना**

  भारत सरकार ने 25 मई 2016 को अन्वेषित लघु क्षेत्र बोली दौर-2016 और उसके बाद डीएसएफ-II, डीएसएफ-III प्रारंभकिया। केजी बेसिन में डीएसएफ बोली दौर (I, II और III) के तहत दिए गए संविदाक्षेत्रों की सूची निम्नानुसार है।

- **केजी बेसिन में डीएसएफ के तहत दिए गए संविदा क्षेत्र**

संविदा क्षेत्र की स्थिति	**डीएसएफ बोली दौर**	**राज्य/ स्थान**	**संविदाक्षेत्र**	**ऑपरेटर**	**क्षेत्रफल, वर्ग कि.मी.**
सक्रिय	**डीएसएफ-I**	आंध्र प्रदेश	केजी/ओएनडीएसएफ/अचंता/2016	पीएफएच ऑयल एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड	9.63
			केजी/ओएनडीएसएफ/भीमनापल्ली/2016	पीएफएच ऑयल एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड	15.1
		केजी अपतटीय	केजी/ओएसडीएसएफ/जीएसकेवी1/2016	एवीआर ऑयल एंड गैस प्रा. लिमिटेड	24.2
	डीएसएफ-II	केजी अपतटीय	केजी/ओएसडीएसएफ/जीएसकेडब्ल्यू/2018	ऑयल इंडिया लिमिटेड	93.902
	डीएसएफ-III	केजी अपतटीय	केजी/ओएसडीएसएफ/चंद्रिका/2021	ओएनजीसी लिमिटेड (70%), आईओसीएल (30%)	697
			केजी/ओएसडीएसएफ/जी4/2021	वेदांता लिमिटेड	115.7
			केजी/ओएसडीएसएफ/जीएस21/2021	आईएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	111.1
			केजी/ओएसडीएसएफ/जीएस49/2021	ओएनजीसी लिमिटेड	148.3
			केजी/ओएसडीएसएफ/वाईएस6/2021	ओएनजीसी	169.4

				लिमिटेड	
पीएमएल प्रदान नहीं किया गया/ प्रतीक्षित	डीएसएफ-I	आंध्र प्रदेश	केजी/ओएनडीएसएफ/कोरवाका/2016	केईआई-आरएसओएस पेट्रोलियम एंड एनर्जी प्रा. लिमिटेड	9.9
	डीएसएफ-II	आंध्र प्रदेश	केजी/ओएनडीएसएफ/ गोकर्णपुरम /2018	कीर्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड	26.21
			केजी/ओएनडीएसएफ/ काजा /2018	वेदांता लिमिटेड	114.93
			केजी/ओएनडीएसएफ/ पलाकोल्लू/2018	गंगा जियो रिसोर्सेज प्रा. लिमिटेड	95.14
			केजी/ओएनडीएसएफ/सूर्यराओपेटा/2018	गंगा जियो रिसोर्सेज प्रा. लिमिटेड	98.43
	डीएसएफ-III	आंध्र प्रदेश	केजी/ओएनडीएसएफ/डंगेरू/2021	एंटीलोपस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	144.3
			केजी/ओएनडीएसएफ/कवितम/2021	आईएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	142.7
			केजी/ओएनडीएसएफ/ सनरुद्रवरम /2021	अपोलो एनर्जी कंपनी लिमिटेड	147.7
		केजी अपतटीय	केजी/ओएसडीएसएफ/आरएवीवीएए/2021	केमी टेक डीएमसीसी (90%), द्रविड़ पेट्रोलियम डीएमसीसी (10%)	19.7
		केजी अपतटीय(गहरा पानी)	केजी/डीडब्ल्यूडीएसएफ/जीडी10/2021	डार्विन प्लेटफॉर्म रिफाइनरीज लिमिटेड	203.9
समाप्त	डीएसएफ-I	आंध्र प्रदेश	केजी/ओएनडीएसएफ/सनारुद्रवरम/2016	प्राइजपेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	9.35
	डीएसएफ-II	केजी अपतटीय	केजी/ओएसडीएसएफ/जी4/2018	जेम पेट्रो ईएंडपी प्राइवेट लिमिटेड	91.85
कुल क्षेत्रफल					**2488.442**

- **खुला क्षेत्रफल लाइसेंसिंग कार्यक्रम (ओएएलपी) के तहत दिए गए ब्लॉक**

ओएएलपी दौर	ब्लॉक का नाम	ठेकेदार/ ऑपरेटर	क्षेत्राधिकार	मूल संविदा क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	सक्रिय संविदा क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	ब्लॉक प्रदान करने की तिथि	पीईएल स्थिति	स्थिति
ओएएलपी-I	केजी-डीडब्ल्यूएचपी-2017/1	वेदांता लिमिटेड	अपतटीय	6574.26	6574.26	01.10.2018	प्रदान किया गया और प्रभावी	सक्रिय
ओएएलपी-I	केजी-ओएनएचपी-2017/1	वेदांता लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	2321.3	0.00	01.10.2018	पीईएल न मिलने	त्यागा गया

							के कारण ब्लॉक से बाहर हो गए	
ओएएलपी-।	केजी-ओएनएचपी-2017/2	वेदांता लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	667.73	0.00	01.10.2018	पीईए ल न मिलने के कारण ब्लॉक से बाहर हो गए	त्यागा गया
ओएएलपी-।	केजी-ओएनएचपी-2017/3	वेदांता लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	49.16	0.00	01.10.2018	पीईए ल नहीं मिलने के कारण ब्लॉक से बाहर हो गए	त्यागा गया
ओएएलपी-।	केजी-ओएसएचपी-2017/1	वेदांता लिमिटेड	अपतटीय	177.37	177.37	01.10.2018	प्रदान किया गया और प्रभावी	सक्रिय
ओएएलपी-II	केजी-यूडीडब्ल्यूएचपी-2018/1	आरआईएल-बीपी	अपतटीय	1513.9	1513.90	16.07.2019	प्रदान किया गया और प्रभावी	सक्रिय
ओएएलपी-III	केजी-ओएनएचपी-2018/1	वेदांता लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	2600.95	52.48	16.07.2019	पीईए ल नमिल ने के कारण ब्लॉक से बाहर हो गए	त्यागा गया
ओएएलपी-III	केजी-ओएनएचपी-2018/2	वेदांता लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	230.29	0.00	16.07.2019	पीईए ल न मिलने के कारण ब्लॉक से बाहर हो गए	त्यागा गया